



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 19] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 6, 2011/पौष 16, 1932

No. 19] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 2011/PAUSHA 16, 1932

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

(पर्यावरण, वन और वन्यजीव विभाग)

तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2011

का.आ. 19(अ).—जबकि तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में तटीय क्षेत्रों की घोषणा हेतु आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए तथा तटीय विनियमन क्षेत्र में उद्योगों, प्रचालनों और प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दिनांक 15 सितंबर, 2010 के सां. आ. सं. 2291 (अ) द्वारा अधिसूचना का प्रारूप जारी किया गया था;

और जबकि, उक्त राजपत्र की प्रतियां 15 सितंबर, 2010 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थी;

और जबकि, जनता से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर केन्द्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः, अब, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) की

उपधारा (1) और खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने तटीय क्षेत्रों में निवास करने वाले स्थानीय समुदायों की आजीविका सुनिश्चित करने, तटीय क्षेत्रों का संरक्षण और इसके विशिष्ट पर्यावरण व समुद्री क्षेत्र की सुरक्षा व संरक्षण करने तथा तटीय क्षेत्रों में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं व ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्री जल स्तर में वृद्धि जैसी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित सतत रूप से होने वाले विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश के तटीय विस्तार व आसपास के जल क्षेत्रों, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूहों तथा लक्षद्वीप तथा समुद्री क्षेत्र जो इन द्वीपों को चारों ओर से घेरे रहती है को छोड़कर, तटीय विनियमन क्षेत्र (यहां इसके बाद सीआरजेड के रूप में संदर्भित) के रूप में घोषित करती है और उक्त सीआरजेड में किसी भी प्रकार के उद्योग, प्रचालनों या प्रक्रियाओं की स्थापना और विस्तार तथा परिसंकटमय पदार्थ (हथालन, प्रबंधन और सीमापारीय संचलन) नियम, 2009 में विनिर्दिष्ट परिसंकटमय पदार्थों के विनिर्माण या हथालन या भंडारण या निस्तारण को प्रतिबंधित करती है; और

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के खंड (घ) और नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना सं. सां.आ. 114 (अ) दिनांक 19 फरवरी, 1991 (पैराग्राफ 2, 3, पैराग्राफ 6 के उप-पैराग्राफ (i) और (ii), पैराग्राफ 7 से संबंधित उपबंधों को छोड़कर) का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई अथवा करने के लिए छोड़ दी गई बातों के अलावा, केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों को सीआरजेड के रूप में घोषित करती है और इस अधिसूचना की तिथि से सीआरजेड में उद्योगों, प्रक्रियाओं और ऐसे कार्यकलापों की स्थापना और विस्तार करने पर निम्नलिखित प्रतिबंध लागू करती है, —

- (i) उच्च ज्वार रेखा (यहां इसके बाद एचटीएल के रूप में संदर्भित) से लेकर समुद्र की ओर अभिमुख 500 मीटर का भू-क्षेत्र।
- (ii) सी.आर.जेड. उन क्षेत्रों पर भी लागू होगा जो एचटीएल से लेकर 100 मीटर या क्रीक की चौड़ाई, जो भी कम हो, ज्वार से प्रभावित जलाशयों, जोकि समुद्र से जुड़े हुए हैं, के मध्य स्थित वह दूरी जहां तक ज्वार से प्रभावित जलाशयों के आसपास विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित किया जाना है और इस दूरी का निर्धारण वर्ष के शुष्क काल में लवणीयता की मात्रा को 5 पार्ट्स प्रति हजार (पी.पी.टी.) को आधार मानकर किया जाएगा तथा ज्वार से प्रभावित होने वाली दूरी को तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं (यहां इसके बाद सीजेडएमपी के रूप में संदर्भित) के अनुसार पहचान कर उसका निर्धारण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण :— इस उप पैराग्राफ के प्रयोजनार्थ ज्वार से प्रभावित जलाशयों का अर्थ है खाड़ी, एश्च्यूरी, झील, बैकवाटर, लगून, समुद्र या क्रीक से समुद्री ज्वार से प्रभावित जलाशय इत्यादि।)

- (iii) समुद्री अग्रभाग के मामले में जोखिम रेखा और तट की ओर के एच.टी.एल. से 500 मीटर तक के क्षेत्र के मध्य स्थित भू-क्षेत्र, और समुद्री ज्वार से प्रभावित जलाशयों के मामले में जोखिम और 100 मीटर रेखा के मध्य 'जोखिम रेखा' का अर्थ है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वृद्धि एवं तटीय रेखाओं के परिवर्तन संबंधी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया सीमांकन।
- (iv) एच.टी.एल. एवं निम्न ज्वारीय रेखा (यहां इसके बाद एलटीएल के रूप में संदर्भित) के मध्य स्थित भू-क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसे अंतरज्वारीय क्षेत्र कहा जाएगा।
- (v) ज्वार से प्रभावित जलाशयों के लिए समुद्र और जल के मामले में एल.टी.एल. एवं क्षेत्रीय जल सीमा (12 नॉटिकल मील) के मध्य स्थित भू-क्षेत्र व किनारे की विपरीत दिशा में किनारे पर एल.टी.एल. से एल.टी.एल. के बीच के क्षेत्र।

2. इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, एच.टी.एल. का अर्थ है वह भू-क्षेत्र जहां तक वसंत ऋतु में होने वाले ज्वार प्रक्रियाओं के कारण जल अधिकतम ऊँचाई तक पहुँचता है और इसका निर्धारण संलग्नक-1 में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत सीमांकन प्राधिकरण/प्राधिकरणों द्वारा इस अधिसूचना की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूरे देश के सभी भागों में एकसमान निर्धारण किया जाएगा।
3. सीआरजेड के अंतर्गत प्रतिबंधित गतिविधियाँ:—सी.आर.जेड. के अंतर्गत निम्न गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है:—

(i) नए उद्योगों को स्थापित करने व उसके विस्तार से संबंधित गतिविधियाँ, निम्न को छोड़कर,—

(अ) वे उद्योग जिन्हें वाटरफ्रन्ट अथवा किनारे संबंधी सुविधाओं की प्रत्यक्ष आवश्यकता होती है;

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनार्थ "किनारे संबंधी सुविधाओं" का अर्थ है इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुमेय सुविधाएं और उनके लिए प्रचालन हेतु वाटर फ्रंट जैसे पत्तन और बंदरगाह, जेट्टी, क्वेस, बहाव, क्षरण नियंत्रण उपाय, ब्रेक वाटर, पाइप लाइनें, लाइट हाउस, समुद्री सुरक्षा सुविधाएं, तटीय पुलिस थानों आदि की आवश्यकता होती है।

(ब) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं;

(स) सामाजिक प्रभावों सहित एक प्रभाव आकलन अध्ययन के आधार पर गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा शक्ति उत्पादन की सुविधाएं तथा सी.आर.जेड.—I (i) के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में डिसेलिनेशन संयंत्रों की स्थापना;

(द) ग्रीन फील्ड हवाईअड्डे की केवल नवी मुम्बई में निर्माण की अनुमति;

(य) स्थानीय टाउन और कंट्री प्लानिंग विनियमों के अनुसार मछुआरों सहित स्थानीय समुदायों के मकानों का पुर्ननिर्माण, मरम्मत कार्य।

(ii) तैलीय उत्पादों के निर्माण या संग्रहण अथवा परिसंकटमय वस्तुओं के निस्तारण की प्रक्रिया जैसे कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सां.आ. 594(अ) दिनांक 28 जुलाई 1989, संख्या सां.आ. 966(अ) दिनांक 27.11.1989 एवं जी.एस.आर. 1037(अ) दिनांक 5 दिसम्बर 1989 में विनिर्दिष्ट है, निम्न को छोड़कर,—

(अ) परिसंकटमय वस्तुओं का जहाजों से बंदरगाह, टर्मिनल एवं रिफाइनरी इत्यादि स्थानों को लाना—लेजाना;

(ब) इस अधिसूचना के संलग्नक-II में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों व तरल प्राकृतिक गैस (यहां इसके बाद एलएनजी के रूप में संदर्भित) के आयागमन व भंडारण संबंधी सुविधाएं तथा सीआरजेड-I (i) के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में तरल प्राकृतिक गैसों के पुनःगैसीकरण से संबंधित सुविधाएं। इन क्षेत्रों को निर्धारित करने से पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तैल उद्योग

सुरक्षा निदेशालय व पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा संबंधी नियमों के क्रियान्वयन के अधीन।

बर्शते की उर्वरकों तथा इसके निर्माण में अमोनिया, फॉस्फोरिक अम्ल, सल्फर, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि जैसे कच्चे माल को प्राप्त करने व उसके भण्डारण से संबंधित सुविधाओं की अनुमति केवल सी.आर.जेड.-I (i) के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों में ही दी जाएगी।

(iii) मत्स्य प्रसंस्करण इकाईयों, जिसमें हैचरी और मछलियों को प्राकृतिक रूप से सुखाने की प्रक्रिया को छोड़कर, वेयरहाउसिंग शामिल है, की अनुमति वाले क्षेत्रों में स्थापना तथा उसका विस्तार :

(iv) भू-सुधार, समुद्री जल को बांधना या उसके प्राकृतिक प्रवाह को बिगाड़ने से संबंधित गतिविधियां, निम्न को छोड़कर,—

(अ) अग्रतट सुविधाओं में सुधार करने के लिए की जा रही निर्माण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गतिविधियां, जैसे पत्तन, बंदरगाह, जेट्टी, घाट, तटबंध या स्लिपवे, पुल, सीलिक इत्यादि एवं अन्य सुविधाएं जोकि अत्यंत आवश्यक हैं एवं अधिसूचना के अधीन अनुमेद हैं।

(ब) क्षरण को रोकने के लिए किए जा रहे कार्य, जोकि वैज्ञानिक अध्ययनों पर आधारित हो जिसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन (यहां इसके बाद ई.आई.ए. के रूप में संदर्भित) अध्ययन शामिल हैं;

(स) जलमार्गों, चैनलों एवं बंदरगाहों की देखरेख या उनकी साफ-सफाई जोकि ई.आई.ए. अध्ययनों पर आधारित हो;

(द) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी एजेंसी द्वारा किए गए बलुई टीलों को बनने से रोकने, ज्वार नियंत्रकों के प्रतिस्थापन, तेज जल प्रवाह नालियां को स्थापित करने तथा स्वच्छ जलाशयों में लवणीय जल के सम्मिश्रण को रोकने व स्वच्छजल के रिचार्ज संबंधी गतिविधियों पर आधारित उपाय।

(v) अपशिष्ट एवं उत्प्रवाहों के निस्तारण से संबंधित इकाईयों या प्रणालियों की स्थापना एवं विस्तार संबंधी गतिविधियां, निम्न को छोड़कर जहां इस सुविधा की आवश्यकता होती है,—

(अ) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अंतर्गत दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार जिसमें उपचारित उत्प्रवाह को जलाशयों में छोड़ा जाना;

(ब) तूफानी जल निकासी और पम्पिंग हेतु सहायक संरचना;

(स) सी.आर.जेड.-I के अंतर्गत न आने वाले क्षेत्रों अर्थात् सी.आर.जेड. से संबंधित क्षेत्रों में स्थित होटलों व समुद्र तट रिसॉर्टों से निकलने वाले अपशिष्टों एवं उत्प्रवाहों का उपचार व उपचारित अपशिष्टों एवं उत्प्रवाहों का निस्तारण;

(vi) उद्योगों, शहरों व कस्बों तथा अन्य बस्तियों से निकलने वाले अनुपचारित अपशिष्टों एवं उत्प्रवाहों का निस्तारण। यदि ऐसी कोई गतिविधियां चल रही हैं तो उन्हें रोकने के लिए संबंधित प्राधिकरण इस अधिसूचना के जारी होने से अधिकतम दो वर्षों में योजनाएं लागू करेंगे।

(vii) भू-भरण के उद्देश्य से शहर व कस्बे से निकलने वाले अपशिष्टों तथा औद्योगिक ठोस अपशिष्ट, प्लाई ऐश का निस्तारण और संबंधित प्राधिकरण यदि ऐसी कोई गतिविधियां चल रही हैं तो उन्हें रोकने के लिए इस अधिसूचना के लागू होने से एक वर्ष की अवधि में इसे बंद करने के लिए योजनाएं लागू करेंगे।

टिप्पणी :- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पैरा (v), (vi) और (vii) के संबंध में कार्य योजनाएं तैयार करने और उनके क्रियान्वयन तथा उसकी समय-सीमा सहित मॉनीटरिंग के संबंध में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को अलग से अनुदेश जारी करेगा।

(viii) तट के अधिक अपरदन वाले स्थलों में पत्तन और बंदरगाह परियोजनाएं, उन परियोजनाओं के अलावा जिन्हें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक अध्ययनों तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से परामर्श करते हुए ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार कार्यनीतिक और रक्षा संबंधी परियोजना के रूप में वर्गीकृत होने के रूप में पहचान की गई है।

(ix) शॉपिंग एवं आवासीय भवनों, होटलों एवं मनोरंजन संबंधी गतिविधियों इत्यादि के द्वारा तटीय क्षेत्रों का सौन्दर्यीकरण,

(x) बालू चट्टानों एवं अन्य वस्तुओं के लिए की जा रही खनन प्रक्रिया, निम्न को छोड़कर,—

(अ) ऐसे पोशक तत्वों का खनन जोकि सी.आर.जेड. क्षेत्र के अलावा कहीं भी उपलब्ध नहीं हैं,

(ब) तेल एवं प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण एवं संदोहन,

(xi) एच.टी.एल. के अंतर्गत 200 मीटर तक के क्षेत्र में भू-गर्भीय जल का निष्कर्षण एवं इससे संबंधित निर्माण, निम्नलिखित के अलावा:—

(क) उन क्षेत्रों में जहां स्थानीय समुदाय निवास करते हैं और जो केवल उनके उपयोग के लिए हैं।

(ख) इस प्रकार की गतिविधि की अनुमति 200–500 मीटर के क्षेत्र के अंतर्गत तभी दी जा सकती है जब यह गतिविधि पेयजल, बागवानी, कृषि एवं मत्स्य पालन के लिए शारीरिक श्रम द्वारा किया जा रहा हो और जल का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध न हो।

टिप्पणी :- समुद्री जल के प्रवेश कर जाने से प्रभावित क्षेत्रों में ऐसे निष्कर्षण के संबंध में राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र द्वारा निर्धारित प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं।

(xii) इस अधिसूचना के पैरा 8 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों के अलावा सीआरजेड-I में निर्माण कार्यकलाप।

(xiii) सौन्दर्यीकरण या अन्य उद्देश्य के लिए बलुई टीलों, पहाड़ियों, प्राकृतिक भू-दृश्यों में परिवर्तन करने संबंधी गतिविधियां और ऐसे अन्य प्रयोजन।

(xiv) समुद्री/तटीय पुलिस स्टेशनों के गश्त और सतर्कता कार्यकलापों हेतु अपेक्षित सुविधाएं।

4. सीआरजेड क्षेत्र में अनुमति प्राप्त गतिविधियों का नियंत्रण—पैराग्राफ 3 में प्रतिबंधित की गई गतिविधियों को छोड़कर, निम्नलिखित गतिविधियों का विनियमन किया जाएगा—

(i)(अ) ऐसी गतिविधियों, जिनके लिए वाटरफ्रंट या किनारे संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता होती है, को सुचारु रूप से चलाने के लिए अनुमति दी जाएगी।

- (ब) ऐसी परियोजनाएं जोकि इस अधिसूचना में सूचीबद्ध हैं एवं जिनके लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ई.आई.ए.) अधिसूचना, 2006 आदेश संख्या 1533 (ई), दिनांक 14 सितम्बर, 2006 की आवश्यकता है तो इन परियोजनाओं को मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता तभी है जब राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (यहां इसके बाद सी.जेड.एम.ए. के रूप में संदर्भित) द्वारा संस्तुत हो।
- (स) इस अधिसूचना के पैराग्राफ 8 में वर्णित तटीय विनियमन जोन में विनिर्दिष्ट आवासीय योजनाएं।
- (द) सीआरजेड-II में 20,000 वर्ग मीटर से अधिक निर्मित क्षेत्र वाले निर्माण पर ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अनुसार विचार किया जाएगा। 20,000 वर्ग मीटर से कम निर्मित क्षेत्र वाली परियोजनाओं के मामले में तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण (सी.जेड.एम.ए.) से प्राप्त संस्तुति के बाद इस अधिसूचना के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नियोजन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय अनुमति प्रदान करने या संबंधित नियोजन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान करने पर विचार करने हेतु संबंधित सी.जेड.एम.ए. पूर्व-संस्तुतियां अनिवार्य होंगी। (य) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय किसी विशिष्ट या सामान्य आदेश के अधीन परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिनके लिए परियोजना से प्रभावित लोगों की पूर्व-जनसुनवाई अपेक्षित होगी। (र) पत्तनों और बंदरगाहों, जेट्टी, घाटों, क्वेज, स्लिपवेज, पोत निर्माण याडों, ब्रेकवाटर, तटबंधों हेतु निर्माण और प्रचालन, क्षरण नियंत्रण उपाय;
- (ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, से निम्नलिखित गतिविधियों के लिए मंजूरी अपेक्षित होगी अर्थात्—
- (अ) वे गतिविधियां जो ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 में सूचीबद्ध नहीं हैं।
- (ब) परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा संबंधी मामलों से संबंधित निर्माणात्मक गतिविधियां जिसके लिए किनारे संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता है जैसे स्लिपवे, जेट्टी, तटबंध, इत्यादि। रक्षा परियोजनाओं के क्रियात्मक अवयवों को छोड़कर। ऐसी परियोजनाओं के लिए एक अलग प्रकार की प्रक्रिया की आवश्यकता है जिसे मंत्रालय द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाना चाहिए। ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अनुसार आवासीय भवन, कार्यालयी भवन, अस्पताल परिसर, कार्यनीतिक और रक्षा परियोजनाओं की वर्कशॉप;
- (स) लाइटहाउस का निर्माण एवं संचालन;
- (द) संचार प्रणाली, पाइपलाइन एवं ट्रांसमिशन लाइन की व्यवस्था संबंधी गतिविधियां;
- (य) तेल एवं प्राकृतिक गैस का निष्कर्षण तथा इससे जुड़ी हुई अन्य गतिविधियां एवं सुविधाएं आदि;
- (र) ऐसी गतिविधियां जिसके लिए किनारे संबंधी सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे कच्चे माल का परिवहन, शीतलन हेतु जल का उपयोग एवं उपचारित वाहित मल/थर्मल पावर स्टेशन से निकलने वाला शीतलन जल। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय पैरा 4 के (र), (ल) और (व) पर परियोजनाओं की श्रेणी विनिर्दिष्ट कर सकता है;
- (ल) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा सूचीबद्ध दुर्लभ पदार्थों का खनन;
- (व) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा शक्ति उत्पादन करने, डिसैलिनेशन संयंत्र एवं मौसमीय रेडार जैसी

सुविधाएँ:

(i) कुछ भवनों की मरम्मत एवं निर्माण (अ) पुरातात्विक या ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण, (ii) घरोहर एवं सार्वजनिक उपयोग वाले भवन अर्थात् धार्मिक स्थल, शैक्षणिक भवन, चिकित्सा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी भवन;

4.2 अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए मंजूरी प्राप्त करने संबंधी प्रक्रिया:—इस अधिसूचना से संबंधित सभी परियोजनाओं के लिए सीआरजेड मंजूरी हेतु निम्न प्रक्रिया के अनुसार विचार किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) परियोजना प्राधिकरण को मंजूरी करने के लिए, संबंधित सी.जेड.एम.ए. से सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुसार पूर्व में ही निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना चाहिए:-

(अ) फॉर्म-1 (अधिसूचना का अनुबंध- IV);

(ब) 4(ग) और (घ) के अंतर्गत सूचीबद्ध निर्माण परियोजनाओं के अलावा समुद्री और स्थलीय घटक सहित त्वरित ई.आई.ए. रिपोर्ट;

(स) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर और राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से परामर्श करते हुए न्यून और मध्यम अपरदनकारी के रूप में वर्गीकृत स्थानों में परियोजनाओं हेतु संचयी अध्ययनों सहित व्यापक ई.आई.ए.;

(द) आपदा प्रबंधन रिपोर्ट एवं जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट;

(य) सी.आर.जेड. नक्शा जिसमें किसी प्राधिकृत एजेन्सी (जैसाकि पैरा 2 में इंगित है) द्वारा एच.टी.एल. एवं एल.टी.एल. का 1:4000 स्केल में सीमांकन;

(र) परियोजना का लेआउट जोकि उपर्युक्त (य) में वर्णित मैप में स्पष्ट रूप से दिखाया गया हो।

(ल) सी.आर.जेड. नक्शे में परियोजना स्थल का 7 किमी. व्यास का क्षेत्र;

(व) पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील अन्य अधिसूचित क्षेत्रों सहित सी.आर.जेड.-I, II, III एवं IV क्षेत्रों को दर्शाते हुए सी.आर.जेड. नक्शा;

(i) बहिस्रावों को डालने, ठोस अपशिष्टों, सीवेज इत्यादि से संबंधित परियोजनाओं हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों या केन्द्र शासित क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण समितियों से मंजूरी पत्र;

(ii) संबंधित सी.जेड.एम.ए. अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. के अनुसार और सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुपालन में उपर्युक्त दस्तावेजों की जांच करेगा तथा पूर्ण आवेदन प्राप्त होने की तिथि से पेंसठ दिन के अंदर अपनी संस्तुतियां करेगा:-

(अ) यदि परियोजना, ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 से संबंधित है तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय या एस.ई. आई.ए.ए.

(ब) यदि परियोजना, ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत नहीं है किंतु सी.आर.जेड. अधिसूचना के पैरा 4(ii) से संबंधित है तो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय।

(iii) एम.ओ.ई.एफ. या राज्य सरकार को संबंधित सी.जेड.एम.ए. से प्राप्त संस्तुतियों के आधार पर साठ दिनों के भीतर इन परियोजनाओं को मंजूरी देनी है या नहीं इस पर विचार करना होगा।

(iv) सी.आर.जेड. अधिसूचना के अंतर्गत परियोजनाओं को दी गई मंजूरी निर्माण और प्रचालन हेतु जारी की गई मंजूरी की तिथि से पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होगी।

परियोजना की समयसीमा—

(v) मंजूरी प्राप्त करने के बाद की मॉनीटरिंग हेतु—(अ) यदि परियोजना प्रस्तावक के लिए यह अनिवार्य होगा कि पर्यावरणीय मंजूरी में निर्दिष्ट शर्तों एवं परिस्थितियों के अनुसार एक अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट को, संबंधित प्राधिकरण के समक्ष, हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 1 जून एवं 31 दिसम्बर को प्रस्तुत करे। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत की गई ऐसी सभी अनुपालन रिपोर्टें सार्वजनिक की जाएगी; और इसकी प्रतियां किसी भी व्यक्ति को संबंधित सी.जेड.एम.ए. को आवेदन करने पर दी जाएगी।

(ब) ऐसी अनुपालन रिपोर्ट संबंधित विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

(vi) सी.जेड.एम.ए. की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए सी.जेड.एम.ए. का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह इसके लिए एक वेबसाइट का निर्माण करे और इस पर माननीय न्यायालय के आदेशों तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. सहित कार्यसूची, कार्यवृत्त, लिए गए निर्णय, मंजूरी से संबंधित पत्र, उल्लंघन, उल्लंघनों पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामलों को प्रदर्शित करे।

5. तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजनाएं तैयार करना ।

- (i) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा सीजेडएमपी तैयार करवायेगा;
- (ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नेशनल इन्स्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल कोस्टल जोन मैनेजमेन्ट (एन.आई.एस. सी.जेड.एम.) को शामिल करते हुए तथा संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके तटीय राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा ख्यातिप्राप्त और अनुभवी वैज्ञानिक संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा सी.जेड.एम.पी तैयार कराई जाएगी ;
- (iii) जोखिम रेखा का निर्धारण पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाएगा । जोखिम रेखा के निर्धारण के दौरान ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वृद्धि एवं तटीय रेखाओं के परिवर्तन संबंधी घटनाओं को शामिल किया जाएगा;
- (iv) ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण बाढ़ की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य से तटीय विस्तार की कन्दूर मैपिंग भी करना अत्यंत आवश्यक है, जोकि एच.टी.एल. से 0.5 मीटर से लेकर 7 किमी. के मध्य किया जाना चाहिए। तटीय रेखाओं के परिवर्तन संबंधी घटनाओं से संबंधित रेखा का निर्धारण, पुराने आंकड़ों को आधार मानकर, पूर्व के सैटेलाइट चित्रों की तुलना वर्तमान

के सैटेलाइट चित्रों से करके किया जाना चाहिए;

- (v) मैक्रो स्तरीय मैपिंग हेतु, खतरे की रेखा के निर्धारण से संबंधित मैपिंग के लिए 1:25,000 स्केल तथा स्थानीय स्तर की मैपिंग के लिए 1:10,000 स्केल का प्रयोग करना चाहिए और तटीय क्षेत्रों की भूमि उपयोग योजना तैयार करते समय जोखिम रेखा का ध्यान रखा जाएगा ;
- (vi) तटीय राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को इस अधिसूचना के लागू होने से चौबीस महीने के भीतर ही अधिसूचना के संलग्नक-1 जिसमें जन परामर्श भी शामिल हैं में दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित क्षेत्रों में स्थित सी.आर.जेड. क्षेत्रों को पहचान कर एवं उसे विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करके, एक सी.जेड.एम.पी. 1:25,000 स्केल प्रारूप का निर्माण किया जाएगा।;
- (vii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उचित परामर्शों और सिफारिशों सहित सी.जेड.एम.पी. प्रारूप राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा संबंधित सी.जेड.एम.ए. को प्रस्तुत किया जाएगा ;
- (viii) सुझावों पर अमल शुरू करने और स्टैकहोल्डरों से प्राप्त आपत्तियों के पश्चात छह माह के भीतर राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र सी.जेड.एम.ए. अपनी सिफारिशों सहित सी.जेड.एम.पी. का प्रारूप पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेंगे ;
- (ix) एम.ओ.ई.एफ. इस तटीय जोन प्रबंधन योजना के अंतिम स्वरूप को प्राप्त करने के चार महीने की अवधि के अंदर ही इसका भलीभांति निरीक्षण करेगा और उसे मंजूरी देगा ;
- (x) अधिसूचना में वर्णित समस्त विकासात्मक गतिविधियों का नियंत्रण इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार एवं केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण या संबंधित सी.जेड.एम.ए. द्वारा नियंत्रित किया जाएगा ;
- (xi) सामान्यतः सी.जेड.एम.पी. को पांच वर्ष की अवधि से पहले संशोधित नहीं किया जाएगा उसके पश्चात संबंधित राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकार उपर्युक्त प्रक्रिया का अनुकरण करते हुए नक्शों में संशोधन पर विचार करेगी;
- (xii) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत पहले से अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. चौबीस महीने की अवधि के लिए वैध रहेगी जब तक कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उसमें दी गई ऐसी शर्तों के अधीन विशिष्ट अधिसूचना द्वारा उपर्युक्त अवधि बढ़ाई न गई हो ।

6. तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, का क्रियान्वयन—

(i) तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, का क्रियान्वयन—2011

- (अ) इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के कार्यान्वयन और लागू करने के लिए और उसमें दी गई शर्तों के अनुपालन के लिए मौलिक रूप से या प्रदत्त शक्तियां पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, एनसीजेडएमए और एससीजेडएमए सहित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,

1986 में उच्चतम हैं ।

(ब) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1993 की रिट याचिका 664 के आदेशों के संदर्भ में एनसीजेडएमए और राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सीजेडएमए के संघटन, अवधि और अधिदेश पहले ही अधिसूचित किए जा चुके हैं ।

(स) इस अधिसूचना को लागू करने और उसकी मानीटरी के लिए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र सीजेडएमए मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे, इस कार्य में सहायता के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संबंधित जिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक जिला स्तरीय समिति गठित करेंगी जिसमें मछुआरा समुदाय सहित तीन प्रतिनिधि स्थानीय परम्परागत तटीय समुदायों से होंगे ;

(ii) सी.आर.जेड. अधिसूचना, 1991

(अ) सी.आर.जेड. अधिसूचना, 1991 जो इस अधिसूचना की जारी होने की तारीख से लागू हो चुकी है के किसी उल्लंघन के किसी विनियमितीकरण को लागू करने के लिए इस अधिसूचना का कोई अर्थ नहीं लगाया जाएगा ।

(ब) राज्य अथवा संघ. राज्य क्षेत्र सीजेडएमए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से चार माह की अवधि के भीतर नवीनतम समुचित मानचित्रों, सेटेलाइट इमेजरी और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए जी.आर.जेड. अधिसूचना 1991 के पैरा 2, 3 पैरा 6 और 7 के उप पैरा (i) और (ii) के उपबंधों के उल्लंघनों की पहचान करेंगे और उसके पश्चात चार माह की अवधि के भीतर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

(स) सी.आर.जेड अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत हुए ऐसे समस्त उल्लंघनों व इसके विरुद्ध की गई कार्रवाईयों को पर्यावरण और सी.जेड.एम.ए से संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग द्वारा विशेष रूप से तैयार किए गए वेबसाइट पर डाला जाएगा ।

(द) मछुआरा समुदाय, टोडी टैपर्स सहित परंपरागत तटीय समुदायों की आवासीय इकाइयां जैसीकि सीआरजेड अधिसूचना 1991 के उपबंधों के अंतर्गत स्वीकार्य थी परंतु उसे उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों से औपचारिक स्वीकृति नहीं मिली है, संबंधित सीजेडएमए द्वारा उन पर विचार किया जाएगा आवासीय इकाइयों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन विनियमित किया जाएगा, अर्थात :-

(i) किसी प्रकार के वाणिज्यिक कार्यों के लिए उनका उपयोग नहीं किया जाएगा ;

(ii) इन्हें गैर- परम्परागत तटीय समुदाय को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ;

7. सी.आर.जेड. क्षेत्र का वर्गीकरण-तटीय क्षेत्रों एवं समुद्री जल के संरक्षण एवं सुरक्षा के उद्देश्य से, सी.आर.जेड. क्षेत्र को निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं अर्थात :-

(i) सी.आर.जेड.-1,-

अ. ऐसे क्षेत्र जो कारिस्थितिक रूप से सम्बन्धित एवं ऐसी भू-आकृति विज्ञान विवेचनाएँ जोकि तटों की अखण्डता को बनाए रखने में आवश्यक है ;

(क) मैन्ग्रोव क्षेत्र। यदि मैन्ग्रोव क्षेत्र का विस्तार 1000 वर्ग मी. से अधिक है तो मैन्ग्रोव के किनारे 80 मीटर के क्षेत्र को बकर क्षेत्र के रूप में उपलब्ध कराना चाहिए;

(ख) प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति तथा इससे जुड़ी जैवविविधता;

(ग) बलुई टीले;

(घ) तटीय नमभूमि (नडपलैंड) जहाँ जैविक विविधता हो;

(च) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) या पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अंतर्गत सूचीबद्ध राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री उद्यान, वन्यजीव विहार, संरक्षित वन, वन्यजीव पर्यावास एवं अन्य संरक्षित क्षेत्र;

(छ) नमकीन दलदल;

(ज) कछुआ प्रजनन स्थल;

(झ) हॉर्स शू केकड़े का पर्यावास;

(ट) समुद्री घास का मैदान;

(ठ) पक्षियों के प्रजनन का स्थान;

(ड) पुरातात्विक महत्ता वाला क्षेत्र/संरचना तथा धरोहर स्थल;

ब. ऐसे क्षेत्र जो निम्न प्जार रेखा एवं उच्च प्जार रेखा के मध्य स्थित हैं ।

(ii) सी.आर.जेड.-II.-

ऐसे क्षेत्र जो तटीय रेखा के एकदम निकट विकसित या स्थित हों।

व्यष्टीकरण : अव्यवस्थित के प्रयोजनार्थ क्षेत्रों को "विकसित क्षेत्र" कहते हैं यह क्षेत्र नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या यह क्षेत्र कानूनन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जोकि पहले से निर्मित हो चुका है तथा जहाँ उचित जलनिकास प्रणाली एवं सड़कें एवं अन्य आधारभूत ढांचे जैसे जलापूर्ति एवं वाहितमल निकास प्रणाली मौजूद हैं।

(iii) सी.आर.जेड.-III.-

ऐसे क्षेत्र जोकि अभी तक अव्यवस्थित नहीं हैं तथा जिन्हें श्रेणी-I एवं II में शामिल नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत वह तटीय क्षेत्र आता है जो ग्रामीण इलाकों (विकसित एवं अविकसित) में स्थित है और ऐसे क्षेत्र जो नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या यह क्षेत्र कानूनन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जोकि पहले से निर्मित न हुआ हो।

(iv) सी.आर.जेड.-IV.-

- अ. समुद्र की ओर उच्च ज्वार रेखा से बारह नॉटिकल मील दूरी का जलीय क्षेत्र;
- ब. ज्वार से प्रभावित जलाशयों के आसपास का जलीय क्षेत्र जोकि समुद्र की ओर स्थित जलाशय के मुख से ज्वार से प्रभावित क्षेत्र के मध्य आता है। इस दूरी का निर्धारण वर्ष के शुष्क काल में लवणीयता की मात्रा को 5 पार्ट्स पर थाउजेण्ड (पी.पी.टी.) को आधार मानकर किया जाना चाहिए।
- (v) संवेदनशील तटीय पर्यावरण की सुरक्षा और स्थानीय समुदायों द्वारा सामना की गई कठिनाईयों के लिए क्षेत्र जिनका विशेष ध्यान देना आवश्यक है,—
- अ.(i) सी.आर.जेड. क्षेत्र जो ग्रेटर मुम्बई एवं नवी मुम्बई के नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है;
- (ii) केरल राज्य का सी.आर.जेड. क्षेत्र जिसमें बैकवाटर एवं बैकवाटर द्वीप स्थित है;
- (iii) गोवा का सी.आर.जेड. क्षेत्र।
- ब. पश्चिम बंगाल के अत्याधिक संवेदनशील क्षेत्रों (सीवीसीए) और पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील अन्य क्षेत्रों जिनकी पहचान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत की गई है और जिनका प्रबंधन मधुआरा समुदाय सहित तटीय समुदाय द्वारा किया जाता है ;
8. इस अधिसूचना के अंतर्गत स्वीकार्य गतिविधियों के संचालन से संबंधित मानक,—
- (i) विभिन्न श्रेणियों के सीआरजेड में संबंधित सीजेडएमए द्वारा विकास या निर्माण कार्यकलाप निम्नलिखित मानकों के अनुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :—
- टिप्पणी :— विभिन्न विशेषताओं की मौजूदगी या विनियमन या मानकों के संबंध में इसके पश्चात 'मौजूदा उपयोग' शब्द का आशय 19.2.1991 को इन विशेषताओं या विनियमनों या मानकों की मौजूदगी होगा जिस समय सीआरजेड अधिसूचना, अधिसूचित की गई थी ।
- I. सी.आर.जेड.— I,—
- (i) निम्न को छोड़कर किसी प्रकार की नई निर्माण प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जाएगी :
- (अ) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजना;
- (ब) पाइपलाइन, संप्रेषण प्रणाली जिसमें ट्रांसमिशन लाइन भी सम्मिलित है;
- (स) सी.आर.जेड.—I में अनुमति प्राप्त गतिविधियों के लिए आवश्यक सुविधाएं;
- (द) भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवातों एवं तूफानों की गति तथा पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए स्थापित मौसमीय राडार;
- (य) एल.टी.एल. एवं एच.टी.एल. के मध्य, ज्वारीय प्रवाह को नुकसान पहुंचाए बिना, अवस्तंभ या खम्भों पर ट्रांसहार्बर समुद्री मार्ग या सड़क का निर्माण;
- (र) नवी मुम्बई में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास एवं इससे जुड़ी निर्माण संबंधी गतिविधियां;
- (ii) एल.टी.एल. एवं एच.टी.एल. के मध्य के ऐसे क्षेत्र, जो पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील न हो तथा

महत्वपूर्ण हो, में निम्न गतिविधियों को करने की अनुमति है अर्थात्—

- (अ) प्राकृतिक गैस का उत्खनन एवं निष्कर्षण;
- (ब) संबंधित सी.जेड.एम.ए. से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् संरक्षित बायोस्फियर में निवास करने वाले पारंपरिक समुदाय की आवश्यकता हेतु चिकित्सालय, विद्यालय, सार्वजनिक आवासीय भवन, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़क, जेट्टी, जलापूर्ति व्यवस्था, जलनिकास प्रणाली, वाहित मल के निकास की व्यवस्था इत्यादि का निर्माण ।
- (स) यदि ऐसे क्षेत्र खतरनाक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे विकासात्मक गतिविधियों की अनुमति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए;
- (द) समुद्री जल का वाष्पीकरण करके नमक बनाने की विधि;
- (य) डिसेलिनेशन संयंत्र;
- (र) पूर्वनिर्धारित बंदरगाहों पर खाद्य तैल, उर्वरकों एवं खाद्य सामग्री जैसे खतरे से रहित पदार्थों का भण्डारण;
- (ल) ज्वारीय प्रवाह को नुकसान पहुंचाए बिना, अवस्तंभ या खम्भों पर ट्रांसहाबर् समुद्री मार्ग या सड़क का निर्माण;

II. सी.आर.जेड.-II,-

- (i) पहले से निर्मित सड़कों के भूमि की ओर या किसी प्राधिकरण से संबंधित भवनों की भूमि की ओर ही भवन बनाने की अनुमति दी जाएगी ।
- (ii) वे भवन जिन्हें, पहले से निर्मित या प्रस्तावित सड़कों और पहले से निर्मित किसी प्राधिकरण से संबंधित भवनों के भूमि की ओर, बनाए जाने की अनुमति देना स्थानीय शहरी या देश के नियोजन, जिसके अंतर्गत फ्लोर स्पेस इण्डेक्स/फ्लोर एरिया रेशियो से संबंधित 'पूर्वनिर्धारित' नियम भी शामिल हैं, के अधिकार क्षेत्र में होगा ।
बशर्ते कि समुद्र की ओर पहले से निर्मित सड़क पर बनी किसी नई सड़क की ओर की भूमि पर किसी भी प्रकार के भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।
- (iii) नए भवनों का निर्माण एवं उसकी संरचना आसपास के भूआकारिकी एवं स्थानीय अवसंरचना की तरह होनी चाहिए;
- (iv) अधिसूचना के संलग्नक-II में वर्णित नियमों के अनुसार ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा तरल प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं भण्डारण के साथ-साथ तरल पैरा 2 (ii) में दिए गए नियम के अनुसार प्राकृतिक गैस के पुनः गैसीकरण की सुविधाएं;
- (v) डिसेलिनेशन संयंत्र एवं इससे जुड़ी अन्य सुविधाएं;
- (vi) पूर्वनिर्धारित बंदरगाहों पर खाद्य तैल, उर्वरकों एवं खाद्य सामग्री जैसे खतरे से रहित पदार्थों का

भण्डारण;

(vii) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन करने व इससे जुड़ी सुविधाएं;

III. सी.आर.जेड.-III.-

अ. समुद्र के सामने और प्वासीय लहरों से प्रभावित जलाशयों या खाड़ी की चौड़ाई, जो भी कम हो, के किनारे 100 मी. और एच.टी.एल. से 200 मीटर तक भूमि की ओर के क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड)"; के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

(i) किसी अधिसूचित बंदरगाह सीमाओं में आने वाले ऐसे क्षेत्रों में एनडीजेड लागू नहीं होगा।

(ii) पूर्व में निर्मित प्राधिकृत संरचनाओं में पूर्वनिर्धारित फ्लोर स्पेस इण्डेक्स, प्लिन्थ एरिया एवं घनत्व में बिना परिवर्तन किए, उनकी मरम्मत या पुनर्निर्माण तथा इस अधिसूचना में लिखित आवश्यक गतिविधियों से संबंधित सुविधाओं के निर्माण सी फ्रंट के साथ-साथ एचटीएल से 100 और 200 मीटर के बीच मधुआरा समुदायों सहित परंपरागत तटीय समुदायों की आवासीय इकाइयों के निर्माण/पुनः निर्माण की अनुमति होगी जिसे मधुआरा समुदाय सहित परंपरागत तटीय समुदायों के साथ परामर्श कर और आवश्यक आपदा प्रबंधन प्रावधान, स्वच्छता तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए संबंधित राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सीजेडएमए से एनसीजेडएमए की सिफारिश पर शुरू किया जाएगा।

(iii) हालांकि एनडीजेड में निम्न गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है: -

(क) कृषि, शाक-भाजी उत्पादन, बगीचे की व्यवस्था, बंदरगाह, पार्क खेलने का मैदान, वन;

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं;

(ग) दुर्लभ पोषक तत्वों का खनन;

(घ) समुद्री जल से नमक बनाना;

(ङ) अधिसूचना के संलग्नक-II में वर्णित नियमों के अनुसार ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा तरल प्राकृतिक गैस के परिवहन एवं भण्डारण;

(च) पैरा 2 के उप पैरा (ii) में दिए गए नियम के अनुसार प्राकृतिक गैस के पुनः गैसीकरण की सुविधाएं;

(छ) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन करने की सुविधाएं;

(ज) डिसेलिनेशन संयंत्र एवं इससे जुड़ी सुविधाएं;

(झ) मौसमीय रडार की स्थापना;

(ञ) संबंधित सी.जेड.एम.ए. से अनुमति प्राप्त स्थानीय समुदाय की आवश्यकता हेतु धिकित्सालय, विद्यालय, सार्वजनिक आवासीय भवन, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़क, जेदटी, जलापूर्ति व्यवस्था, जलनिकास प्रणाली, वांछित मल के निकास की व्यवस्था इत्यादि का निर्माण एवं विकास की

अनुमति दी जाएगी ।

(ट) घरेलू वाहित मल, उपचार एवं निस्तारण के लिए बनाए जाने वाली इकाइयों या संबंधित निकायों हेतु प्रदूषण नियंत्रण परिषद्/समिति की ओर से मंजूरी प्रमाण पत्र अवश्य होना चाहिए;

(ठ) स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे मछलियों को सुखाने के लिए प्रांगण, नीलामी के लिए एक हॉल, पारंपरिक नौका निर्माण संबंधी प्रांगण, बर्फ संयंत्र बर्फ तोड़ने की इकाई, मछलियों के उपचार से संबंधित सुविधाएं इत्यादि।

(ड) पहले से अनुमित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास केवल नवी मुंबई में ।

ब. 200 मीटर से 500 मीटर तक का क्षेत्र:

उपरोक्त क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियां अनुमित होंगी;

(i) अनुबंध-III के दिशा-निर्देशों में यथाविदिष्ट शर्तों के अध्यधीन, नामोदिदष्ट क्षेत्रों में पर्यटकों/आगन्तुकों हेतु होटल/समुद्र तटीय रिसॉर्ट इत्यादि के निर्माण हेतु खाली प्लॉटों का विकास ;

(ii) संलग्नक-II में वर्णित नियमों के अनुसार ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा द्रवित प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और उसके भण्डारण हेतु सुविधाएं;

(iii) अनुच्छेद 2 (ii) के उप-अनुच्छेद (ii) में यथावर्णित शर्तों के अनुसार द्रवित प्राकृतिक गैस के पुनः गैसीकरण की सुविधाएं;

(iv) अधिसूचित बंदरगाहों पर खाद्य तेल, उर्वरकों एवं खाद्य सामग्री जैसे खतरे से रहित पदार्थों का भण्डारण;

(v) डिसेलिनेशन संयंत्र एवं इससे जुड़ी सुविधाओं हेतु तटग्र सुविधाएं;

(vi) गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए सुविधाएं;

(vii) आवासीय इकाइयों का निर्माण अथवा पुनर्निर्माण जबतक कि वह पारंपरिक अधिकारों और उपयोगों जैसे मौजूदा गांवों और गोथान्स की परिधि के अंदर हैं । ऐसे निर्माण अथवा पुनः निर्माण हेतु निर्माण अनुमति, दो तलों (भूतल+ एक तल) सहित 9 मीटर तक अधिकतम ऊंचाई के निर्माण की समग्र ऊंचाई सहित स्थानीय नगर और शहर आयोजना नियमावली की शर्तों के अध्याधीन होगी;

(viii) सी जेड एम ए द्वारा वर्षा से बचने के लिए सार्वजनिक स्थलों, सामुदायिक शौचालयों, जलापूर्ति व्यवस्था, वाहितमल निस्तारण संबंधी व्यवस्था, सड़क एवं पुलों का निर्माण । यह प्राधिकरण, यदि निर्माण हेतु अन्य स्थान उपलब्ध नहीं है तो सी.आर.जेड. के अंतर्गत आने वाले अधिकतर पंचायतों में निवास करने वाले स्थानीय लोगों के लिए स्कूल एवं चिकित्सालय के निर्माण की भी अनुमति प्रदान कर सकता है;

(ix) उप-अनुच्छेद (vii), (vii) के अध्याधीन मौजूदा प्राधिकृत भवन का पुनः निर्माण अथवा उसमें परिवर्तन ;

(x) पहले से अनुमित ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का विकास केवल नवी मुंबई में;

IV. सी.आर.जेड.- IV के. में,-

स्थानीय समुदायों द्वारा की गई पारंपरिक मत्स्यन और संबंधित गतिविधियों को छोड़कर निम्नवत समुद्र और ज्वारीय प्रभावित जलाशयों पर आरोपित गतिविधियों को विनियमित किया जाएगा ;

अ. एक्वाकल्चर प्रचालनों सहित सभी गतिविधियों से उत्पन्न अशोधित मल जल, बहिस्त्राव, बैलास्ट वाटर शिप वाशेज, फ्लाई ऐश अथवा ठोस अपशिष्ट को डालना या फेंकना नहीं चाहिए । पारंपरिक तटीय समुदायों, पारंपरिक मछुआरा समुदायों सहित पणधारियों से परामर्श में एक वर्ष की अवधि के अंदर तटीय कस्बों और शहरों में उत्पन्न हो रहे मल जल के शोधन हेतु वृहत् योजना तैयार और कार्यान्वित की जाएगी;

ब. तेल और गैस अन्वेषण और ड्रिलिंग, खनन, बोट हाऊस और पोत-परिवहन से प्रदूषण;

स. स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक मत्स्य और संबंधित गतिविधियों पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

V. ऐसे क्षेत्र जिनपर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है,-

1. ऐसे सी.आर.जेड. क्षेत्र जो ग्रेटर मुंबई के नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है ।

(i) अशोधित बहिस्त्रावों के निस्तारण और ठोस अपशिष्ट के निपटान के कारण कच्छ वनस्पति वनों का अवक्रमण, संकरी खाड़ी और तटीय जलों का प्रदूषण से संबंधित पर्यावरणीय मुद्दों के कारण ग्रेटर मुंबई के सी आर जेड क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियां, समाज के निर्धन वर्ग को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता और ग्रेटर मुंबई के अंतः संयोजित द्वीपों में उपयुक्त विकल्पों की कमी को निम्नवत् विनियमित किया जाएगा, अर्थात्:-

अ. मार्गों का निर्माण- अधिसूचना के पैरा 7 के उप-पैरा (i) में दर्शाए गए अनुसार सी आर जेड-I क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित गतिविधियां आरंभ की जा सकती हैं :-

अ. ग्रेटर मुंबई के विकासात्मक योजना में मार्गों, एप्रोच मार्गों और मिसिंग लिंक मार्गों का निर्माण, यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्वारीय जल का मुक्त प्रवाह प्रभावित न हो, ऐसे निर्मित मार्गों अथवा एप्रोच मार्गों के भू क्षेत्र पर सी आर जेड-II को प्राप्त किसी लाभ के बिना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

(i) सभी मैंग्रोव क्षेत्रों का मापन किया जाएगा और सुरक्षित वनों के रूप में अधिसूचित किया जाएगा तथा पहचान किए गए मैंग्रोव क्षेत्रों में आवश्यक सुरक्षा और संरक्षण उपाय शुरू किए जाएंगे ।

(ii) सी आर जेड क्षेत्र के बाहर ठोस अपशिष्ट स्थलों की पहचान की जाएगी और उसके पश्चात दो साल के भीतर मौजूदा कन्वेंशन ठोस अपशिष्ट स्थलों को सी आर जेड क्षेत्र के बाहर ले जाया जाएगा ।

(iii) निर्माण प्रक्रिया के दौरान नष्ट किए गए/काटे गए कच्छ वनस्पति वनों का पांच गुणा रोपण किया जाएगा ।

(iii) सी आर जेड -II क्षेत्रों में-

अ. नगर और शहर योजना विनियम जैसे कि तारीख 19.2.1991 की अधिसूचना जारी होने की तारीख

को थे, में दिए गए मानकों के अनुसार विकास और जीर्णोद्धार तबतक निरंतर जारी रहेगा, जब तक कि त्वरित अधिसूचना में इसे अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।

ब. झुग्गी पुनर्वास स्कीमें, —

1. ग्रेटर मुंबई क्षेत्र में बड़ी संख्या में झुग्गी बस्तियां हैं जिनमें लाखों परिवार रहते हैं। इन झुग्गी बस्तियों की जीवन दशाएं बहुत खराब हैं और नागरिक अभिकरण यहां पेयजल, बिजली, सड़कों, नालियों आदि जैसी आधारभूत अवसंरचना उपलब्ध कराने में असमर्थ है। झुग्गी अनियोजित और घनी बसी हैं। इसके अतिरिक्त बचाव राहत और खाली करने की दृष्टि से होने वाली परेशानियों के मद्देनजर तटीय क्षेत्रों की झुग्गी बस्तियों को चकवात, तूफान अथवा सुनामी का बहुत खतरा है।
2. इसलिए झुग्गी बस्ती के निवासियों को सुरक्षित और उपयुक्त निवास स्थान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार सीधे या अपनी सहायक एजेंसियों जैसे महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम एच ए डी ए), शिवशाही पुनर्वासन प्रकल्प लिमिटेड (एस पी पी एल), मुंबई मेट्रोपोलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (एम एम आर डी ए) आदि के माध्यम से झुग्गी बस्ती पुनर्विकास स्कीमें कार्यान्वित कर सकती है:

बशर्ते कि :-

- (i) ऐसी पुनर्विकास स्कीमें यह सुनिश्चित करते हुए कि इसमें राज्य सरकारों या उनके सहायक निकायों का अंश 51% से कम न हो, सीधे या संयुक्त रूप से या सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी अथवा ऐसे समान मॉड्यूल से शुरु की जाएंगी।
- (ii) ऐसी जीर्णोद्धार स्कीमों के लिए प्लोर स्पेस इन्डेक्स या प्लोर एरिया अनुपात सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को दी गई मंजूरी की तारीख को मौजूद नगर और शहर योजना विनियम के अनुसार होगा।
- (iii) शर्त (1) (i) के माध्यम से राज्य सरकार सहित यहां सुनिश्चित करने के लिए कि कानूनी रूप से विनियमित सभी किरायेदारों को अपने स्थान पर अथवा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा दिए गए मानकों के अनुसार मकान उपलब्ध कराए गए हैं, उनके साथ पुनर्विकास शुरु करना परियोजना प्रस्तावक की जिम्मेदारी होगी।

स. जीर्ण-शीर्ण, उपकर आधारित और असुरक्षित भवनों का पुनर्निर्माण :

1. ग्रेटर मुंबई में भी सी आर जेड क्षेत्रों में जीर्ण-शीर्ण, उपकर आधारित और असुरक्षित भवन हैं और अपनी स्थिति के कारण ये ढांचे अत्यंत असुरक्षित और आपदा की संभावना वाले हैं इसलिए इन अभिनिर्धारित भवनों का जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण अत्यंत आवश्यक है।
2. ये परियोजनाएं निम्नलिखित शर्तों और सुरक्षा उपायों के अध्वधीन शुरु की जाएंगी :

- (i) इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख पर यथा अभिज्ञात ऐसी पुनर्विकास / पुनर्निर्माण परियोजनाएं इन भवनों के मालिकों या निजी डेवलपर्स को शामिल करते हुए मौजूदा विनियम के अनुसार सीधे या संयुक्त रूप से या अन्य समान मॉड्यूल्स के माध्यम से शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
 - (ii) ऐसी जीर्णोद्धार स्कीमों के लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स या फ्लोर एरिया अनुपात सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना को दी गई मंजूरी की तारीख को मौजूद नगर और शहर योजना विनियम के अनुसार होगा।
 - (iii) उपर्युक्त शर्त (1) के माध्यम से पुनर्निर्माण शुरू करते समय परियोजना प्रस्तावकों द्वारा भवनों के जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण के दौरान विशिष्ट भवनों के वास्तविक किराएदारों के लिए उचित आवास सुनिश्चित किया जाएगा।
- द. इस अधिसूचना में कहीं भी, कुछ भी शामिल होने के बावजूद उपर्युक्त पैरा ब और स में विशिष्ट रूप से दी गई झुग्गी बस्तियों और जीर्ण-शीर्ण, उपकर आधारित और असुरक्षित भवनों के लिए विकासात्मक कार्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा उसमें बताए गए जवाबदेह और पारदर्शी ढंग से पूरे किए जाएंगे, जिसमें जहां भी लागू हो, निम्नलिखित शर्त-पूर्व उपाय शामिल होंगे :-
- 1(i). सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी दी गई सभी जीर्णोद्धार/पुनर्निर्माण परियोजनाओं के लिए आर टी आई अधिनियम, 2005 की अनुप्रयोज्यता।
 - (ii). पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सी पी आई ओ और महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से उपर्युक्त रैंक के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के गठन हेतु आदेश जारी करेगा।
 - (iii). इसे अनुमोदित करने से पहले एक महीने के अंदर महाराष्ट्र सरकार में उपर्युक्त प्राधिकरण द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन की धारा 4 की आवश्यकता के रूप में पूर्ण प्रस्ताव और पात्र झुग्गी वासियों के नामों सहित झुग्गी बस्ती पुनर्वास योजना का ब्यौरा, स्वप्ररेणा से घोषित किया जाएगा;
 - (iv) उप अनुच्छेद V के खंड (iii) के उप खंडों (ब) और (स) में दर्शायी गई परियोजनाओं के संबंध में राज्य सरकार में कार्यान्वयन अथवा कार्यकारी अभिकरण, स्थल और कार्यान्वयन अथवा कार्यकारी अभिकरण के कार्यालय में बड़े नोटिस बोर्डों पर पात्र भवन-निर्माता, बनाई जा रही कोठरियों की कुल संख्या, पात्र झुग्गी वासियों के नाम जिन्हें आवासीय इकाइयां प्रदान की जानी हैं और खुले बाजार में बिक्री के लिए उपलब्ध अतिरिक्त क्षेत्र दर्शाए जाएंगे।
 - (v) यदि परियोजना प्रस्तावक सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु सहमत होते हैं केवल तभी उप-अनुच्छेद V के खंड (iii) के उपखंडों (ब) और (स) के अंतर्गत विकसित की जा रही परियोजनाओं को अनुमति दी जाएगी।
2. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय सांविधिक परीक्षकों को नियुक्त करे, जो नियंत्रक और लेखा परीक्षक (इसमें इसके पश्चात् नि. और ले.प. के रूप में उल्लिखित) द्वारा जीर्ण-शीर्ण, उपकर आधारित और असुरक्षित भवनों के पुनर्विकास से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में कार्य-निष्पादन और वित्तीय लेखा-परीक्षा करने के लिए रखे गए हैं और झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास स्कीम से संबंधित परियोजनाओं की लेखा-परीक्षा, नि. और ले.प. द्वारा की जाएगी।

3. महाराष्ट्र सरकार द्वारा V(iii)(ख) और (ग) के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की स्थापना करना, जिसमें स्थानीय शहरीनिकायों, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विभिन्न स्टेक होल्डरों, वास्तुविदों, शहरी योजनाकारों, इंजीनियरों और नागरिक समाज के ख्याति प्राप्त प्रतिनिधि शामिल होंगे।
4. V(iii)(ख) और (ग) के अंतर्गत वैयक्तिक परियोजनाएं केवल जन परामर्श के बाद शुरू की जाए जिसमें केवल कानूनी रूप से अधिकृत झुग्गी वासी अथवा विध्वंस/बंद भवन के कानूनी रूप से अधिकृत किरायेदारों से ईआईए अधिसूचना 2006 में निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार विचार प्राप्त किए जाएं।

(य) ग्रेटर मुंबई क्षेत्र के 'ग्रीनलंग' की सुरक्षा और परिरक्षा के लिए सभी खुले स्थानों, पार्कों, उद्यानों, सी आर जेड-II के अंदर की विकास योजनाओं में निर्धारित क्रीडास्थलों को सी आर जेड-III, जोकि 'नो डेवलपमेंट जोन' है, के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(र) नागरिक सुविधाओं, मनोरंजन और खेलकूद से संबंधित कार्यों के लिए स्टेडियम, जिम्नाजियम आदि निर्माण के लिए ही 15% फ्लोर स्पेस इंडेक्स की अनुमति होगी। ऐसे खुले स्थानों के आवासीय या वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति नहीं होगी।

(ल) 1981 की विकास योजना और महाराष्ट्र सरकार के संबंधित रिकार्डों में अभिनिर्धारित मछुआरा बस्ती क्षेत्र नामतः कोलीवाड़ा सीआरजेड III के रूप में मानचित्रित और घोषित किए जाए जिसमें इन बस्तियों का निर्माण और पुनर्निर्माण स्थानीय नगर और शहर योजना विनियमों के अनुसार किया जाए।

(व) राज्य सरकार द्वारा पहचान किए गए मछुआरा समुदायों और अन्य स्थानीय समुदायों से संबंधित आवासीय ईकाइयों के पुनर्निर्माण और मरम्मत कार्यों के बारे में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर विचार किया जाएगा और उपयुक्त नगर और शहर योजना विनियमों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।

2. केरल का सी.आर.जेड

केरल के तटीय क्षेत्रों में मौजूद स्थान सीमा सहित बैकवाटर और बैकवाटर द्वीप समूह के अद्वितीय तटीय व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सी.आर.जेड.में निम्नलिखित कार्यकलाप विनियमित किए जाएं, नामतः

(i) केरल के बैकवाटर में स्थित समस्त द्वीप सी.आर.जेड अधिसूचना के अंतर्गत आने चाहिए।

(ii) बैकवाटर में मौजूद द्वीप के पास भूमि की ओर उच्च ज्वार रेखा से लेकर 50 मीटर तक का सी.आर.जेड. क्षेत्र होना चाहिए।

(iii) एच.टी.एल. से 50 मीटर के अंतर्गत स्थित स्थानीय समुदायों के आवासीय स्थल की

मरम्मत या इसका पुर्न निर्माण किया जा सकता है। किसी प्रकार का नवीन निर्माण इस क्षेत्र में नहीं होगा।

(iv) भूमि की ओर एच.टी.एल. से 50 मीटर दूरी के बाद स्थित स्थानीय समुदायों के आवासीय स्थल का निर्माण स्थानीय पंचायत की आज्ञा के बिना नहीं किया जा सकता।

(v) फोरशोर सुविधाएं जैसे मछली पकड़ने के लिए जेट्टी, मछली सुखाने के लिए निश्चित स्थान का निर्माण, पारंपरिक तरीके से किया जाने वाला मत्स्य प्रसंस्करण, नौका निर्माण के लिए स्थान, नौका की मरम्मत इत्यादि कार्य इस बैकवाटर द्वीप समूहों के एचटीएल से 0-50 मीटर के अंदर ही हो सकते हैं।

3. गोवा का सी.आर.जेड.

गोवा राज्य के पूर्व इतिहास और अन्य विकासों सहित विशिष्ट परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में विशेष कार्यकलाप विनियमित किए जाएं और निम्नलिखित विभिन्न उपाय किए जाएं।

(i) गोवा सरकार मछुआरा गांवों को अधिसूचित करेगी जहां सी आर जेड में मत्स्य पालन एवं इससे संबंधित गतिविधियों के लिए आवश्यक अन्य प्रकार की सुविधाएं जैसे पारंपरिक तरीके से किया जाने वाले मत्स्य प्रसंस्करण की प्रक्रिया संबंधी स्थान, नौका निर्माण/मरम्मत के लिए स्थान, बर्फ को संग्रह करने का स्थान, निलामी संबंधी हॉल, जेट्टी इत्यादि ग्राम पंचायत द्वारा अनुमत किया जा सकता है।

(ii) सी.आर.जेड. में स्थानीय समुदायिक संरचनाओं के निर्माण एवं मरम्मत की गतिविधि की अनुमति दी जानी चाहिए।

(iii) सितम्बर से मई माह के बीच परंपरागत रूप से पूर्णतः अस्थायी और मौसमी निर्माण;

(iv) ऐसे इको संवेदनशील निचले क्षेत्रों, जोकि ज्वार से प्रभावित होते हैं तथा जिन्हें खलान भूमि भी कहते हैं का नक्शा बनाना चाहिए।

(v) इस खलान भूमि के आसपास स्थित मैन्ग्रूव वनों की सुरक्षा की जानी चाहिए तथा इन क्षेत्रों के प्रबंधन से संबंधित एक योजना का विकास भी किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की विकासात्मक गतिविधियों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

(vi) खाड़ियों एवं झीलों के आसपास स्थित बलुई टीलों व तटीय विस्तारों का सर्वेक्षण कर नक्शा तैयार किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार की गतिविधियों की अनुमति इस क्षेत्र में नहीं दी जानी चाहिए।

(vii) मैङ्ग्रेम, मोरीजिम, गालगिवा और अगोंडा जैसे तटीय क्षेत्रों के कछुओं के निवास स्थान के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के अंतर्गत उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है। इन क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जाएगा और कछुओं के निवास स्थान वाले इन स्थानों की सुरक्षा के लिए प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी।

(viii) उप-अनुच्छेद (vi) में उल्लिखित कछुआ प्रजनन क्षेत्रों में विकासात्मक कार्यकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. (अ) अत्यंत संवेदनशील तटीय क्षेत्र नगर और शहर योजना (सी वी सी ए) जिसमें सुन्दरबन तथा अन्य पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र शामिल हैं जिन्हें मछुआरों सहित स्थानीय तटीय समुदायों की भागीदारी के साथ प्रबंधित किया जाए।

(ब) समस्त सुन्दरबन कच्छवनस्पति क्षेत्र एवं अन्य अभिनिर्धारित पारिस्थितिकीय रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे गुजरात में खम्बाट की खाड़ी एवं कच्छ की खाड़ी, मलवन, महाराष्ट्र में अचरा-रत्नागिरी, कर्नाटक में करवर एवं कुण्डापुर, केरल में वेम्बानाद, उड़ीसा में भैतरकनिका, आन्ध्र प्रदेश में कोरिन्ना, पूर्व गोदावरी एवं कृष्णा को स्थानीय मछुआरों और क्षेत्र में रहने वाले अन्य समुदाय जो कि अपनी आजीविका के लिए इसके संसाधनों पर निर्भर करते हैं, के साथ विचार-विमर्श के द्वारा और तटीय संसाधनों और पर्यावासों के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अत्यंत संवेदनशील तटीय क्षेत्र (सीवीसीए) घोषित किया जाना चाहिए।

(स) सी वी सी ए की आयोजना, अधिसूचना, करने और कार्यान्वयन के अभिज्ञान की प्रक्रिया उन दिशानिर्देशों में वर्णन की जाएगी जो राज्य सरकार, स्थानीय तटीय समुदायों और क्षेत्र में बसे मछुआरों जैसे पणधारियों के परामर्श से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विकसित एवं अधिसूचित किए जाएंगे।

(द) ऐसे सी वी सी ए के लिए तैयार किए गए एकीकृत प्रबंधन योजनाएं (आई एम पी) अन्य बातों के साथ-साथ कच्छ वनस्पति के संरक्षण एवं प्रबंधन, औषधालयों, स्कूलों, वर्षा से बचने के लिए सार्वजनिक शरण स्थल, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़क जैट्टी, जलापूर्ति जलनिकास प्रणाली, सीवरेज जैसी स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा समुद्री जल स्तर में वृद्धि होने और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले प्रभावों का भी ध्यान रखेंगी।

आई एम पी को सी जेड एम पी की तैयारी के लिए उपर्युक्त पैरा 5 के अनुरूप तैयार किया जाएगा।

(य) मछुआरों सहित तटीय समुदायों के विचारों के दृष्टिगत सी जेड एम ए द्वारा जब तक आई एम वी अनुमोदित और अधिसूचित किया जाता है, तब तक पारंपरिक निवासियों के लिए अपेक्षित स्वास्थ्य केंद्र, विद्यालय, वर्षा से बचाव के आश्रय स्थल, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़के, जेट्टी, जलापूर्ति, जल निकास प्रणाली, सीवरेंज की मामला दर मामला आधार पर मंजूरी दी जा सकेगी ।

[फा. सं. 11-83/2005-आईए-III]

ज. मो. माऊसकर, अपर सचिव

संलग्नक I

तटीय जोन प्रबंधन योजना को तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश

I. अ. उच्च ज्वार रेखा का चिन्हांकन

1. नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल (एन. सी. एस. सी. एम.) की संस्तुतियों के आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से किसी एक संस्था को उच्च ज्वार रेखा (एच.टी.एल.) और निम्न ज्वार रेखा (एल.टी.एल.) को चिन्हांकित करना होगा।
2. एच.टी.एल./एल.टी.एल. का चिन्हांकन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा चयनित संस्थाओं द्वारा निर्मित तटीय जोन प्रबंधन (सी.जेड.एम.) मानचित्र जोकि 1:25,000 पैमाने के माप के अनुसार है, पर करना होगा।
3. स्थानीय निकायों के अधिकारियों द्वारा सी.आर.जेड. को चिन्हांकित करने के लिए स्थानीय स्तर पर सी.एम. जेड. मानचित्र का निर्माण करना होगा।
4. केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता दिये गये सी.जेड.एम. मैप के अनुसार ही कैंडेस्ट्रल पैमाने पर स्थानीय सी.जेड.एम. मानचित्र तैयार किये जायेंगे।

ब. सी.जेड.एम. मानचित्र का निर्माण:

5. 1:25,000 पैमाने का आधार मानचित्र सर्वे ऑफ इण्डिया (एस.ओ.आई.) से लिया जायेगा। यदि 1:25,000 पैमाने का मानचित्र उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में आधार मानचित्र के रूप में 1:50,000 पैमाने के मानचित्र को 1:25,000 तक बड़ा करके प्रयोग किया जायेगा। इन मानचित्रों के विशिष्ट मानक निम्नांकित मानकों के अनुरूप होंगे।

ईकाई : 7.5 मिनट x 7.5 मिनट

अंकन : सर्वे ऑफ इण्डिया की सीट के साख्यांकन के अनुसार

क्षैतिज : एवरेस्ट या डब्ल्यू.जी.एस. 84

ऊर्ध्वाधर : मीन सी लेवल (एम.एस.एल.)

स्थलाकृति : एस.ओ.आई मानचित्र की स्थलाकृति को आधुनिक सेटलाइट इमेजेनरी एरियल फोटोग्राफ्स उपयोग करते हुए अद्यतन बनाना

6. आधार मानचित्र पर चिन्हांकित उच्च जल स्तर (एच.डब्ल्यू.एल.) तथा निम्न जल स्तर (एल.डब्ल्यू.एल.) को सी.जेड.एम. मानचित्र पर हस्तांतरित किया जायेगा।

7. सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुसार एच.टी.एल./एल.टी.एल. को चिन्हांकित करने के लिए एच.डब्ल्यू.एल./एल.डब्ल्यू.एल. में उचित समायोजन हेतु फील्ड/सेटेलाइट इमेजरी/एरियल फोटोग्राफ में तटीय भू-आकृतिकीय चिन्हों का प्रयोग किया जायेगा।

8. एच.टी.एल./एल.टी.एल. को चिन्हांकित करते समय निम्नांकित भू-आकृतिकीय विशेषताओं को ध्यान में रखा जायेगा।

बलुई समुद्री तट के संदर्भ में स्थल की ओर (मानसूनी) का शिरा
पत्थर, समुद्रगत भूमि, खड़ी घट्टानें
समुद्र तटबंध/रिवीटमेन्ट/तटबंध

9. एच.टी.एल. के लिए 500 मी. और 200 मी. की रेखा को चिन्हांकित किया जायेगा।

10. एच.टी.एल. (जैसाकि सी.आर.जेड. अधिसूचना में परिभाषित है) और एल.टी.एल. को भी सी.जेड.एम. मानचित्र में भू-आकृतिकीय विज्ञान चिन्हों/विशेषताओं के माध्यम से ज्वार द्वारा प्रभावित होने वाले अर्न्तस्थलीय जल स्रोतों के किनारों के चारों ओर चिन्हांकित किया जायेगा।

11. सी.आर.जेड. अधिसूचना के अनुसार विभिन्न समुद्रतटीय क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जायेगा।

12. आंकड़ों के उप-वर्गीकरण को प्रकट करने के लिए मानक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय रंग कोडों को प्रयोग किया जायेगा।

स. स्थानीय सी.जेड.एम. मानचित्र:

स्थानीय सी.जेड.एम. मानचित्र, तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को क्रियान्वित करने के लिए स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं के प्रयोग हेतु है।

13. भूकर (ग्रामीण) मानचित्र जोकि 1:3960 या इसके नजदीकी पैमाने पर होंगे, को आधार मानचित्रों के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

14. ये मानचित्र राजस्व प्राधिकरणों के पास उपलब्ध होते हैं और मानकों के अनुरूप तैयार किये जाते हैं।

15. एच.टी.एल. (जैसाकि सी.आर.जेड. अधिसूचना में परिभाषित है) और एल.टी.एल. को भी भूकर मानचित्र में विस्तृत भौतिक सत्यापन के आधार पर चिन्हांकित किया जायेगा। इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त सी.जेड.एम. मानचित्रों के अनुसार तटीय भू-आकृतिकीय विज्ञान चिन्हों/विशेषताओं का प्रयोग किया जायेगा।

16. एच.टी.एल. चिन्ह के अनुसार 500 मी. और 200 मी. की सीमा रेखा का चिन्हांकन किया जायेगा।

17. एच.टी.एल. (जैसाकि सी.आर.जेड. अधिसूचना 1991 में परिभाषित है) और एल.टी.एल. को भी भू-आकृतिकीय चिन्हों/विशेषताओं के माध्यम से ज्वार द्वारा प्रभावित होने वाले अर्न्तस्थलीय जल स्रोतों के किनारों के चारों ओर चिन्हांकित किया जायेगा।

18. परिभाषाओं को सी.जेड.एम. मानचित्रों से स्थानीय सी.जेड.एम. मानचित्रों में स्थानांतरित किया जायेगा।

19. सी.जेड.एम. मानचित्र से सूचकों को लिया जायेगा।

20. सी.जेड.एम. मानचित्र में दिये गये रंग संकेतकों (कोडों) का प्रयोग किया जायेगा।
21. केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से भूकर मानचित्र का सत्यापन किया जायेगा। स्थानीय संस्थाएँ संबंधित राज्य/केन्द्रशासित तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरणों के दिशा-निर्देशन में कार्य करेंगी।

द. जोखिम मापन:

II. सी.आर.जेड. क्षेत्रों का वर्गीकरण

1. सी.जेड.एम. मानचित्र को सी.आर.जेड. अधिसूचना के पैरा 5 जिसमें सी.आर.जेड. I, II, III, IV और V को चिह्नित किया गया है, के अनुसार तैयार किया जायेगा।
2. सी.जेड.एम. मानचित्र, क्षेत्र की भू-उपयोग योजना और सी.आर.जेड. 1 क्षेत्रों की सूची को स्पष्ट रूप से चिह्नित करेगा। पैरा 7(1) ए और बी के तहत सूचीबद्ध सभी सी.आर.जेड.-I क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से चिह्नित, और रंग कोड निर्धारित किये जायेंगे ताकि सभी सी.आर.जेड. क्षेत्रों की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सके।
3. लगभग 1000 वर्ग किमी. से अधिक मैथुन क्षेत्रों के चारों ओर बफर क्षेत्र को अलग रंग से चिह्नित किया जायेगा।
4. बफर क्षेत्र को भी सी.आर.जेड.-I क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा।
5. जोखिम रेखा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा तय की जायेगी और इसे 1:25000 पैमाने के सी.जेड. एम. मानचित्र और भूकर पैमाने के मानचित्र पर चिह्नित किया जायेगा।
6. सी.आर.जेड.-II क्षेत्र वे क्षेत्र होंगे जिन्हें कि इस प्रकार निर्मित किया गया होगा कि कुल प्लॉट में बने हुए निर्मित प्लॉट का अनुपात 50 प्रतिशत से ज्यादा होगा।
7. सी.आर.जेड. क्षेत्रों में, मछुआरा समुदाय के गाँव, उनकी साझा संपत्तियाँ, मछली पकड़ने के घाट, मछली सुखाने के प्लेटफार्म/क्षेत्र, मछुआरा और स्थानीय समुदाय की ढांचागत सुविधाओं जैसे दवाखाना, सड़कें, विद्यालय इत्यादि को अधिकतम पैमाने के मानचित्र पर प्रदर्शित किया जायेगा। राज्य, विस्तार और अन्य जरूरतों, साफ-सफाई, सुरक्षा और आपदा तैयारी सहित मूल सेवाओं के प्रावधान हेतु तटीय मछुआरे समुदायों की दीर्घकालीन आवासीय जरूरतों के लिए विस्तृत जरूरतें तैयार करेगा।
8. उपर्युक्त सूचनीबद्ध के अलावा कोई विकासात्मक कार्यकलाप जोखिम रेखा और 500 मी. अथवा 100 मी. अथवा भूमि की तरफ क्रीक की चौड़ाई पर अनुमेय नहीं किए जाएंगे। मछुआरों सहित स्थानीय समुदायों की आवासीय इकाई का पुनर्वास नहीं किया जायेगा यदि आवासीय इकाई जोखिम रेखा के समुद्र वाली तरफ स्थित है। राज्य सरकार ऐसे स्थानीय समुदायों को प्राकृतिक आपदा से आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध करायेगी।
9. सी.आर.जेड.-IV के जल क्षेत्र जैसे समुद्र, लगून, बैकवॉटर, क्रीक, खाड़ी, इस्चुअरी आदि को स्पष्ट

रूप से चिह्नित किया जायेगा। जल क्षेत्रों के इस प्रकार के वर्गीकरण के लिए नैवल-हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली शब्दावली को इस्तेमाल किया जायेगा।

10. जल क्षेत्रों में मछली पकड़ने के स्थानों तथा मछली प्रजनन क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जायेगा।
11. जल क्षेत्रों में, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जल गुणवत्ता के मानकों के आधार पर, प्रदूषण स्तर को प्रदर्शित किया जायेगा।
12. सी.आर.जेड.-V क्षेत्रों में, भू-उपयोग मानचित्रों को तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में अध्यारोपित किया जायेगा और इसमें सी.आर.जेड. I, II, III, IV को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।
13. समुद्र की ओर के क्षेत्र में मौजूदा प्रमाणीकृत विकास को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।
14. चक्रवात, तूफान और सूनामी के समय बचाव कार्य में सुविधा हेतु चक्रवात से बचने के स्थानों, हवाई पट्टियों और अन्य ढांचागत संरचनाओं जैसे सड़क नेटवर्क को भी सी.जेड.एम. मानचित्र पर स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा।

III. तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना 1991 के अनुसार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदित सी जेड एम पी

1. सी आर जेड अधिसूचना 2011 के तहत सी जेड एम पी तैयार करते समय, सी आर जेड अधिसूचना 1991 के तहत अनुमोदित सी जेड एम पी की तुलना की जाएगी। यदि सी आर जेड अधिसूचना के तहत तैयार किए गए सी जेड एम पी के मामले में यदि यह सी आर जेड अधिसूचना 1991 के तहत तैयार की गई अनुमोदित सी जेड एम पी से भिन्न हो तो, संबंधित सी जेड एम पी द्वारा स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

IV सी जेड एम पी पर जन सुनवाई

IV. सी.जेड.एम.पी. पर जनसमुदाय के मत

- अ. ड्राफ्ट सी.जेड.एम.पी. का, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के तहत लोगों के सुझावों और आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए बड़े स्तर पर प्रचार किया जायेगा। ड्राफ्ट सी.जेड.एम.पी. पर जन सुनवाई संबंधित सी.जेड.एम.पी. द्वारा जिला स्तर पर की जाएगी।
- ब. लोगों के सुझावों और आपत्तियों के आधार पर सी.जेड.एम.पी. का पुनरीक्षण किया जायेगा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।
- स. अनुमोदित सी.जेड.एम.पी. को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, की वेबसाइट, संबंधित राज्य/केन्द्र शासित सी.जेड.एम.पी. की वेबसाइटों पर डाला जायेगा और इसकी मूल प्रति (हार्ड कॉपी) को पंचायत कार्यालय, जिला अधिकारी के कार्यालय आदि में उपलब्ध कराया जायेगा

V. तटीय जोन प्रबंधन योजनाओं का सुधार

1. जब कभी संदेह उत्पन्न हो, संबंधित राज्य अथवा संघ शासित तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण मामले को राष्ट्रीय सतत तटीय जोन केंद्र को भिजवाएगा, जो अद्यतन उपग्रह बिम्बी तथा आधारभूत सत्यता के आधार पर सी जेड एम पी की जांच करेगा ।
2. इसके संशोधित मानचित्र पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को इसके रिकार्ड हेतु भिजवाएं जाएंगे ।

संलग्नक II

पेट्रोलियम व रसायन उत्पादों की सूची जिनके भण्डारण की (सी आर जेड (i) के बजाय सी आर जेड-I(i) अनुमति है

- (i) कच्चा तेल;
- (ii) लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस;
- (iii) मोटर स्प्रीट;
- (iv) कैरोसिन;
- (v) विमान ईंधन;
- (vi) हाई स्पीड डीजल;
- (vii) लुब्रीकेटिंग ऑयल;
- (viii) ब्यूटेन;
- (ix) प्रोपेन;
- (x) कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस;
- (xi) नेपथा;
- (xii) फर्नेस ऑयल;
- (xiii) लो सल्फर हैवी स्टॉक;
- (xiv) लिक्विफाइड नेचुरल गैस;
- (xv) खाद व खाद के उत्पादन हेतु कच्चा माल ।

संलग्नक III

सी. आर.जेड.—III और सी आर जेड II के निर्धारित क्षेत्रों में तट रिसोर्ट/होटल के निर्माण तथा एस.पी.सी. जेड.—III में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बाद सैलानियों/यात्रियों के अस्थाई रूप से ठहरने संबंधी दिशानिर्देश।

I. सैलानियों/यात्रियों के अस्थाई निवास हेतु सी. आर. जेड.—II और III के निर्धारित क्षेत्रों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति के पश्चात् तट रिसोर्ट/होटलों के निर्माण निम्नांकित परिस्थितियों से संदर्भित होंगे:

- क. परियोजना प्रस्तावक, समुद्र की ओर की जोखिम रेखा के 200 मीटर के भीतर और निम्न ज्वार रेखा तथा उच्च ज्वार रेखा के बीच किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगा।
- ख. जोखिम रेखा अथवा उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर से आगे जो भी अधिक हो, प्रस्तावित निर्माण होगा।
- ग. निजी संपत्तियों के चारों ओर पौधों और कांटेदार तारों द्वारा चारदीवारी के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि इनके कारण लोगों की समुद्री किनारे तक पहुँच में कोई व्यवधान न हो।
- घ. रेत के टीलों को समतल नहीं किया जायेगा;
- च. खेल सुविधाओं के लिए, गोल पोस्ट, नेट पोस्ट और लैम्प पोस्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के स्थाई निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
- छ. तहखाने के निर्माण की अनुमति इस आधार पर दी जा सकती है कि प्रस्तावक राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण से इस बात का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा कि निर्माण उस क्षेत्र में भू-गर्भीय जल के मुक्त प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा।
- ज. राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण इस प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से पहले केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का संदर्भ लेगा।
- झ. यद्यपि विकास रहित क्षेत्र में फ्लोर स्पेस इण्डेक्स की गणना के लिए किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है, सम्पूर्ण भू-खण्ड का क्षेत्रफल जिसमें वह भाग भी शामिल होगा जो विकास रहित क्षेत्र के अन्तर्गत आता है को भी ध्यान में रखा जायेगा।
- ञ. भू-खण्ड का कुल क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए तथा सभी मालों (फ्लोर) का कुल ढका हुआ क्षेत्र भूखण्ड के कुल आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात् फ्लोर स्पेस इण्डेक्स 0.33 से अधिक नहीं होना चाहिए। खुला क्षेत्र समतल होगा और उचित वनस्पतियों से आच्छादित होगा;
- ट. निर्माण कार्य आस-पास की स्थलाकृति एवं स्थानीय वास्तुकला शैली के अनुरूप होगा;

- ठ. निर्माण कार्य में छत की कुल ऊँचाई 9 मीटर से ज्यादा नहीं होगी व दो तल से ज्यादा (नीचे का तल व उसके ऊपर का तल) का निर्माण नहीं होगा;
- ड. भूगर्भ जल को उच्च ज्वार रेखा में 200 मी. के नीचे से नहीं लिया जायेगा; 200–500 मी. के जोन में केन्द्रीय/राज्य भू-जल बोर्ड की सहमति से लिया जा सकता है;
- ढ. उच्च ज्वार रेखा के 500 मीटर की दूरी में बालू का खनन, समतल करना या बालू को खोदना केवल बिल्डिंग की बुनियाद, स्वीमिंग पुल को छोड़कर अनुमत नहीं होगा;
- त. परियोजना क्षेत्र में उपचारित उत्प्रवाह, ठोस कचरे, धुँआ तथा शोर के स्तर आदि की गुणवत्ता को सक्षम प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत तथा केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा बनाये गये मानकों के अनुसार होगा;
- थ. बहिस्रावों तथा ठोस कचरे के उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्थायें अवश्य की जानी चाहिए; अशोधित बहिस्राव तथा ठोस कचरे को पानी में या तट पर फेंका या छोड़ा न जाय; तथा कोई भी बहिस्राव/ठोस कचरा समुद्र तट पर छोड़ा नहीं जायेगा इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए;
- द. समुद्र तट पर लोगों की पहुंच को अनुमति देने हेतु किन्हीं दो होटलों/बीच रिसोर्टों के मध्य कम से कम 20 मीटर की चौड़ाई का अन्तराल होना चाहिए। किसी भी स्थिति में कुल अन्तराल 500 मी. से कम नहीं होगा; तथा
- ध. यदि परियोजना में वन भूमि को अपवर्तन उद्देश्यों के लिए शामिल किया जाना है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत, सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसके अलावा केन्द्र व राज्य कानूनों के लागू होने वाली सभी आवश्यकताओं को परियोजना द्वारा पूर्ण किया जायेगा;
- न. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के पर्यटन विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

II. पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों (जैसेकि समुद्री पार्क, मैंग्रूव, प्रवालभित्ति, मछलियों का जनन व पालने का क्षेत्र, वन्यजीव पर्यावास तथा ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्रशासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित किया गया हो) समुद्रतटीय रिसोर्ट/होटलों के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

संलग्नक-IV**सी.आर.जेड. अभिसूचना के अन्तर्गत आने वाली परियोजनाओं को अनुमति प्रदान करने हेतु फार्म I**

प्रमुख जानकारी:

परियोजना का नाम:

विचार किया जाने वाला स्थान या उसका विकल्प:

परियोजना का आकार (कुल क्षेत्रफल के आधार पर):

क्षेत्र का सी.आर.जेड. वर्गीकरण:

परियोजना की अनुमानित लागत:

संपर्क संबंधी जानकारी:

(II) गतिविधि:

1. निर्माण, संचालन या किसी और को परियोजना संबंधी कार्य में शामिल करना जिससे कि उस स्थान (स्थलाकृति, भूउपयोग, जलाशयों में बदलाव आदि) पर भौतिक परिवर्तन हो सकते हैं।

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	तत्संबंधी ब्यौरे (अनुमानित मात्रा / दर, जहां भी संभव हो) सूचना आंकड़ा के स्रोत सहित
1.1 भूउपयोग, भू आवरण अथवा स्थलाकृति में स्थायी या अस्थायी बदलाव जिसमें भूमि उपयोग में बढ़ने वाली तीव्रता भी शामिल है (स्थानीय भूमि उपयोग योजना के आधार पर)		
1.2 अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजना के अनुसार सी.आर.जेड. वर्गीकरण का विवरण ?		
1.3 यदि सी.आर.जेड.-I क्षेत्र में स्थित है?		
1.4 सी.आर.जेड.-I क्षेत्रों से दूरी।		
1.5 यदि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मानचित्रित जोखिम क्षेत्र में स्थित है?		
1.6 यदि क्षेत्र तूफान, सुनामी, ऊँची ज्वाह लहरें, सबडक्शन, भूकंप आदि के लिए संवेदनशील है।		
1.7 यदि क्षेत्र नमकीन पानी के प्रवेश करने के प्रति संवेदनशील है?		
1.8 वर्तमान भूमि, हरित क्षेत्र एवं बिल्डिंगों के लिए अनुमति है?		
1.9 भूमि के नये उपयोग हेतु तैयार करना?		

- 1.10 पूर्व निर्माण जांच जैसे बोरहोल, मृदा परीक्षण?
- 1.11 निर्माण कार्य?
- 1.12 बहाने संबंधी कार्य?
- 1.13 निर्माण कार्य हेतु स्थायी क्षेत्र या निर्माण कार्य के मजदूरों हेतु निवास स्थान?
- 1.14 भूमि के ऊपर की भवन, संरचनाएं या मिट्टी का काम जैसे सीधी आकृतियां, कटाई-भराई या खुदाई
- 1.15 भूगर्भीय कार्य जिसमें खनन या सुरंग बनाना शामिल है?
- 1.16 सुधार (रिक्लेमेशन) संबंधी कार्य?
- 1.17 मिट्टी निकालना/सुधार कार्य/भू-भराव/खुदाई में निकली मिट्टी आदि?
- 1.18 तट से दूरी पर (ऑफशोर) आकृतियाँ?
- 1.19 उत्पादन एवं निर्माण प्रक्रियायें?
- 1.20 वस्तुओं या सामानों के भण्डारण के लिए सुविधायें?
- 1.21 ठोस कचरा या द्रवीय उत्प्रवाह के उपचार या निस्तारण के लिए सुविधायें?
- 1.22 निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए लम्बे समय तक निवास संबंधी सुविधायें?
- 1.23 निर्माण या संचालन के दौरान नई सड़क, रेल या समुद्री ट्रैफिक?
- 1.24 नई रोड, रेल, हवा-जल संबंधी या अन्य परिवहन ढांचे जिसमें नये या बदले हुए मार्ग तथा स्टेशन, पत्तन, हवाई अड्डे आदि शामिल हैं ?
- 1.25 वर्तमान परिवहन मार्गों के बन्द होने या बदले जाने अथवा ऐसे ढांचों जिसके कारण यातायात के संचालन में बदलाव हुआ है ?
- 1.26 नई या परिवर्तित संचार लाइनें या पाईप लाइनें?
- 1.27 अवरोधन, बांध निर्माण, पुलिया बनाना, पुनः संरक्षण अथवा जल बहाव या एक्वेफर के जल तंत्र में बदलाव?
- 1.28 धारा या नदी के पार?
- 1.29 जल को भूगर्भीय अथवा सतही जल स्रोतों से निकाला जाना या स्थानान्तरण?

- 1.30 भू-सतह या जलाशयों में परिवर्तन जिससे जल निकास या बहाव प्रभावित होगा?
- 1.31 निर्माण, संचालन या कार्य ठेके पर देने हेतु लोगों या वस्तुओं का परिवहन?
- 1.32 दीर्घकालिक विखण्डन या ठेके पर कार्य या पुनरोद्धार कार्य?
- 1.33 गतिविधियों के जारी रहने के दौरान पर्यावरण पर पड़ सकने वाले प्रभाव?
- 1.34 एक क्षेत्र में अस्थायी या स्थायी रूप से लोगों का आना?
- 1.35 वाह्य या विदेशी प्रजातियों को क्षेत्र में लाना?
- 1.36 स्थानीय प्रजातियों या आनुवंशिक विविधता की हानि?
- 1.37 कोई अन्य कार्य?

2. परियोजना के संचालन या निर्माण के लिए उपयोग होने वाले प्राकृतिक संसाधन (जैसे कि भूमि, जल, वस्तुएं या ऊर्जा विशेषतः ऐसा कोई संसाधन जोकि अनवीनीकरण या कम आपूर्ति में उपलब्ध हो)

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	तत्संबंधी ब्यौरे (अनुमानित मात्रा / दर, जहां भी संभव हो) सूचना आंकड़ा के स्रोत सहित
2.1 भूमि विशेषतः अविकसित या कृषि योग्य जमीन (हे.)		
2.2 जल (अनुमानित स्रोत एवं प्रतियोगी उपयोगकर्ता) यूनिट: के.एल.डी.		
2.3 खनिज (एम.टी.)		
2.4 निर्माण सामग्री—पत्थर, कुल सामान, बालू/मिट्टी (अनुमानित स्रोत—एम.टी.)		
2.5 वन एवं इमारती लकड़ी (स्रोत—एम.टी.)		
2.6 ऊर्जा के अन्तर्गत विद्युत एवं ईंधन (स्रोत एवं प्रतियोगी उपयोगकर्ता) यूनिट: ईंधन (एम.टी.), ऊर्जा (एम.डब्ल्यू.)		
2.7 कोई अन्य प्राकृतिक संसाधन (उपयुक्त मानक इकाईयों का प्रयोग)		

3. पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग, संग्रहण, परिवहन, हथालन या उत्पादन, जोकि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण के प्रति हानिकारक हो सकता है या मानव स्वास्थ्य से जुड़ा वास्तविक या संभावित खतरा पैदा कर सकता है।

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	तत्संबंधी ब्यौरे (अनुमानित मात्रा / दर, जहां भी संभव हो) सूचना आंकड़ा के स्रोत सहित
3.1 पदार्थों या सामग्रियों का उपयोग जोकि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण (पौधे, जीव व जलापूर्ति) के लिए खतरनाक (एम.एस.आई.एच.सी. नियमों के अनुसार) हो		
3.2 रोगों के होने या रोगों के वाहकों (उदाहरण के लिए कीट या जलजनित रोग) के प्रभावों में परिवर्तन		
3.3 लोगों के हित को प्रभावित करता है उदाहरणार्थ जीवन स्थितियों में बदलाव?		
3.4 संवेदनशील लोगों का ऐसा समूह जोकि परियोजना द्वारा प्रभावित हो सकता है जैसे—अस्पताल के मरीज, बच्चे, बुजुर्ग आदि ।		
3.5 कोई अन्य कारण		

4. निर्माण कार्य या संचालन या ठेके पर काम देने के दौरान निकला ठोस कचरा (एम.टी./माह)

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	तत्संबंधी ब्यौरे (अनुमानित मात्रा / दर, जहां भी संभव हो) सूचना आंकड़ा के स्रोत सहित
4.1 बेकार अतिरिक्त या खुदाई के दौरान निकला कचरा		
4.2 नगरीय कचरा (घरेलू और या वाणिज्यिक कचरा)		
4.3 खतरनाक कचरा (खतरनाक कचरा प्रबंधन नियम के अनुसार)		
4.4 अन्य औद्योगिक प्रक्रिया से निकला कचरा		
4.5 अतिरिक्त सामान		
4.6 सीवेज बहाव या उत्प्रवाह उपचार संयंत्र से निकला बहाव		
4.7 निर्माण या ढहाव में निकला कचरा		
4.8 अनावश्यक मशीनरी या औजार		

- 4.9 संदूषित मृदा या अन्य सामग्री
 4.10 कृषि कार्य में निकलने वाला कचरा
 4.11 अन्य ठोस कचरे

5. वायु में छोड़े गए प्रदूषक अथवा कोई खतरनाक विषैले अथवा हानिकर पदार्थ (के.जी./प्रतिघंटा)

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	तत्संबंधी ब्यौरे (अनुमानित मात्रा / दर, जहाँ भी संभव हो) सूचना आंकड़ा के स्रोत सहित
5.1 स्थायी या अस्थायी स्रोतों से जीवाश्म ईंधन पर होने वाले दहन से निकलने वाला धुंआ		
5.2 उत्पादन प्रक्रियाओं से निकलने वाला धुंआ।		
5.3 सामान के रखरखाव जिसमें उसका संग्रहण या परिवहन शामिल है, से निकलने वाला धुंआ		
5.4 निर्माण कार्य जिसमें उद्योग व औजार शामिल हैं से निकलने वाला धुंआ		
5.5 सामान के रखरखाव में निकलने वाली धूल या बंदबू जिसमें निर्माण संबंधी सामान, सीवेज व कचरा शामिल हैं		
5.6 कचरे के भस्मीकरण से निकलने वाला धुंआ		
5.7 कचरे को खुली हवा में जलाने से निकलने वाला धुंआ (जैसे कटाई में निकला सामान या बची-खुची निर्माण सामग्री)		
5.8 किसी अन्य स्रोत से निकलने वाला धुंआ		

6. शोर या कंपन को पैदा होने तथा रोशनी या ऊष्मा का उत्सर्जन

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	तत्संबंधी ब्यौरे (अनुमानित मात्रा / दर, जहां भी संभव हो) सूचना आंकड़ा के स्रोत सहित
6.1 औजारों के संचालन में उपयोग जैसे इंजन, वेन्टिलेशन प्लान्ट, क्रशर्स		
6.2 औद्योगिक या समान प्रक्रियाओं से		
6.3 निर्माण या ढहाव कार्य से		
6.4 धमाके या पाइलिंग से		
6.5 निर्माण या परिवहन संचालन से		
6.6 रोशनी या ठण्डा करने की व्यवस्था से		
6.7 किसी अन्य स्रोत से		

7. प्रदूषकों के भूमि या सीवर, सतही जल, भूजल, तटीय जल या समुद्र में छोड़े जाने से भूमि या पानी के संदूषण के खतरे

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	तत्संबंधी ब्यौरे (अनुमानित मात्रा / दर, जहां भी संभव हो) सूचना आंकड़ा के स्रोत सहित
7.1 खतरनाक वस्तुओं के हथालन, संग्रहण, उपयोग या गिरने से।		
7.3 हवा में उत्सर्जित प्रदूषकों के भूमि या जल में इकट्ठा होने से (निस्तारण की प्रत्याशित रीति तथा स्थान)		
7.4 किसी अन्य स्रोत से		
7.5 क्या इन स्रोतों से प्रदूषकों के पर्यावरण में लम्बे समय तक बने रहने का खतरा है ?		

8. परियोजना के निर्माण कार्य या संचालन के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा जोकि मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण को प्रभावित कर सकता है।

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	तत्संबंधी ब्यौरे (अनुमानित मात्रा / दर, जहां भी संभव हो) सूचना आंकड़ा के स्रोत सहित
8.1 खतरनाक पदार्थों के संग्रहण, हथालन, उपयोग या उत्पादन के दौरान होने वाला धमाका, बहना, आग आदि से		
8.2 किसी अन्य स्रोत से		
8.3 क्या परियोजना प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हो सकती है जिससे पर्यावरणीय क्षति होगी (जैसे बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, बादल का फटना आदि)?		

9. कारक जिनपर ध्यान दिया जाना चाहिए (जैसे परिणामी विकास) जिससे पर्यावरणीय प्रभाव या उस स्थान पर नियोजित या वर्तमान गतिविधियों का एक बड़ा संभावित प्रभाव हो सकता है

क्रम सं० सूचना/जांचसूची की पुष्टि	हाँ/नहीं	तत्संबंधी ब्यौरे (अनुमानित मात्रा / दर, जहां भी संभव हो) सूचना आंकड़ा के स्रोत सहित
9.1 विकास को सहयोग देने की ओर परियोजना द्वारा आनुषंगिक विकास अथवा प्रोत्साहित विकास जिसका प्रभाव पर्यावरण पर हो सकता है, उदाहरण : मूलभूत ढांचे के निर्माण (रोड, विद्युत आपूर्ति, कचरा या अपशिष्ट जल शोधन आदि) आवास-विकास निष्कर्षण उद्योग आपूर्ति उद्योग अन्य		
9.2 स्थल के पश्च-उपयोग को अग्रसर, जिसका पर्यावरण पर प्रभाव हो सकता है		
9.3 बाद के विकासों के लिए पूर्व उदाहरण प्रस्तुत करना		
9.4 अनुरूप प्रभावों सहित अन्य मौजूदा अथवा नियोजित परियोजनाओं की सन्निकटता के कारण संघयी प्रभाव		

III. पर्यावरणीय संवेदनशीलता

क्रम सं० क्षेत्र	नाम/पहचान	हवाई दूरी (15 किमी. के अन्दर) प्रस्तावित परियोजना स्थल सीमा
1	वे क्षेत्र जो अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेंशन, राष्ट्रीय या स्थानीय कानून के अन्तर्गत पारिस्थितिकीय स्थलाकृति, सांस्कृतिक या अन्य संबंधित मूल्यों के तहत संरक्षित हैं	
2	वे क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय कारणों से संवेदनशील या महत्वपूर्ण हैं - नमभूमियां, जल बहाव क्षेत्र या अन्य जलाशय, तटीय क्षेत्र, बायोस्फियर, पर्वत वन	
3	वे क्षेत्र जो जनन, घोंसला बनाने, विचरण करने, आराम करने, मौसमीय स्थल, प्रवासन के लिए वनस्पतिजात अथवा प्राणिजात की संरक्षित महत्वपूर्ण अथवा संवेदनशील प्रजातियों द्वारा प्रयोग किये जाते हैं	
4	अंतःस्थलीय, तटीय, समुद्री या भूमिगत जल।	
5	राज्य, राष्ट्रीय सीमायें	
6	रास्ते या सुविधायें जो जनता द्वारा मनोरंजन या अन्य पर्यटन, धार्मिक क्षेत्रों के रूप में प्रयोग किये जाते हैं	
7	सुरक्षा संबंधी क्षेत्र	
8	घनी आबादी या निर्मित क्षेत्र	
9	क्षेत्र जो मानव के लिए संवेदनशील भूप्रयोग के लिए प्रयोग किया जाता है (अस्पताल, विद्यालय, पूजा स्थल, समुदायिक सुविधायें)	
10	क्षेत्र जो महत्वपूर्ण, उच्च गुणवत्ता या संसाधनों की कमी वाले हों (भूगर्भीय जल संसाधन, सतही संसाधन, वानिकी, कृषि क्षेत्र, मछली पालन, पर्यटन, खनिज)	
11	क्षेत्र जो पहले से प्रदूषण या पर्यावरणीय क्षतिग्रस्त हैं (वे जो वर्तमान कानूनी पर्यावरणीय मानकों के परे जा चुके हैं)	
12	क्षेत्र जो प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदी हो जहां परियोजना के कारण पर्यावरणीय समस्याएं खड़ी हो सकती हैं (भूकंप, जमीन का खिसकना, भूस्खलन, अपरदन, बाढ़ या तीव्र या प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियां)	

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS
(Department of Environment, Forests and Wildlife)
COASTAL REGULATION ZONE NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2011

S.O. 19(E).— WHEREAS a draft notification under sub-section (1) of section and clause (V) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 was issued inviting objections and suggestions for the declaration of coastal stretches as Coastal Regulation Zone and imposing restrictions on industries, operations and processes in the CRZ was published vide S.O.No.2291 (E), dated 15th September, 2010.;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette were made available to the public on 15th September, 2010.;

AND WHEREAS, the suggestions and objections received from the public have been considered by the Central Government.;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, with a view to ensure livelihood security to the fisher communities and other local communities, living in the coastal areas, to conserve and protect coastal stretches, its unique environment and its marine area and to promote development through sustainable manner based on scientific principles taking into account the dangers of natural hazards in the coastal areas, sea level rise due to global warming, does hereby, declare the coastal stretches of the country and the water area upto its territorial water limit, excluding the islands of Andaman and Nicobar and Lakshadweep and the marine areas surrounding these islands upto its territorial limit, as Coastal Regulation Zone (hereinafter referred to as the CRZ) and restricts the setting up and expansion of any industry, operations or processes and manufacture or handling or storage or disposal of hazardous substances as specified in the Hazardous Substances (Handling, Management and Transboundary Movement) Rules, 2009 in the aforesaid CRZ.; and

In exercise of powers also conferred by clause (d) and sub rule (3) of rule 5 of Environment (Protection) Act, 1986 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby declares the following areas as CRZ and imposes with effect from the date of the notification the following restrictions on the setting up and expansion of industries, operations or processes and the like in the CRZ,-

- (i) the land area from High Tide Line (hereinafter referred to as the HTL) to 500mts on the landward side along the sea front.
- (ii) CRZ shall apply to the land area between HTL to 100 mts or width of the creek whichever is less on the landward side along the tidal influenced water bodies that are connected to the sea and the distance upto which development along such tidal influenced water bodies is to be regulated shall be governed by the distance upto which the tidal effects are experienced which shall be determined based on salinity concentration of 5 parts per thousand (ppt) measured during the driest period of the year and distance upto which tidal effects are experienced shall be clearly identified and demarcated accordingly in the Coastal Zone Management Plans (hereinafter referred to as the CZMPs).

Explanation.- For the purposes of this sub-paragraph the expression tidal influenced water bodies means the water bodies influenced by tidal effects from sea, in the bays, estuaries, rivers, creeks, backwaters, lagoons, ponds connected to the sea or creeks and the like.

(iii) the land area falling between the hazard line and 500mts from HTL on the landward side, in case of seafront and between the hazard line and 100mts line in case of tidal influenced water body the word 'hazard line' denotes the line demarcated by Ministry of Environment and Forests (hereinafter referred to as the MoEF) through the Survey of India (hereinafter referred to as the Sol) taking into account tides, waves, sea level rise and shoreline changes.

(iv) land area between HTL and Low Tide Line (hereinafter referred to as the LTL) which will be termed as the intertidal zone.

(v) the water and the bed area between the LTL to the territorial water limit (12 Nm) in case of sea and the water and the bed area between LTL at the bank to the LTL on the opposite side of the bank, of tidal influenced water bodies.

2. For the purposes of this notification, the HTL means the line on the land upto which the highest water line reaches during the spring tide and shall be demarcated uniformly in all parts of the country by the demarcating authority(s) so authorized by the MoEF in accordance with the general guidelines issued at Annexure-I. HTL shall be demarcated within one year from the date of issue of this notification.

3. Prohibited activities within CRZ,- The following are declared as prohibited activities within the CRZ,-

(i) Setting up of new industries and expansion of existing industries except,-

(a) those directly related to waterfront or directly needing foreshore facilities;

Explanation: The expression "foreshore facilities" means those activities permissible under this notification and they require waterfront for their operations such as ports and harbours, jetties, quays, wharves, erosion control measures, breakwaters, pipelines, lighthouses, navigational safety facilities, coastal police stations and the like.;

(b) projects of Department of Atomic Energy;

(c) facilities for generating power by non-conventional energy sources and setting up of desalination plants in the areas not classified as CRZ-I(i) based on an impact assessment study including social impacts.;

(d) development of green field Airport already permitted only at Navi Mumbai;

(e) reconstruction, repair works of dwelling units of local communities including fishers in accordance with local town and country planning regulations.

(ii) manufacture or handling oil storage or disposal of hazardous substance as specified in the notification of Ministry of Environment and Forests, No. S.O.594 (E), dated the 28th July 1989, S.O.No.966(E), dated the 27th November, 1989 and GSR 1037 (E), dated the 5th

December, 1989 except,-

- (a) transfer of hazardous substances from ships to ports, terminals and refineries and vice versa;
- (b) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II appended to this notification and facilities for regasification of Liquefied Natural Gas (hereinafter referred to as the LNG) in the areas not classified as CRZ- I(i) subject to implementation of safety regulations including guidelines issued by the Oil Industry Safety Directorate in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and guidelines issued by MoEF and subject to further terms and conditions for implementation of ameliorative and restorative measures in relation to environment as may be stipulated by in MoEF.

Provided that facilities for receipt and storage of fertilizers and raw materials required for manufacture of fertilizers like ammonia, phosphoric acid, sulphur, sulphuric acid, nitric acid and the like, shall be permitted within the said zone in the areas not classified as CRZ-I(i).

- (iii) Setting up and expansion of fish processing units including warehousing except hatchery and natural fish drying in permitted areas:

- (iv) Land reclamation, bunding or disturbing the natural course of seawater except those,-

- (a) required for setting up, construction or modernisation or expansion of foreshore facilities like ports, harbours, jetties, wharves, quays, slipways, bridges, sealink, road on stilts, and such as meant for defence and security purpose and for other facilities that are essential for activities permissible under the notification;
- (b) measures for control of erosion, based on scientific including Environmental Impact Assessment (hereinafter referred to as the EIA) studies
- (c) maintenance or clearing of waterways, channels and ports, based on EIA studies;
- (d) measures to prevent sand bars, installation of tidal regulators, laying of storm water drains or for structures for prevention of salinity ingress and freshwater recharge based on carried out by any agency to be specified by MoEF.

- (v) Setting up and expansion of units or mechanism for disposal of wastes and effluents except facilities required for,-

- (a) discharging treated effluents into the water course with approval under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
- (b) storm water drains and ancillary structures for pumping;
- (c) treatment of waste and effluents arising from hotels, beach resorts and human settlements located in CRZ areas other than CRZ-I and disposal of treated wastes and effluents;

- (vi) Discharge of untreated waste and effluents from industries, cities or towns and other human settlements. The concerned authorities shall implement schemes for phasing out existing discharge of this nature, if any, within a time period not exceeding two years from the date of issue of this notification.

- (vii) Dumping of city or town wastes including construction debris, industrial solid wastes, fly

ash for the purpose of land filling and the like and the concerned authority shall implement schemes for phasing out any existing practice, if any, shall be phased out within a period of one year from date of commencement of this notification.

Note:-The MoEF will issue a separate instruction to the State Governments and Union territory Administration in respect of preparation of Action Plans and their implementation as also monitoring including the time schedule thereof, in respect of paras (v), (vi) and (vii).

(viii) Port and harbour projects in high eroding stretches of the coast, except those projects classified as strategic and defence related in terms of EIA notification, 2006 identified by MoEF based on scientific studies and in consultation with the State Government or the Union territory Administration.

(ix) Reclamation for commercial purposes such as shopping and housing complexes, hotels and entertainment activities.

(x) Mining of sand, rocks and other sub-strata materials except,-

- (a) those rare minerals not available outside the CRZ area,
- (b) exploration and exploitation of Oil and Natural Gas.

(xi) Drawl of groundwater and construction related thereto, within 200mts of HTL; except the following:-

- (a) in the areas which are inhabited by the local communities and only for their use.
- (b) In the area between 200mts-500mts zone the drawl of groundwater shall be permitted only when done manually through ordinary wells for drinking, horticulture, agriculture and fisheries and where no other source of water is available.

Note:-Restrictions for such drawl may be imposed by the Authority designated by the State Government and Union territory Administration in the areas affected by sea water intrusion.

(xi) Construction activities in CRZ-I except those specified in para 8 of this notification.

(xiii) Dressing or altering the sand dunes, hills, natural features including landscape changes for beautification, recreation and other such purpose.

(xiv) Facilities required for patrolling and vigilance activities of marine/coastal police stations.

4. Regulation of permissible activities in CRZ area.- The following activities shall be regulated except those prohibited in para 3 above,-

- (i)(a) clearance shall be given for any activity within the CRZ only if it requires waterfront and foreshore facilities;
- (b) for those projects which are listed under this notification and also attract EIA notification, 2006 (S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006), for such projects clearance under EIA notification only shall be required subject to being recommended by the concerned State or Union territory Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the CZMA).
- (c) Housing schemes in CRZ as specified in paragraph 8 of this notification;

- (d) Construction involving more than 20,000sq mts built-up area in CRZ-II shall be considered in accordance with EIA notification, 2006 and in case of projects less than 20,000sq mts built-up area shall be approved by the concerned State or Union territory Planning authorities in accordance with this notification after obtaining recommendations from the concerned CZMA and prior recommendations of the concern CZMA shall be essential for considering the grant of environmental clearance under EIA notification, 2006 or grant of approval by the relevant planning authority.
- (e) MoEF may under a specific or general order specify projects which require prior public hearing of project affected people.
- (f) construction and operation for ports and harbours, jetties, wharves, quays, slipways, ship construction yards, breakwaters, groynes, erosion control measures;

(ii) the following activities shall require clearance from MoEF, namely:-

- (a) those activities not listed in the EIA notification, 2006.
- (b) construction activities relating to projects of Department of Atomic Energy or Defence requirements for which foreshore facilities are essential such as, slipways, jetties, wharves, quays; except for classified operational component of defence projects. Residential buildings, office buildings, hospital complexes, workshops of strategic and defence projects in terms of EIA notification, 2006.;
- (c) construction, operation of lighthouses;
- (d) laying of pipelines, conveying systems, transmission line;
- (e) exploration and extraction of oil and natural gas and all associated activities and facilities thereto;
- (f) Foreshore requiring facilities for transport of raw materials, facilities for intake of cooling water and outfall for discharge of treated wastewater or cooling water from thermal power plants. MoEF may specify for category of projects such as at (f), (g) and (h) of para 4;
- (g) Mining of rare minerals as listed by the Department of Atomic Energy;
- (h) Facilities for generating power by non-conventional energy resources, desalination plants and weather radars;
- (i) Demolition and reconstruction of (a) buildings of archaeological and historical importance, (ii) heritage buildings; and buildings under public use which means buildings such as for the purposes of worship, education, medical care and cultural activities;

4.2 Procedure for clearance of permissible activities.- All projects attracting this notification shall be considered for CRZ clearance as per the following procedure, namely:-

- (i) The project proponents shall apply with the following documents seeking prior clearance under CRZ notification to the concerned State or the Union territory Coastal Zone Management Authority,-
 - (a) Form-1 (Annexure-IV of the notification);
 - (b) Rapid EIA Report including marine and terrestrial component except for construction projects listed under 4(c) and (d)
 - (c) Comprehensive EIA with cumulative studies for projects in the stretches classified as low and medium eroding by MoEF based on scientific studies and in consultation with the State Governments and Union territory Administration;
 - (d) Disaster Management Report, Risk Assessment Report and Management Plan;
 - (e) CRZ map indicating HTL and LTL demarcated by one of the authorized agency (as indicated in para 2) in 1:4000 scale;
 - (f) Project layout superimposed on the above map indicated at (e) above;

- (g) The CRZ map normally covering 7km radius around the project site.
 - (h) The CRZ map indicating the CRZ-I, II, III and IV areas including other notified ecologically sensitive areas;
 - (i) No Objection Certificate from the concerned State Pollution Control Boards or Union territory Pollution Control Committees for the projects involving discharge of effluents, solid wastes, sewage and the like.;
- (ii) The concerned CZMA shall examine the above documents in accordance with the approved CZMP and in compliance with CRZ notification and make recommendations within a period of sixty days from date of receipt of complete application,-
- (a) MoEF or State Environmental Impact Assessment Authority (hereinafter referred to as the SEIAA) as the case may be for the project attracting EIA notification, 2006;
 - (b) MoEF for the projects not covered in the EIA notification, 2006 but attracting para 4(ii) of the CRZ notification;
- (iii) MoEF or SEIAA shall consider such projects for clearance based on the recommendations of the concerned CZMA within a period of sixty days.
- (vi) The clearance accorded to the projects under the CRZ notification shall be valid for the period of five years from the date of issue of the clearance for commencement of construction and operation.
- (v) For Post clearance monitoring – (a) it shall be mandatory for the project proponent to submit half-yearly compliance reports in respect of the stipulated terms and conditions of the environmental clearance in hard and soft copies to the regulatory authority(s) concerned, on 1st June and 31st December of each calendar year and all such compliance reports submitted by the project proponent shall be published in public domain and its copies shall be given to any person on application to the concerned CZMA.
- (b) the compliance report shall also be displayed on the website of the concerned regulatory authority.
- (vi) To maintain transparency in the working of the CZMAs it shall be the responsibility of the CZMA to create a dedicated website and post the agenda, minutes, decisions taken, clearance letters, violations, action taken on the violations and court matters including the Orders of the Hon'ble Court as also the approved CZMPs of the respective State Government or Union territory.

5. Preparation of Coastal Zone Management Plans.

- (i) The MoEF may obtain the CZMPs prepared through the respective State Government or Union territory;
- (ii) The CZMPs may be prepared by the coastal State Government or Union territory by engaging reputed and experienced scientific institution(s) or the agencies including the National Centre for Sustainable Coastal Management (hereinafter referred to as the NCSCM) of MoEF and in consultation with the concerned stakeholders;
- (iii) The hazard line shall be mapped by MoEF through Sol all along the coastline of the country and the hazard line shall be demarcated taking into account, tide, waves, sea level

rise and shoreline changes;

- (iv) For the purpose of depicting the flooding due to tides, waves and sea level rise in the next fifty and hundred years, the contour mapping of the coastline shall be carried out at 0.5m interval normally upto 7km from HTL on the landward side, and the shoreline changes shall be demarcated based on historical data by comparing the previous satellite imageries with the recent satellite imageries;
- (v) Mapping of the hazard line shall be carried out in 1:25,000 scale for macro level planning and 1:10,000 scale or cadastral scale for micro level mapping and the hazard line shall be taken into consideration while preparing the land use plan of the coastal areas;
- (vi) The coastal States and Union Territory will prepare within a period of twenty four months from the date of issue this notification, draft CZMPs in 1:25,000 scale map identifying and classifying the CRZ areas within the respective territories in accordance with the guidelines given in Annexure-I of the notification, which involve public consultation;
- (vii) The draft CZMPs shall be submitted by the State Government or Union territory to the concerned CZMA for appraisal, including appropriate consultations, and recommendations in accordance with the procedure(s) laid down in the Environment (Protection) Act, 1986;
- (viii) The State Government or Union territory CZMA shall submit the draft CZMPs to MoEF alongwith its recommendations on the CZMP within a period of six months after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders;
- (ix) MoEF shall thereafter consider and approve the CZMPs within a period of four months from the date of receipt of the CZMPs complete in all respects;
- (x) All developmental activities listed in this notification shall be regulated by the State Government, Union Territory Administration, the local authority or the concerned CZMA within the framework of such approved CZMPs as the case may be in accordance with provisions of this notification;
- (xi) The CZMPs shall not normally be revised before a period of five years after which, the concerned State Government or the Union territory may consider undertaking revision of the maps following the above procedures;
- (xii) The CZMPs already approved under CRZ notification, 1991 shall be valid for a period of twenty four months unless the aforesaid period is extended by MoEF by a specific notification subject to such terms and conditions as may be specified therein.

6. Enforcement of the CRZ, notification, 2011-

- (a) For the purpose of implementation and enforcement of the provisions this notification and compliance with conditions stipulated thereunder, the powers either original or delegated are available under Environment (Protection) Act, 1986 with the MoEF, State Government or the Union territory Administration NCZMA and SCZMA's;
- (b) The composition, tenure and mandate of NCZMA and State Government or the Union territory CZMA's have already been notified by MoEF in terms of Orders of Hon'ble

Supreme Court in Writ Petition 664 of 1993;

- (c) the State Government or the Union territory CZMAs shall primarily be responsible for enforcing and monitoring of this notification and to assist in this task, the State Government and the Union territory shall constitute district level Committees under the Chairmanship of the District Magistrate concerned containing atleast three representatives of local traditional coastal communities including from fisherfolk;
- (d) The dwelling units of the traditional coastal communities including fisherfolk, tribals as were permissible under the provisions of the CRZ notification, 1991, but which have not obtained formal approval from concerned authorities under the aforesaid notification shall be considered by the respective Union territory CZMAs and the dwelling units shall be regularized subject to the following condition, namely-
 - (i) these are not used for any commercial activity
 - (ii) these are not sold or transferred to non-traditional coastal community.

7. Classification of the CRZ – For the purpose of conserving and protecting the coastal areas and marine waters, the CRZ area shall be classified as follows, namely:-

(i) CRZ-I,-

A. The areas that are ecologically sensitive and the geomorphological features which play a role in the maintaining the integrity of the coast,-

- (a) Mangroves, in case mangrove area is more than 1000 sq mts, a buffer of 50meters along the mangroves shall be provided;
- (b) Corals and coral reefs and associated biodiversity;
- (c) Sand Dunes;
- (d) Mudflats which are biologically active;
- (e) National parks, marine parks, sanctuaries, reserve forests, wildlife habitats and other protected areas under the provisions of Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) or Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986); including Biosphere Reserves;
- (f) Salt Marshes;
- (g) Turtle nesting grounds;
- (h) Horse shoe crabs habitats;
- (i) Sea grass beds;
- (j) Nesting grounds of birds;
- (k) Areas or structures of archaeological importance and heritage sites.

(ii) CRZ-II,-

The areas that have been developed upto or close to the shoreline.

Explanation.- For the purposes of the expression “developed area” is referred to as that area within the existing municipal limits or in other existing legally designated urban areas which are substantially built-up and has been provided with drainage and approach roads and other infrastructural facilities, such as water supply and sewerage mains;

(iii) CRZ-III,-

Areas that are relatively undisturbed and those do not belong to either CRZ-I or II which include coastal zone in the rural areas (developed and undeveloped) and also areas within municipal limits or in other legally designated urban areas, which are not substantially built up.

(iv.) CRZ-IV,-

- A. the water area from the Low Tide Line to twelve nautical miles on the seaward side;
- B. shall include the water area of the tidal influenced water body from the mouth of the water body at the sea upto the influence of tide which is measured as five parts per thousand during the driest season of the year.

(v) Areas requiring special consideration for the purpose of protecting the critical coastal environment and difficulties faced by local communities,-

- A. (i) CRZ area falling within municipal limits of Greater Mumbai;
(ii) the CRZ areas of Kerala including the backwaters and backwater islands;
(iii) CRZ areas of Goa.
- B. Critically Vulnerable Coastal Areas (CVCA) such as Sunderbans region of West Bengal and other ecologically sensitive areas identified as under Environment (Protection) Act, 1986 and managed with the involvement of coastal communities including fisherfolk.

8 Norms for regulation of activities permissible under this notification,-

- (i) The development or construction activities in different categories of CRZ shall be regulated by the concerned CZMA in accordance with the following norms, namely:-

Note:- The word existing use hereinafter in relation to existence of various features or existence of regularisation or norms shall mean existence of these features or regularisation or norms as on 19.2.1991 wherein CRZ notification, was notified.

I. CRZ-I,-

- (i) no new construction shall be permitted in CRZ-I except,-

- (a) projects relating to Department of Atomic Energy;
- (b) pipelines, conveying systems including transmission lines;
- (c) facilities that are essential for activities permissible under CRZ-I;
- (d) installation of weather radar for monitoring of cyclones movement and prediction by Indian Meteorological Department;
- (e) construction of trans harbour sea link and without affecting the tidal flow of water, between LTL and HTL.
- (f) development of green field airport already approved at only Navi Mumbai;

- (ii) Areas between LTL and HTL which are not ecologically sensitive, necessary safety measures will be incorporated while permitting the following, namely:-

- (a) exploration and extraction of natural gas;
- (b) construction of dispensaries, schools, public rainshelter, community toilets, bridges, roads, jetties, water supply, drainage, sewerage which are required for traditional inhabitants living within the biosphere reserves after obtaining approval from concerned CZMA.
- (c) necessary safety measure shall be incorporated while permitting such developmental activities in the area falling in the hazard zone;
- (d) salt harvesting by solar evaporation of seawater;
- (e) desalination plants;
- (f) storage of non-hazardous cargo such as edible oil, fertilizers and food grain within notified ports;
- (g) construction of trans harbour sea links, roads on stilts or pillars without affecting the tidal flow of water.

II. CRZ-II,-

- (i) buildings shall be permitted only on the landward side of the existing road, or on the landward side of existing authorized structures;
- (ii) buildings permitted on the landward side of the existing and proposed roads or existing authorized structures shall be subject to the existing local town and country planning regulations including the 'existing' norms of Floor Space Index or Floor Area Ratio:
Provided that no permission for construction of buildings shall be given on landward side of any new roads which are constructed on the seaward side of an existing road;
- (iii) reconstruction of authorized building to be permitted subject with the existing Floor Space Index or Floor Area Ratio Norms and without change in present use;
- (iv) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II appended to this notification and facilities for regasification of Liquefied Natural Gas subject to the conditions as mentioned in sub-paragraph (ii) of paragraph 3;
- (v) desalination plants and associated facilities;
- (vi) storage of non-hazardous cargo, such as edible oil, fertilizers and food grain in notified ports;
- (vii) facilities for generating power by non-conventional power sources and associated facilities;

III. CRZ-III,-

A. Area upto 200mts from HTL on the landward side in case of seafront and 100mts along tidal influenced water bodies or width of the creek whichever is less is to be earmarked as "No Development Zone (NDZ)",-

- (i) the NDZ shall not be applicable in such area falling within any notified port limits;
- (ii) No construction shall be permitted within NDZ except for repairs or reconstruction of existing authorized structure not exceeding existing Floor Space Index, existing plinth area and existing density and for permissible activities under the notification including facilities essential for activities; Construction/reconstruction of dwelling units of traditional coastal communities including fisherfolk may be permitted between 100 and 200 metres from the HTL along the seafront in accordance with a comprehensive plan prepared by the State Government or the Union territory in consultation with the traditional coastal communities including fisherfolk and incorporating the necessary disaster management

provision, sanitation and recommended by the concerned State or the Union territory CZMA to NCZMA for approval by MoEF;

(iii) however, the following activities may be permitted in NDZ –

- (a) agriculture, horticulture, gardens, pasture, parks, play field, and forestry;
- (b) projects relating to Department of Atomic Energy;
- (c) mining of rare minerals;
- (d) salt manufacture from seawater;
- (e) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II;
- (f) facilities for regasification of liquefied natural gas subject to conditions as mentioned in subparagraph (ii) of paragraph 3;
- (g) facilities for generating power by non conventional energy sources;
- (h) Foreshore facilities for desalination plants and associated facilities;
- (i) weather radars;
- (j) construction of dispensaries, schools, public rain shelter, community toilets, bridges, roads, provision of facilities for water supply, drainage, sewerage, crematoria, cemeteries and electric sub-station which are required for the local inhabitants may be permitted on a case to case basis by CZMA;
- (k) construction of units or auxiliary thereto for domestic sewage, treatment and disposal with the prior approval of the concerned Pollution Control Board or Committee;
- (l) facilities required for local fishing communities such as fish drying yards, auction halls, net mending yards, traditional boat building yards, ice plant, ice crushing units, fish curing facilities and the like;
- (m) development of green field airport already permitted only at Navi Mumbai.

B. Area between 200mts to 500mts,-

The following activities shall be permissible in the above areas;

- (i) development of vacant plot in designated areas for construction of hotels or beach resorts for tourists or visitors subject to the conditions as specified in the guidelines at Annexure-III ;
- (ii) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II;
- (iii) facilities for regasification of liquefied natural gas subject to conditions as mentioned in sub-paragraph (ii) of paragraph 3;
- (iv) storage of non-hazardous cargo such as, edible oil, fertilizers, food grain in notified ports;
- (v) foreshore facilities for desalination plants and associated facilities;
- (vi) facilities for generating power by non-conventional energy sources;
- (vii) construction or reconstruction of dwelling units so long it is within the ambit of traditional rights and customary uses such as existing fishing villages and goathans. Building permission for such construction or reconstruction will be subject to local town and country planning rules with overall height of construction not exceeding 9mts with two floors (ground + one floor);
- (viii) Construction of public rain shelters, community toilets, water supply drainage, sewerage, roads and bridges by CZMA who may also permit construction of schools and dispensaries for local inhabitants of the area for those panchayats, the major

part of which falls within CRZ if no other area is available for construction of such facilities;

- (ix) reconstruction or alteration of existing authorised building subject to sub-paragraph (vii), (viii);
- (x) development of green field airport already permitted only at Navi Mumbai.

(IV) In CRZ-IV areas,-

The activities impugning on the sea and tidal influenced water bodies will be regulated except for traditional fishing and related activities undertaken by local communities as follows:-

- (a) No untreated sewage, effluents, ballast water, ship washes, fly ash or solid waste from all activities including from aquaculture operations shall be let off or dumped. A comprehensive plan for treatment of sewage generating from the coastal towns and cities shall be formulated within a period of one year in consultation with stakeholders including traditional coastal communities, traditional fisherfolk and implemented;
- (b) Pollution from oil and gas exploration and drilling, mining, boat house and shipping;
- (c) There shall be no restriction on the traditional fishing and allied activities undertaken by local communities.

V. Areas requiring special consideration,-

1. CRZ areas falling within municipal limits of the Greater Mumbai.

- (i) Developmental activities in the CRZ area of the Greater Mumbai because of the environmental issues, relating to degradation of mangroves, pollution of creeks and coastal waters, due to discharge of untreated effluents and disposal of solid waste, the need to provide decent housing to the poor section of society and lack of suitable alternatives in the inter connected islands of Greater Mumbai shall be regulated as follows, namely:-

- A. Construction of roads - In CRZ-I areas indicated at sub-paragraph (i) of paragraph 7 of the notification the following activities only can be taken up:-
 - (a) Construction of roads, approach roads and missing link roads approved in the Developmental Plan of Greater Mumbai on stilts ensuring that the free flow of tidal water is not affected, without any benefit of CRZ-II accruing on the landward side of such constructed roads or approach roads subject to the following conditions:-
 - (i) All mangrove areas shall be mapped and notified as protected forest and necessary protection and conservation measures for the identified mangrove areas shall be initiated.
 - (ii) Five times the number of mangroves destroyed/cut during the construction process shall be replanted.
- B. Solid waste disposal sites shall be identified outside the CRZ area and thereafter within two years the existing conventional solid waste sites shall be relocated outside the CRZ area.

(iii) In CRZ-II areas-

- (a) The development or redevelopment shall continue to be undertaken in accordance with the norms laid down in the Town and Country Planning Regulations as they existed on the date of issue of the notification dated the 19th February, 1991, unless specified otherwise in this notification.

(b) SLUM REHABILITATION SCHEMES,-

1. In the Greater Mumbai area there are large slum clusters with lakhs of families residing therein and the living conditions in these slums are deplorable and the civic agencies are not able to provide basic infrastructure such as drinking water, electricity, roads, drainage and the like because the slums come up in an unplanned and congested manner and the slums in the coastal area are at great risk in the event of cyclones, storm surges or tsunamis, in view of the difficulties in providing rescue, relief and evacuation.
2. To provide a safe and decent dwelling to the slum dwellers, the State Government may implement slum redevelopment schemes as identified as on the date of issue of this notification directly or through its parastatal agencies like Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA), Shivshahi Punarvasan Prakalp Limited (SPPL), Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA) and the like.:

Provided that,-

- (i) such redevelopment schemes shall be undertaken directly or through joint ventures or through public private partnerships or other similar models ensuring that the stake of the State Government or its parastatal entities shall be not less than 51%;
- (ii) the Floor Space Index or Floor Area Ratio for such redevelopment schemes shall be in accordance with the Town and Country Planning Regulations prevailing as on the date on which the project is granted approval by the competent authority;
- (iii) it shall be the duty of the project proponent undertaking the redevelopment through conditions (i)(2) above along with the State Government to ensure that all legally regularized tenants are provided houses in situ or as per norms laid down by the State Government in this regard.

(c) REDEVELOPMENT OF DILAPIDATED, CESSSED AND UNSAFE BUILDINGS:

1. In the Greater Mumbai, there are, also a large number of old and dilapidated, cessed and unsafe buildings in the CRZ areas and due to their age these structures are extremely vulnerable and disaster prone and therefore there is an urgent need for the redevelopment or reconstruction of these identified buildings.
2. These projects shall be taken up subject to the following conditions and safeguards:
 - (i) such redevelopment or reconstruction projects as identified on the date of issue of this notification shall be allowed to be taken up involving the owners of these buildings either above or with private developers in accordance with the prevailing Regulation, directly or through joint ventures or through other similar models.
 - (ii) the Floor Space Index or Floor Area Ratio for such redevelopment schemes shall be in accordance with the Town and Country Planning Regulations prevailing as on the date on which the project is granted approval by the competent authority
 - (iii) suitable accommodation to the original tenants of the specified buildings shall be

ensured during the course of redevelopment or reconstruction of the buildings by the project proponents, undertaking the redevelopment through condition 2(i) above.

- (d) Notwithstanding anything contained in this notification, the developmental activities for slums and for dilapidated, cessed and unsafe buildings as specified at paras (b) and (c) above shall be carried out in an accountable and transparent manner by the project proponents mentioned therein which shall include the following pre-condition measures, wherever applicable:-
1. (i) applicability of the Right to Information Act, 2005 to all redevelopment or reconstruction projects granted clearance by the Competent Authorities;
 - (ii) MoEF shall issue an order constituting the CPIO and the first Appellate Authority of appropriate ranks in consultation with Government of Maharashtra;
 - (iii) details of the Slum Rehabilitation Scheme, including the complete proposal and the names of the eligible slum dwellers will be declared suo-moto as a requirement of Section 4 of compliance of the Right to Information Act, 2005 by the appropriate authority in the Government of Maharashtra in one month before approving it;
 - (iv) the implementing or executing agency at the State Government with regard to projects indicated at sub-item (b) and (c) of item (iii) of sub-paragraph V shall display on a large notice boards at the site and at the office of the implementing or executing agency the names of the eligible builders, total number of tenements being made, names of eligible slum dwellers who are to be provided the dwelling units and the extra area available for free sale.
 - (v) Projects being developed under sub-items (b) and (c) of item (iii) of sub-paragraph V shall be given permission only if the project proponent agree to be covered under the Right to Information Act, 2005.
2. MoEF may appoint statutory auditors, who are empanelled by the Comptroller and auditor General (hereinafter referred to as the C&AG) to undertake performance and fiscal audit in respect of the projects relating to redevelopment of dilapidated, cessed and unsafe buildings and the projects relating to Slum Rehabilitation Scheme shall be audited by C&AG.
 3. A High Level Oversight Committee may be set up by the Government of Maharashtra for periodic review of implementation of V(iii)(b) and (c) which shall include eminent representatives of various Stakeholders, like Architects, Urban Planner, Engineers, and Civil Society, besides the local urban bodies, the State Government and the Central Government.
 4. The individual projects under V(iii)(b) and (c) shall be undertaken only after public consultation in which views of only the legally entitled slum dweller or the legally entitled tenant of the dilapidated or cessed buildings shall be obtained in accordance with the procedures laid down in EIA notification, 2006.
- (e) In order to protect and preserve the 'green lung' of the Greater Mumbai area, all open spaces, parks, gardens, playgrounds indicated in development plans within CRZ-II shall be categorized as CRZ-III, that is, 'no development zone'.
- (f) the Floor Space Index upto 15% shall be allowed only for construction of civic amenities, stadium and gymnasium meant for recreational or sports related activities and the residential or commercial use of such open spaces shall not be permissible.
- (g) Koliwada namely, fishing settlement areas as identified in the Development Plan of 1981

or relevant records of the Government of Maharashtra, shall be mapped and declared as CRZ-III so that any development, including construction and reconstruction of dwelling units within these settlements shall be undertaken in accordance with applicable as per local Town and Country Planning Regulations.

- (h) Reconstruction and repair works of the dwelling units, belonging to fisher communities and other local communities identified by the State Government, shall be considered and granted permission by the Competent Authorities on a priority basis, in accordance with the applicable Town and Country Planning Regulations.

2. CRZ for Kerala

In view of the unique coastal systems of backwater and backwater islands alongwith space limitation present in the coastal stretches of the State of Kerala, the following activities in CRZ shall be regulated as follows, namely:-

- (i) all the islands in the backwaters of Kerala shall be covered under the CRZ notification;
- (ii) the islands within the backwaters shall have 50mts width from the High Tide Line on the landward side as the CRZ area;
- (iii) within 50mts from the HTL of these backwater islands existing dwelling units of local communities may be repaired or reconstructed however no new construction shall be permitted;
- (iv) beyond 50mts from the HTL on the landward side of backwater islands, dwelling units of local communities may be constructed with the prior permission of the Gram panchayat;
- (v) foreshore facilities such as fishing jetty, fish drying yards, net mending yard, fishing processing by traditional methods, boat building yards, ice plant, boat repairs and the like, may be taken up within 50mts width from HTL of these backwater islands.

3. CRZ of Goa.-

In view of the peculiar circumstances of the State Goa including past history and other developments, the specific activities shall be regulated and various measures shall be undertaken as follows:-

- (i) the Government of Goa shall notify the fishing villages wherein all foreshore facilities required for fishing and fishery allied activities such as traditional fish processing yards, boat building or repair yards, net mending yards, ice plants, ice storage, auction hall, jetties may be permitted by Grama Panchayat in the CRZ area;
- (ii) reconstruction, repair works of the structures of local communities including fishermen community shall be permissible in CRZ;
- (iii) purely temporary and seasonal structures customarily put up between the months of September to May;
- (iv) the eco sensitive low lying areas which are influenced by tidal action known as khazan lands shall be mapped;
- (v) the mangroves along such as khazan land shall be protected and a management plan for the khazan land prepared and no developmental activities shall be permitted in the khazan land;
- (vi) sand dunes, beach stretches along the bays and creeks shall be surveyed and mapped. No activity shall be permitted on such sand dune areas;
- (vii) the beaches such as Mandrem, Morjim, Galgiba and Agonda has been designated as turtle nesting sites and protected under the Wildlife Protection Act, 1972 and these areas shall be surveyed and management plan prepared for protection of these turtle nesting

- sites;
- (viii) no developmental activities shall be permitted in the turtle breeding areas referred to in sub-paragraph (vii).
4. (a) Critical Vulnerable Coastal Areas (CVCA) which includes Sunderbans and other identified ecological sensitive areas which shall be managed with the involvement of the local coastal communities including the fisher folk;-
- (b) the entire Sunderbans mangrove area and other identified ecologically important areas such as Gulf of Khambat and Gulf of Kutch in Gujarat, Malvan, Achra-Ratnagiri in Maharashtra, Karwar and Coondapur in Karnataka, Vembanad in Kerala, Gulf of Mannar in Tamil Nadu, Bhaitarkanika in Orissa, Coringa, East Godavari and Krishna in Andhra Pradesh shall be declared as Critical Vulnerable Coastal Areas (CVCA) through a process of consultation with local fisher and other communities inhabiting the area and depend on its resources for their livelihood with the objective of promoting conservation and sustainable use of coastal resources and habitats;
- (c) the process of identifying planning, notifying and implementing CVCA shall be detailed in the guideline which will be developed and notified by MoEF in consultations with the stakeholders like the State Government, local coastal communities and fisherfolk and the like inhabiting the area;
- (d) the Integrated Management Plans (IMPs) prepared for such CVCA shall inter alia keep in view the conservation and management of mangroves, needs of local communities such as, dispensaries, schools, public rain shelter, community toilets, bridges, roads, jetties, water supply, drainage, sewerage and the impact of sea level rise and other natural disasters and the IMPs will be prepared in line with the para 5 above for preparation of Coastal Zone Management Plans;
- (e) till such time the IMPs are approved and notified, construction of dispensaries, schools, public rain shelters, community toilets, bridges, roads, jetties, water supply, drainage, sewerage which are required for traditional inhabitants shall be permitted on a case to case basis, by the CZMA with due regards to the views of coastal communities including fisherfolk.

[E.No. 11-83/2005-IA-III]

J. M. MAUSKAR, Addl. Secy.

ANNEXURE I**GUIDELINES FOR PREPARATION OF COASTAL ZONE MANAGEMENT PLANS****I. A. Demarcation of High Tide Line**

1. Demarcation of High Tide Line (HTL) and Low Tide Line (LTL) shall be carried out by one of the agencies authorised by MoEF based on the recommendations of the National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM).
2. Demarcation of the High Tide Line or LTL shall be made on the Coastal Zone Management (CZM) Maps of scale 1:25,000 prepared by the agencies identified by the MoEF.
3. Local level CZM Maps shall be prepared for use of officials of local bodies for determination of the CRZ.
4. The local level CZM Maps shall be prepared on a Cadastral scale in accordance with the CZM Maps approved by the Central Government.

B. Preparation of CZM Maps

5. Base Maps of 1:25,000 scale shall be acquired from the Survey of India (SOI) and wherever 1:25,000 maps are not available, 1:50,000 maps shall be enlarged to 1:25,000 for the purpose of base map preparation and these maps will be of the standard specification given below:

Unit	:	7.5 minutes X 7.5 minutes
Numbering	:	Survey of India Sheet Numbering System
Horizontal Datum	:	Everest or WGS 84
Vertical Datum	:	Mean Sea Level (MSL)
Topography	:	Topography in the SOI maps will be updated using latest satellite imageries or aerial photographs
6. The High Water Level (HWL) and Low Water Level (LWL) marked on the Base maps will be transferred to the CZM maps.
7. Coastal geomorphological signatures in the field or satellite imageries or aerial photographs will be used for appropriate adjustment, in the HWL or LWL for demarcating HTL or LTL in accordance with the CRZ notification.
8. The following geomorphological features shall be considered while demarcating in HTL or LTL:
 - Landward (monsoonal) berm crest in the case of sandy beaches
 - Rocks, Headlands, Cliffs
 - Seawalls or revetments or embankments
9. 500 meter and 200 metre lines will be demarcated with respect of HTL.
10. HTL (as defined in the CRZ notification) and LTL shall also be demarcated in the CZM maps along the banks of tidal influenced inland water bodies with the help of the geomorphological signatures or features.
11. Classification of different coastal zones shall be done as per the CRZ notification
12. Standard national or international colour codes shall be used to highlight sub-classification of data.

C. Local level CZM Maps

Local level CZM Maps are for the use of local bodies and other agencies to facilitate implementation of the Coastal Zone Management Plans

13. Cadastral (village) maps in 1:3960 or the nearest scale, shall be used as the base maps.
14. These maps are available with revenue Authorities and are prepared as per standard norms.

15. HTL (as defined in the CRZ notification) and LTL will be demarcated in the cadastral map based on detailed physical verification using coastal geomorphological signatures or features in accordance with the CZM Maps approved by the Central Government.
16. 500metre and 200metre lines shall be demarcated with respect to the HTL thus marked.
17. HTL (as defined in the CRZ notification, 1991) and LTL will also be demarcated along the banks of tidal influenced inland water bodies with the help of geomorphological signatures or features.
18. Classifications shall be transferred into local level CZM maps from the CZM Plans.
19. Symbols will be adopted from CZM Maps.
20. Colour codes as given in CZM Maps shall be used.
21. Demarcation of cadastral maps will be done by local agencies approved by the Central Government. The local agencies shall work under the guidance of the concerned State Government or Union Territory Coastal Zone Management Authorities.

D. Hazard mapping:-

II. Classification of CRZ areas

1. The CZM Maps shall be prepared in accordance with para 5 of the CRZ notification demarcating CRZ I, II, III, IV and V.
2. The CZM Maps shall clearly demarcate the land use plan of the area and lists out the CRZ-I areas. All the CRZ-I areas listed under para 7(I)A and B shall be clearly demarcated and colour codes given so that each of the CRZ-I areas can be clearly identified.
3. Buffer zone along mangrove areas of more than 1000sq mts shall be stipulated with a different colour distinguishing from the mangrove area.
4. The buffer zone shall also be classified as CRZ-I area.
5. The hazard line to be drawn up by MoEF shall be superimposed on the CZM maps in 1:25,000 scale and also on the cadastral scale maps.
6. The CRZ-II areas shall be those areas which have been substantially built-up with a ratio of built-up plots to that of total plots is more than 50%.
7. In the CRZ areas, the fishing villages, common properties of the fishermen communities, fishing jetties, ice plants, fish drying platforms or areas infrastructure facilities of fishing and local communities such as dispensaries, roads, schools, and the like, shall be indicated on the cadastral scale maps. States shall prepare detailed plans for long term housing needs of coastal fisher communities in view of expansion and other needs, provisions of basic services including sanitation, safety, and disaster preparedness.
8. No developmental activities other than those listed above shall be permitted in the areas between the hazard line and 500mts or 100mts or width of the creek on the landward side. The dwelling unit of the local communities including that of the fishers will not be relocated if the dwelling units are located on the seaward side of the hazard line. The State Government will provide necessary safeguards from natural disaster to such dwelling units of local communities.
9. The water areas of CRZ IV shall be demarcated and clearly demarcated if the water body is sea, lagoon, backwater, creek, bay, estuary and for such classification of the water bodies the terminology used by Naval Hydrographic Office shall be relied upon.
10. The fishing Zones in the water bodies and the fish breeding areas shall be clearly marked.
11. The water area shall be demarcated indicating the pollution levels as per Central Pollution Control Board standards on water quality.
12. In the CRZ V areas the land use maps shall be superimposed on the Coastal Zone Management Plan and clearly demarcating the CRZ I, II, III, IV.
13. The existing authorized developments on the sea ward side shall be clearly demarcated.

14. The features like cyclone shelters, rain shelters, helipads and other infrastructure including road network may be clearly indicated on the CZM Maps for the purpose of rescue and relief operations during cyclones, storms, tsunami and the like.

III. CZMPs approved by MoEF in accordance with CRZ notification, 1991

1. While preparing the CZMPs under CRZ notification, 2011, the CZMPs that have been approved under the CRZ Notification, 1991 shall be compared. A justification shall be provided by the concerned CZMA in case the CZMPs prepared under CRZ notification, 2011 varies with respect to the approved CZMP prepared under CRZ notification, 1991.

IV. Public Views on the CZMP.

- a) The draft CZMPs prepared shall be given wide publicity and suggestions and objections received in accordance with the Environment (Protection) Act, 1986. Public hearing on the draft CZMPs shall be held at district level by the concerned CZMAs.
- b) Based on the suggestions and objections received the CZMPs shall be revised and approval of MoEF shall be obtained.
- c) The approved CZMP shall be put up on the website of MoEF, concerned website of the State, Union Territory CZMA and hard copy made available in the panchayat office, District collector office and the like.

V. Revision of Coastal Zone Management Plans

1. Whenever there is a doubt the concerned State or Union territory Coastal Zone Management Authority shall refer the matter to the National Centre for Sustainable Coastal Management who shall verify the CZMP based on latest satellite imagery and ground truthing.
2. The rectified map would be submitted to MoEF for its record.

Annexure-II

List of petroleum and chemical products permitted for storage in [CRZ except CRZ-I(A)]

- (i) Crude oil;
- (ii) Liquefied Petroleum Gas;
- (iii) Motor spirit;
- (iv) Kerosene;
- (v) Aviation fuel;
- (vi) High speed diesel;
- (vii) Lubricating oil;
- (viii) Butane;
- (ix) Propane;
- (x) Compressed Natural Gas;
- (xi) Naphtha;

- (xii) Furnace oil;
- (xiii) Low Sulphur Heavy Stock;
- (xiv) Liquefied Natural Gas;
- (xv) Fertilizers and raw materials for manufacture of fertilizers.

Annexure-III

Guidelines for development of beach resorts or hotels in the designated areas of CRZ-III and CRZ-II for occupation of tourist or visitors with prior approval of the Ministry of Environment and Forests

- I. Construction of beach resorts or hotels with prior approval of MoEF in designated areas of CRZ-II and III for occupation of tourist or visitors shall be subject to the following conditions, namely:-
 - (a) The project proponent shall not undertake any construction within 200 metres in the landward side of High Tide Line and within the area between Low Tide Line and High Tide Line;
 - (b) The proposed constructions shall be beyond the hazard line or 200mts from the High Tide Line whichever is more;
 - (c) live fencing and barbed wire fencing with vegetative cover may be allowed around private properties subject to the condition that such fencing shall in no way hamper public access to the beach;
 - (d) no flattening of sand dunes shall be carried out;
 - (e) no permanent structures for sports facilities shall be permitted except construction of goal posts, net posts and lamp posts;
 - (f) Construction of basement may be allowed subject to the condition that no objection certification is obtained from the State Ground Water Authority to the effect that such construction will not adversely affect the flow of groundwater in that area;
 - (g) the State Ground Water Authority shall take into consideration the guidelines issued by Central Government before granting such no objection certificate;
 - (h) though no construction is allowed in the no development zone for the purposes of calculation of Floor Space Index, the area of entire plot including the portion which falls within the no development zone shall be taken into account;

- (i) the total plot size shall not be less than 0.4 hectares and the total covered area on all floors shall not exceed 33 percent of the plot size i.e., the Floor Space Index shall not exceed 0.33 and the open area shall be suitably landscaped with appropriate vegetal cover;
 - (j) the construction shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style;
 - (k) the overall height of construction upto the highest ridge of the roof, shall not exceed 9metres and the construction shall not be more than two floors (ground floor plus one upper floor);
 - (l) groundwater shall not be tapped within 200metre of the High Tide Line; within the 200metre 500metre zone it can be tapped only with the concurrence of the Central or State Ground Water Board;
 - (m) extraction of sand, leveling or digging of sandy stretches except for structural foundation of building, swimming pool shall not be permitted within 500metres of the High Tide Line;
 - (n) the quality of treated effluents, solid wastes, emissions and noise levels and the like, from the project area must conform to the standards laid down by the competent authorities including the Central or State Pollution Control Board and under the Environment (Protection) Act, 1986;
 - (o) necessary arrangements for the treatment of the effluents and solid wastes must be made and it must be ensured that the untreated effluents and solid wastes are not discharged into the water or on the beach; and no effluent or solid waste shall be discharged on the beach;
 - (p) to allow public access to the beach, atleast a gap of 20metres width shall be provided between any two hotels or beach resorts; and in no case shall gaps be less than 500metres apart; and
 - (q) if the project involves diversion of forestland for non-forest purposes, clearance as required under the Forest (Conservation) Act, 1980 shall be obtained and the requirements of other Central and State laws as applicable to the project shall be met with; and
 - (r) approval of the State or Union territory Tourism Department shall be obtained.
- II. In ecologically sensitive areas (such as marine parks, mangroves, coral reefs, breeding and spawning grounds of fish, wildlife habitats and such other area as may be notified by the Central or State Government Union territories) construction of beach resorts or hotels shall not be permitted

Annexure-IV**Form-I for seeking clearance for project attracting CRZ notification**

Basic information:

Name of the Project:-

Location or site alternatives under consideration:-

Size of the project (in terms of total area) :-

CRZ classification of the area :-

Expected cost of the project:-

Contact Information:-

(II) Activity

1. Construction, operation or decommissioning of the Project involving actions, which will cause physical changes in the locality (topography, land use, changes in water bodies, and the like)

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
1.1	Permanent or temporary change in land use, land cover or topography including increase in intensity of land use (with respect to local land use plan)		
1.2	Details of CRZ classification as per the approved Coastal Zone Management Plan?		
1.3	Whether located in CRZ-I area?		
1.4	The distance from the CRZ-I areas.		
1.5	Whether located within the hazard zone as mapped by Ministry of Environment and Forests/National Disaster Management Authority?		
1.6	Whether the area is prone to cyclone, tsunami, tidal surge, subduction, earthquake etc.?		
1.7	Whether the area is prone for saltwater ingress?		
1.8	Clearance of existing land, vegetation and buildings?		
1.9	Creation of new land uses?		
1.10	Pre-construction investigations e.g. bore hole, soil testing?		
1.11	Construction works?		

1.12	Demolition works?		
1.13	Temporary sites used for construction works or housing of construction workers?		
1.14	Above ground buildings, structures or earthworks including linear structures, cut and fill or excavations		
1.15	Underground works including mining or tunneling?		
1.16	Reclamation works?		
1.17	Dredging/reclamation/land filling/disposal of dredged material etc.?		
1.18	Offshore structures?		
1.19	Production and manufacturing processes?		
1.20	Facilities for storage of goods or materials?		
1.21	Facilities for treatment or disposal of solid waste or liquid effluents?		
1.22	Facilities for long term housing of operational workers?		
1.23	New road, rail or sea traffic during construction or operation?		
1.24	New road, rail, air waterborne or other transport infrastructure including new or altered routes and stations, ports, airports etc?		
1.25	Closure or diversion of existing transport routes or infrastructure leading to changes in traffic movements?		
1.26	New or diverted transmission lines or pipelines?		
1.27	Impoundment, damming, culverting, realignment or other changes to the hydrology of watercourses or aquifers?		
1.28	Stream and river crossings?		
1.29	Abstraction or transfers of water from ground or surface waters?		
1.30	Changes in water bodies or the land surface affecting drainage or run-off?		
1.31	Transport of personnel or materials for construction, operation or decommissioning?		
1.32	Long-term dismantling or decommissioning or restoration works?		
1.33	Ongoing activity during decommissioning which could have an impact on the environment?		
1.34	Influx of people to an area in either temporarily or permanently?		
1.35	Introduction of alien species?		
1.36	Loss of native species or genetic diversity?		
1.37	Any other actions?		

2. Use of Natural resources for construction or operation of the Project (such as land, water, materials or energy, especially any resources which are non-renewable or in short supply):

S. No.	Information/checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities /rates, wherever possible) with source of information data
2.1	Land especially undeveloped or agricultural land (ha)		
2.2	Water (expected source & competing users) unit: KLD		
2.3	Minerals (MT)		
2.4	Construction material – stone, aggregates, sand/soil (expected source – MT)		
2.5	Forests and timber (source – MT)		
2.6	Energy including electricity and fuels (source, competing users) Unit: fuel (MT), energy (MW)		
2.7	Any other natural resources (use appropriate standard units)		

3. Use, storage, transport, handling or production of substances or materials, which could be harmful to human health or the environment or raise concerns about actual or perceived risks to human health.

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
3.1	Use of substances or materials, which are hazardous (as per MSIHC rules) to human health or the environment (flora, fauna, and water supplies)		
3.2	Changes in occurrence of disease or affect disease vectors (e.g. insect or water borne diseases)		
3.3	Affect the welfare of people e.g. by changing living conditions?		
3.4	Vulnerable groups of people who could be affected by the project e.g. hospital patients, children, the elderly etc.,		
3.5	Any other causes, that would affect local communities, fisherfolk, their livelihood, dwelling units of traditional local communities etc		

4. Production of solid wastes during construction or operation or decommissioning (MT/month)

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data

4.1	Spoil, overburden or mine wastes		
4.2	Municipal waste (domestic and or commercial wastes)		
4.3	Hazardous wastes (as per Hazardous Waste Management Rules)		
4.4	Other industrial process wastes		
4.5	Surplus product		
4.6	Sewage sludge or other sludge from effluent treatment		
4.7	Construction or demolition wastes		
4.8	Redundant machinery or equipment		
4.9	Contaminated soils or other materials		
4.10	Agricultural wastes		
4.11	Other solid wastes		

5. Release of pollutants or any hazardous, toxic or noxious substances to air (Kg/hr)

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/ No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
5.1	Emissions from combustion of fossil fuels from stationary or mobile sources		
5.2	Emissions from production processes		
5.3	Emissions from materials handling including storage or transport		
5.4	Emissions from construction activities including plant and equipment		
5.5	Dust or odours from handling of materials including construction materials, sewage and waste		
5.6	Emissions from incineration of waste		
5.7	Emissions from burning of waste in open air (e.g. slash materials, construction debris)		
5.8	Emissions from any other sources		

6. Generation of Noise and Vibration, and Emissions of Light and Heat:

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/ No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
6.1	From operation of equipment e.g. engines, ventilation plant, crushers		
6.2	From industrial or similar processes		
6.3	From construction or demolition		
6.4	From blasting or piling		
6.5	From construction or operational traffic		
6.6	From lighting or cooling systems		

6.7	From any other sources		
-----	------------------------	--	--

7. Risks of contamination of land or water from releases of pollutants into the ground or into sewers, surface waters, groundwater, coastal waters or the sea:

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/ No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
7.1	From handling, storage, use or spillage of hazardous materials		
7.2	From discharge of sewage or other effluents to water or the land (expected mode and place of discharge)		
7.3	By deposition of pollutants emitted to air into the land or into water		
7.4	From any other sources		
7.5	Is there a risk of long term build up of pollutants in the environment from these sources?		

8. Risk of accidents during construction or operation of the Project, which could affect human health or the environment

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/ No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
8.1	From explosions, spillages, fires etc from storage, handling, use or production of hazardous substances		
8.2	From any other causes		
8.3	Could the project be affected by natural disasters causing environmental damage (e.g., floods, earthquakes, landslides, cloudburst etc)?		

9. Factors which should be considered (such as consequential development) which could lead to environmental effects or the potential for cumulative impacts with other existing or planned activities in the locality

S. No.	Information/Checklist confirmation	Yes/ No	Details thereof (with approximate quantities/rates, wherever possible) with source of information data
9.1	Lead to development of supporting facilities, ancillary development or development stimulated by the project which could have impact on the environment e.g.: Supporting infrastructure (roads, power supply, waste or waste water treatment, etc.)		

	housing development extractive industries supply industries other		
9.2	Lead to after-use of the site, which could have an impact on the environment		
9.3	Set a precedent for later developments		
9.4	Have cumulative effects due to proximity to other existing or planned projects with similar effects		

III. Environmental Sensitivity

S. No.	Areas	Name/ Identity	Aerial distance (within 15 km.) Proposed project location boundary
1	Areas protected under international conventions, national or local legislation for their ecological, landscape, cultural or other related value		
2	Areas which are important or sensitive for ecological reasons - Wetlands, watercourses or other water bodies, coastal zone, biospheres, mountains, forests		
3	Areas used by protected, important or sensitive species of flora or fauna for breeding, nesting, foraging, resting, over wintering, migration		
4	Inland, coastal, marine or underground waters		
5	State, National boundaries		
6	Routes or facilities used by the public for access to recreation or other tourist, pilgrim areas		
7	Defence installations		
8	Densely populated or built-up area		
9	Areas occupied by sensitive man-made land uses (hospitals, schools, places of worship, community facilities)		
10	Areas containing important, high quality or scarce resources (ground water resources, surface resources, forestry, agriculture, fisheries, tourism, minerals)		
11	Areas already subjected to pollution or environmental damage. (those where existing legal environmental standards are exceeded)		
12	Areas susceptible to natural hazard which could cause the project to present environmental problems (earthquakes, subsidence, landslides, erosion, flooding or extreme or adverse climatic conditions)		

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2011

का.आ. 20(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, अपनी अधिसूचना संख्यांक का.आ. 114(अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) तटीय विनियमन जोन घोषित किया था और उक्त जोनों में उनके संरक्षण के लिए, उद्योगों की स्थापना और विस्तार, संचालनों और प्रक्रियाओं का कतिपय निर्बंधन अधिरोपित किए थे;

और केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा 2) के खंड (V) के अधीन भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय कहा गया है) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 114 (अ), तारीख 19 फरवरी, 1991 को जहां तक उनका संबंध अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप से है और इस प्रयोजन के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप (जिसे इसमें इसके पश्चात् अंडमान और निकोबार कहा गया है) के पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए जारीख 15 सितम्बर, 2010 की संख्या 2291 (अ) द्वारा एक अलग अधिसूचना जारी करती है;

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता के 25 फरवरी, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और जबकि जनता से प्राप्त सुझाव और आपत्तियों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, (पर्यावरण संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा 2 की उपधारा (1) के खंड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राकृतिक परिसंकेतों के प्रति तट की संवेदनशील को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित अविस्तीय एकीकृत प्रबंध योजना के माध्यम से स्थानीय समुदायों को जीविका सुरक्षा प्रदान करने, द्वीप समूह अद्वितीय पर्यावरण और इसके मेरीन क्षेत्र के संरक्षा और सुरक्षा के संवर्धन और विकास के संवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और वृहत्तर निकोबार और अन्य अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के क्षेत्र और लक्षद्वीप द्वीप समूह क्षेत्रों और राज्य क्षेत्रीय समुद्र सीमा तक उनके जल क्षेत्र को द्वीपसमूह संरक्षण जोन के रूप में घोषित करती है और इन क्षेत्रों को द्वीप तटीय विनियम जोन (जिसे इसके बाद आईसीआरजेड कहा गया है) तथा एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंध योजना (जिसे इसके बाद आई आई पी एम कहा गया है) के उपबंधित रीति के सिवाय, किसी उद्योग की स्थापना और विस्तार, संचालनों या प्रक्रियाओं और

विनिर्माण या परिसंकटमय पदार्थ (उठाई- धराई, प्रबंध और पार सीमा संचलन) नियम, 2009 के यथाविनिर्दिष्ट परिसंकटमय पदार्थों की उठाई-धराई या भंडारण या व्ययन के लिए निर्बंधित करती है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के खंड (घ) तथा नियम 5 के उपनियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार की तारीख 19 फरवरी, 1991 की अधिसूचना सं. का.आ. 114 (अ) के अधिक्रमण में सिवाय ऐसे अतिक्रमण से पूर्व किए गए कार्य अथवा छोड़े गए कार्यों के संबंध में केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों को द्वीप सुरक्षा जोन के रूप में घोषित करती है और उद्योगों, प्रचालनों, संचालनों की स्थापना तथा विस्तार संबंधी निम्नलिखित प्रतिबंधों को अधिसूचना के लागू होने की तारीख से प्रतिबंधों को लगाती है,-

I. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह (जिसे इसके पश्चात् अंदमान और निकोबार कहा गया है) तथा लक्षद्वीप के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन निम्न प्रकार से प्रबंधित किया जाएगा :-

क. नीचे उप पैरा ख में उल्लिखित 4 द्वीप समूहों के सिवाय अंदमान और निकोबार का समूचे द्वीप का प्रबंधन आई आई एम पी के अनुसार किया जाएगा;

ख. मध्य अंदमान, उत्तरी अंदमान, दक्षिणी अंदमान और वृहत्तर निकोबार द्वीपसमूह के बड़े भौगोलिक क्षेत्र को ध्यान में रखते इन द्वीप समूह का प्रबंधन द्वीप तटीय विनियमन जोन (जिसे इसके पश्चात् आई सी आर जेड कहा गया है) के अनुसार प्रबंधित किया जाएगा।

अंदमान और निकोबार द्वीप समूहों, पैरा (ख) में उल्लिखित 4 को छोड़कर तथा लक्षद्वीप आई आई एम पी पर आधारित प्रबंधित किया जाएगा, जिसे निम्नलिखित दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किया जाएगा अर्थात:-

(क) एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना तैयार करना

1. अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह संरक्षण जोन के एकीकृत अविस्तीय विकास के प्रयोजन के लिए, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की भीतर अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना तैयार करेगा, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ सभी विद्यमान और प्रस्तावित विकास, संरक्षण और परिरक्षण स्कीमों, अवसंरचना परियोजनाओं, विद्यालयों, बाजारों, अस्पतालों, सार्वजनिक सुविधाओं आदि सहित आवासीय एककों को उपदर्शित करने वाले क्षेत्र विनिर्दिष्ट होंगे।
2. लक्षद्वीप द्वीपसमूह संरक्षण जोन के एकीकृत अविस्तीय विकास के प्रयोजन के लिए, इस अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर लक्षद्वीप प्रशासन एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना तैयार करेगा, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी विद्यालयों और प्रस्तावित विकास, संरक्षण और परिरक्षण स्कीमों, अवसंरचना परियोजनाओं, विद्यालयों, बाजारों, अस्पतालों, सार्वजनिक सुविधाओं और सहित आवासीय एककों को उपदर्शित करने वाले क्षेत्र विनिर्दिष्ट होंगे।

3. द्वीपसमूह प्रशासन, यदि यह आवश्यक समझे इस अधिसूचना की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंध योजना तैयार करने में तटीय संसाधन प्रबंध में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाली अनुसंधान संस्थाओं की सहायता ले सकेगा।
4. द्वीपसमूह और जलीय क्षेत्रों में सभी क्रियाकलाप, एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंध योजनाओं के आधार पर यथास्थिति, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन या लक्षद्वीप द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा विनियमित होंगे।
5. द्वीपसमूह के विकास क्रियाकलापों को, इस समय द्वीपसमूह के प्रवृत्त स्थानीय नगर और ग्राम योजना के नियमों, विनियमों और निर्माण उपविधियों के अनुसार एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंध योजना में सम्मिलित किया जाएगा।
6. रक्षा मंत्रालय की अपेक्षाओं को, यदि कोई हो, एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना में सम्मिलित किया जाएगा और रक्षा संबंधी सभी परियोजनाओं का निर्धारण सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और यथास्थिति अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन या लक्षद्वीप द्वीपसमूह प्रशासन के मुख्य सचिव से मिलकर बनी एक समिति द्वारा किया जाएगा।
7. एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना, प्रत्येक द्वीप के लिए और जैसा कि समय-समय पर अपेक्षित हो, अलग-अलग बनाई जाएंगी।
8. एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना बनाते समय इस अधिसूचना की अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों पर विचार में लिया जाएगा :

परंतु यदि वे क्षेत्र वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) के उपबंधों के अधीन अधिसूचित राष्ट्रीय उद्यानों या अभयारण्यों में सम्मिलित हैं तो उन्हें योजना में पृथक रूप से उल्लिखित किया जाएगा और उनका विनियमन उस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार होगा।

9. एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना में स्वीकृत क्रियाकलाप वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 (1980 का 69), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा जारी अधिसूचनाओं के अनुसरण और 14 सितम्बर, 2006 को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533 (अ) के अधीन किए गए पर्यावरण प्रभाव निर्धारण को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे।
10. (क) एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना तैयार करने के पश्चात, द्वीपसमूह योजना का व्यापक रूप से प्रचार करेंगे और योजनाओं के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों के भीतर जनता और अन्य पण्यधारियों से सुझाव आमंत्रित करेंगे ;

(ख) योजनाओं का प्रचार कम से कम दो समाचारपत्रों में प्रकाशन और प्रशासन की वेबसाइट में माध्यम से किया जाएगा ;

(ग) योजना की हार्ड प्रति तटीय जोन प्रबंध प्रधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के कार्यालय, जिला कलक्टर कार्यालय और प्रदूषण नियंत्रण सचिव के कार्यालय में जनता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी ;

(घ) टिप्पणियां प्राप्त होने पर द्वीपसमूह प्रशासन योजनाओं में आवश्यक परिवर्तन करेगा और इस पर विचार किए जाने और अनुमोदन के लिए इसे केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा ;

(ङ.) योजना को तैयारी में उत्पन्न किसी शिकायत के समाधान और निपटारे के लिए संघ राज्य क्षेत्र सी जेड एम ए द्वीपसमूह तटीय प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण जिम्मेदार होंगे ।

11. केन्द्रीय सरकार में पर्यावरण और वन मंत्रालय, एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना की प्राप्ति के पश्चात् योजना की समीक्षा करने पर यदि वह संतुष्ट है इसकी प्राप्ति के साठ दिनों के भीतर इसका अनुमोदन करेगा ।

12. एकीकृत द्वीपसमूह प्रबंधन योजना के अधीन सभी क्रियाकलापों को द्वीपसमूह में संबंधित प्राधिकारियों द्वारा ऐसी योजना के अनुसरण में विनियमित किया जाएगा ।

III मध्य अंदमान, उत्तरी अंदमान, दक्षिणी अंदमान और वृहत्तर निकोबार का प्रबंधन आई सी आर जेड प्रबंधन आधार पर किया जाएगा, जिसके निम्नलिखित क्षेत्राधिकार होंगे, अर्थात् :-

क (i) उच्च ज्वार रेखा (जिसे इसके पश्चात् एच.टी.एल. कहा गया है) से लेकर समुद्र की ओर अभिमुख 500 मीटर के भू-क्षेत्र को शामिल किया गया है ।

(ii) आई.सी.आर.जेड. उन क्षेत्रों पर भी लागू होता है जो एच.टी.एल. से लेकर ज्वार से प्रभावित जलाशयों, जोकि समुद्र से जुड़ी हुई हैं, की ओर अभिमुख 100 मीटर के भू-क्षेत्र के मध्य स्थित हैं । वह दूरी जहां तक ज्वार से प्रभावित जलाशयों के आसपास विकासात्मक गतिविधियों को विनियमित किया जाना है और इस दूरी का निर्धारण वर्ष के शुष्क काल में लवणीयता की मात्रा को 5 पार्ट्स प्रति हजार (पी.पी.टी.) को आधार मानकर किया जाएगा तथा ज्वार से प्रभावित होने वाली दूरी को आर सी जेड प्लान के अनुसार स्पष्ट रूप से पहचान कर उसका निर्धारण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण :- इस मद के प्रयोजनार्थ ज्वार से प्रभावित जलाशयों का अर्थ है समुद्र, खाड़ी, एश्च्यूरी, झील, बैकवाटर, लघु समुद्र या क्रीक से जुड़े जलाशय इत्यादि ।

(iii) एच.टी.एल. एवं निम्न ज्वारीय रेखा (एल.टी.एल.) के मध्य स्थित भू-क्षेत्र को शामिल किया गया है, जिसे इण्टरटाइड जोन कहा जाएगा ।

(iv) सामान्य समुद्र के लिए एल.टी.एल. एवं क्षेत्रीय जल सीमा (12 नॉटिकल मील) के मध्य स्थित भू-क्षेत्र व ज्वार से प्रभावित जलाशयों के लिए किनारे पर एल.टी.एल. से एल.टी.एल. के बीच के क्षेत्र हैं ।

ख. चार द्वीप समूहों के तटीय क्षेत्र निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किए जाएंगे, अर्थात् :-

1. (क) आई सी आर जेड-I, - पारिस्थितिकीय रूप से संवेदी क्षेत्र और भू आकृति विज्ञान विशेषताएं तट की अखंडता को बनाए रखने में भूमिका निभाता है,-

(i) मैनग्रोव ।

- (ii) मूंगा चट्टानें ।
- (iii) रेतीले किनारे और रेत के टीले ।
- (iv) पंकभूमि ।
- (v) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के अधीन संरक्षित क्षेत्र ।
- (vi) लवणीय दलदल ।
- (vii) कछुओं द्वारा अण्डा देने वाली भूमि ।
- (viii) नाल केकड़ा आवास ।
- (ix) समुद्री घास क्यारियां ।
- (x) समुद्री खरपतवार क्यारियां ।
- (xi) चिड़ियों द्वारा घोंसला बनाने वाली भूमि ।
- (xii) मत्स्य आखेट ग्राम और परंपरागत अधिकारों वाले क्षेत्र ।

- (ख) निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के बीच का भू-क्षेत्र ; तथा
2. आई सी आर जेड-II, - ऐसे क्षेत्र, जो तटीय रेखा के एकदम निकट विकसित या स्थित हो ।

स्पष्टीकरण.- अभिव्यक्ति के प्रयोजनार्थ क्षेत्रों को " विकसित क्षेत्र" कहते हैं जो यह क्षेत्र नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या यह क्षेत्र कानूनन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जोकि पहले से निर्मित हो चुका है तथा जहां उचित जलनिकास प्रणाली एवं सड़कें एवं अन्य आधारभूत ढांचे जैसे जलापूर्ति एवं वाहितमल निकास प्रणाली मौजूद हैं ।

- (3) आई.सी.आर.जेड-III, -

ऐसे क्षेत्र जोकि अभी तक अव्यवस्थित नहीं हैं तथा जिन्हें श्रेणी ख (i) (क) तथा (ख) में शामिल नहीं किया गया है । इसके अंतर्गत वह तटीय क्षेत्र आता है जो ग्रामीण इलाकों (विकसित एवं अविकसित) में स्थित है और ऐसे क्षेत्र जो नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या यह क्षेत्र कानूनन शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आता है जोकि पहले से निर्मित न हुआ हो ।

- (4) आई.सी.आर.जेड-IV -

i. समुद्र की ओर उच्च ज्वार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी का जलीय क्षेत्र;

ii. ज्वार से प्रभावित जलाशयों के आसपास का जलीय क्षेत्र जोकि समुद्र की ओर स्थित जलाशय के मुख से ज्वार से प्रभावित क्षेत्र में आता है । इस दूरी का निर्धारण वर्ष के शुष्क काल में लवणीयता की मात्रा को 5 पार्ट्स पर थाउसेण्ड (पी.पी.टी.) को आधारमानकर किया जाना चाहिए ।

ग. आई सी आर जेड योजनाएं तैयार करना, -

i. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय चार द्वीपों के लिए अंदमान एवं निकोबार प्रशासन के माध्यम से आई सी आर जेड योजना तैयार करायेंगी । पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल

मैनेजमेंट (एन सी एस सी एम) सहित तथा संबंधित हितधारकों के परामर्श से ख्याति प्राप्त और अनुभवी वैज्ञानिक संस्थानों को लगाकर आई सी आर जेड तैयार की जाएगी।

ii. देश के तटीय विस्तार के लिए जोखिम रेखा का मापन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाना चाहिए। जोखिम रेखा के निर्धारण के दौरान ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वृद्धि एवं तटीय रेखा के परिवर्तन संबंधी घटनाओं को शामिल किया जाना चाहिए।

iii. ज्वारीय घटनाओं, लहरों व समुद्री जल स्तर में वृद्धि के कारण अगले पचास और सौ सालों में बाढ़ की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने के उद्देश्य से तटीय विस्तार की कंटूर मैपिंग की जाएगी, जो कि एच टी एल से 0.5 मीटर से लेकर 7 कि.मी. के मध्य होगी। तटीय रेखाओं के परिवर्तन संबंधी घटनाओं से संबंधित रेखा का निर्धारण पुराने आंकड़ों को आधार मानकर, पूर्व के सेटेलाइट चित्रों की तुलना वर्तमान के सेटेलाइट के चित्रों से करके किया जाएगा।

iv. बृहद स्तरीय भू-उपयोग नियोजन हेतु जोखिम रेखा निर्धारण से संबंधित मैपिंग के लिए 1:25,000 स्केल तथा स्थानीय स्तर की मैपिंग के लिए 1:10,000 स्केल का प्रयोग किया जाएगा।

v. अंदमान और निकोबार प्रशासन इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से चौबीस माह की अवधि के अंदर जनता के परामर्श से आई सी आर जेड- I, II, III, IV की पहचान कर और उसका वर्गीकरण करके 1:25,000 मैप स्केल पर आई सी आर जेड योजनाओं का प्रारूप तैयार करेगा।

vi. संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्रारूप आई सी आर जेड योजनाएं मूल्यांकन हेतु अंदमान एवं निकोबार सी जेड एम ए को प्रस्तुत की जाएंगी, जिसमें ई आई ए अधिसूचना, 2006 में निर्धारित प्रक्रिया (ओं) के अनुसार उपयुक्त परामर्श से सिफारिशें शामिल हैं।

vii. अंदमान एवं निकोबार सी जेड एम ए प्रारूप आई सी आर जेड को स्टोक होल्डरों से प्राप्त सुझाव और आपत्तियों को शामिल करने के बार छह माह की अवधि के अंदर आई सी आर जेड योजनाओं से संबंधित सिफारिशों सहित पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

viii. तत्पश्चात् पर्यावरण एवं वन मंत्रालय हर दृष्टि से पूर्ण आई सी आर जेड योजनाओं की प्राप्ति की तारीख से चार माह की अवधि के अंदर आई सी आर जेड योजनाओं पर विचार और अनुमोदित करेगा।

ix. इस अधिसूचना में सूचीबद्ध सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण अथवा संबंधित अंदमान और निकोबार सी जेड एम ए द्वारा ऐसी अनुमोदित आई सी आर जेड योजनाओं के ढांचे के अंतर्गत इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार, जैसा भी मामला हो, नियंत्रित किया जाएगा।

x. आई सी आर जेड योजनाओं को सामान्यता पांच वर्षों की अवधि से पहले संशोधित नहीं किया जाएगा, इसके पश्चात संबंधित संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन उपर्युक्त प्रक्रियाएं अपनाकर मानचित्रों के संशोधन पर विचार करेगा।

घ. चार द्वीपों में इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुज्ञेय गतिविधियों के नियमन के लिए मानदंड,-

1. (i) आई सी आर जेड-I,-

क. निम्नलिखित के अलावा आई सी आर जेड-। में किसी नए निर्माण की अनुमति नहीं होगी,-

- (i) परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित परियोजनाएं;
- (ii) ट्रांसमिशन लाइनों सहित पाइप लाइनें, कन्वेइंग प्रणालियां;
- (iii) आई सी आर जेड-। के अंतर्गत अनुज्ञेय गतिविधियों के लिए अनिवार्य सुविधाएं;
- (iv) भारतीय मौसम विभाग द्वारा चक्रवातों और तूफानों की गति तथा पूर्वानुमान लगाने के लिए मौसमी रडार स्थापित करना ;

(v) एल टी एल एवं एच टी एम के मध्य ज्वारीय प्रवाह को नुकसान पहुंचाए बिना द्वीप समूह के पार समुद्री मार्ग का निर्माण;

(ख). एल टी एल एवं एच टी एल के मध्य का ऐसा क्षेत्र जो पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण न हो, में निम्नलिखित गतिविधियों को करने की अनुमति देते समय आवश्यक सुरक्षा उपाय किए जाएंगे, अर्थात् :-

- (i) प्राकृतिक गैस का उत्खनन एवं निष्कर्षण;
- (ii) संबंधित सी जेड एम ए से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् जैव मंडल रिजर्वों में निवास करने वाले पारंपरिक समुदाय की आवश्यकता हेतु चिकित्सालय, विद्यालय, सार्वजनिक आवासीय भवन, सामुदायिक शौचालय, पुल, सड़क, जेट्टी, जलापूर्ति व्यवस्था, जल निकास प्रणाली, सीवरज के निकास की व्यवस्था इत्यादि का निर्माण ;
- (iii) यदि ऐसे क्षेत्र खतरनाक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो ऐसे विकासात्मक कार्यकलापों की अनुमति देने से पहले आवश्यक सुरक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए;
- (iv) डिसेलिनेशन संयंत्र;
- (v) पूर्व निर्धारित बंदरगाहों पर खाद्य तेल, उर्वरकों और खाद्य सामग्री जैसे जोखिम रहित पदार्थों का भंडारण ;

2. आई सी आर जेड-।।

- (i) केवल पहले से निर्मित सड़कों की भूमि की ओर या किसी प्राधिकरण से संबंधित भवनों की भूमि की ओर ही भवनों के निर्माण की अनुमति प्रदान की जाएगी ;
- (ii) वे भवन जिन्हें पहले से निर्मित या प्रस्तावित सड़कों से पहले से निर्मित किसी प्राधिकरण से संबंधित भवनों की ओर बनाए जाने की अनुमति प्राप्त है, फ्लोर स्पेस इंडेक्स (जिसे इसके पश्चात् एफ एस आई कहा गया है) या फ्लोर एरिया रेशियो (जिसे इसके पश्चात् एफ ए आर कहा गया है) के 'मौजूदा' मानकों सहित स्थानीय नगर आयोजना विनियमों के अधीन होगी ;

बशर्ते कि समुद्र की ओर पहले से निर्मित सड़क पर बने नए सड़कों की ओर की भूमि पर किसी भी प्रकार के भवनों के निर्माण की प्रक्रिया को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

- (iii) प्राधिकृत भवन के पुनः निर्माण की अनुमति मौजूदा उपयोग में परिवर्तन किए बिना मौजूदा एफ एस आई या एफ ए आर के अधीन दी जाएगी ।

3. आई सी आर जेड-III

(क) समुद्र की ओर और ज्वारीय लहरों से प्रभावित जलाशयों या खाड़ी की चौड़ाई, जो भी कम हो, के किनारे सौ मीटर तक एच टी एल से 200 मीटर तक भूमि की ओर के क्षेत्र को "नो डेवलपमेंट जोन (जिस इसके पश्चात् एन डी जेड कहा गया है) के रूप में चिह्नित किया जाएगा, " -

- (i) किसी पूर्व निर्धारित बंदरगाह की सीमाओं में आने वाले ऐसे क्षेत्रों में एन डी जेड लागू नहीं होगा।
- (ii) मौजूदा एफ एस आई मौजूदा प्लानिंग क्षेत्र और मौजूदा सघनता से अधिक न होने वाले मौजूदा प्राधिकृत भवन की मरम्मत या पुनःनिर्माण और कार्यकलापों के लिए आवश्यक सुविधाओं सहित अधिसूचना के अंतर्गत स्वीकार्य कार्यों के सिवाय एन डी जेड में किसी निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी। समुद्र के किनारे के साथ-साथ एच टी एल से 100 और 200 मीटर के बीच मछुआरा समुदायों सहित परंपरागत तटीय समुदायों की आवासीय इकाइयों के निर्माण/पुनःनिर्माण की अनुमति होगी, जिसे मछुआरा समुदाय सहित परंपरागत तटीय समुदायों के साथ-साथ परामर्श कर संघ-राज्य क्षेत्र द्वारा आवश्यक आपदा प्रबंधन प्रावधान, स्वच्छता तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के लिए संबंधित राज्य या संघ-राज्य क्षेत्र सी जेड एम ए से एन सी जेड एम ए की सिफारिश पर शुरू किया जाएगा;
- (iii) तथापि, एन डी जेड में निम्न गतिविधियों को संचालित करने की अनुमति दी जा सकती है, -

- (क) कृषि, शाक-भाजी उत्पादन, बागवानी, चरागाह, पार्क, खेल का मैदान और वानिकी;
- (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं;
- (ग) दुर्लभ खनिजों का खनन;
- (घ) अधिसूचना के संलग्नक-2 में वर्णित नियमों के अनुसार ही पेट्रोलियम उत्पादों तथा तरल प्राकृतिक गैस का परिवहन एवं भंडारण;
- (ङ) तरल प्राकृतिक गैस के पुनः गैसीकरण की सुविधाएं;
- (च) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन की सुविधाएं;
- (छ) डिसेलिनेशन संयंत्र एवं इससे जुड़ी सुविधाएं;
- (ज) मौसमी रडार;
- (झ) संबंधित सी जेड एम ए से अनुमति प्राप्त स्थानीय समुदाय की आवश्यकता हेतु चिकित्सालय, विद्यालय, सार्वजनिक आवासीय भवन, सामुदायिक शौचालय, वर्षा से बचाव के लिए सार्वजनिक आश्रय स्थल, पुल, सड़क, जेट्टी, जलापूर्ति व्यवस्था, जल निकास प्रणाली, सीवररेज के निकास की व्यवस्था, शवदाहगृह, सीमेटरीज और विद्युत उप संस्थान की व्यवस्था अंदमान और निकोबार सी जेड एम ए द्वारा मामला दर मामला आधार पर दी जाएंगी;
- (ञ) संबंधित प्रदूषण नियंत्रण समिति के पूर्व अनुमोदन से घरेलू सीवेज उपचार एवं निस्तारण के लिए बनाए जाने वाली निकायों या संबंधित निकायों का निर्माण;
- (ट) स्थानीय मछुआरा समुदाय के लिए आवश्यक सुविधाएं जैसे- मछलियों को सुखाने के लिए प्रांगण, नीलामी के लिए एक हॉल, जाल की मरम्मत के लिए प्रांगण, पारंपरिक नौका निर्माण संबंधी प्रांगण, बर्फ संयंत्र, बर्फ तोड़ने की इकाई, मछलियों के उपचार से संबंधित सुविधाएं आदि;
- (ठ) हवाई पट्टियां और उनसे संबंधित सुविधाएं।

(ख). 200 मीटर से 500 मीटर तक का क्षेत्र, -

उपर्युक्त क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप स्वीकार्य होंगे;

- (i) अधिसूचना के अनुबंध-III में विशेष रूप से दिए गए नियमों के अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों तथा तरल प्राकृतिक गैस का परिवहन एवं भंडारण;
- (ii) अधिसूचना के अनुबंध-IV में दिए गए विशेष दिशानिर्देशों के अनुसार शर्तों के अधीन पर्यटकों अथवा आगंतुकों के लिए होटलों या समुद्र तटीय रिसॉर्टों के निर्माण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्रों में खाली भू-खंड विकसित करना;
- (iii) तरल प्राकृतिक गैस के रीगैसीफिकेशन के लिए सुविधाएं ;

4. आईसीआरजेड-IV क्षेत्रों में,-

स्थानीय समुदायों द्वारा शुरू की गई परंपरागत फिशिंग और संगत गतिविधियों को छोड़कर समुद्र और ज्वार प्रभावित जल निकायों पर प्रतिबंधित गतिविधियों का विनियमन जिनमें पत्तनों, बंदरगाहों तथा अग्रतट की विकासात्मक गतिविधियां भी शामिल हैं; का विनियमन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) जल जीव जंतु पालन आपरेशनों सहित सभी प्रकार की गतिविधियों के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले किसी तरह के अशोधित सीवेज, बहिस्त्रावों, ब्लास्ट वाटर, शिपवाशेज, उड़नराख अथवा ठोस अपशिष्ट को डम्प नहीं किया जाएगा और तटीय नगरों और शहरों से उत्पन्न होने वाले सीवेज के शोधन के लिए एक योजना परंपरागत तटीय समुदायों, परंपरागत मछुआरों सहित स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श करके एक वर्ष के भीतर तैयार करके कार्यान्वित की जाएगी;
- (ख) तेल और गैस अन्वेषण और ड्रिलिंग, खनन, बोट हाउस तथा शिपिंग से उत्पन्न प्रदूषण;
- (ग) स्थानीय समुदायों द्वारा शुरू की गई परंपरागत फिशिंग और संगत गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

5. अवधि, जब तक के लिए आईसीआरजेड और आईआईएमपी वैध होगी-

- (i) आईसीआरजेड और आईआईएमपी पांच वर्षों के लिए वैध होगी और अगली आईआईएमपी योजना के समाप्त होने की तारीख से पूर्व छह माह की अवधि के भीतर तैयार कर ली जाएगी:
परन्तु कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन अथवा जैसा भी मामला हो, लक्षद्वीप प्रशासन आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय योजना की समीक्षा कर सकता है।
- (ii) सीआरजेड अधिसूचना, 1991 के अंतर्गत पहले से अनुमोदित तटीय जोन प्रबंधन योजनाएं सामान्यतः चौबीस महीनों के लिए वैध होंगी, बशर्ते कि उपर्युक्त अवधि को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा उन निबंधनों और शर्तों के अधीन, जिनको इस संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया हो, एक विशिष्ट अधिसूचना जारी करके बढ़ाया न गया हो।

6. इस अधिसूचना का प्रवर्तन और मॉनीटरिंग,-

- (क) इस अधिसूचना के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रवर्तन तथा इसके अंतर्गत विनिर्धारित शर्तों के अनुपालन के प्रयोजनार्थ मूल अथवा प्रत्यायोजित शक्तियां पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासन, एनसीजेडएमए तथा केन्द्र शासित प्रदेश के सीजेडएमए के पास उपलब्ध हैं।

- (ख) एनसीजेडएमए और केन्द्र शासित प्रदेश के सीजेडएमए की संरचना, कार्यकाल और अधिदेश को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1993 की रिट याचिका 664 के संबंध में दिए गए आदेशों के अनुसार पहले ही अधिसूचित किया जा चुका है।
- (ग) राज्य सरकार अथवा केन्द्र शासित प्रदेश की सीजेडएमए इस अधिसूचना के प्रवर्तन और मॉनीटरिंग हेतु तथा इस कार्य में सहायता करने हेतु मुख्य रूप से उत्तरदायी होगी, राज्य सरकार और केन्द्र शासित प्रदेश की सरकार संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समितियों का गठन करेगी जिसमें मछुआरों सहित स्थानीय परंपरागत समुदायों के कम से कम तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे।
- (घ) मछुआरा समुदायों, जनजातियों सहित परंपरागत तटीय समुदायों की आवास इकाइयों जिनके संबंध में सीआरजेड अधिसूचना 1991 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमति थी, लेकिन उनके संबंध में उपर्युक्त अधिसूचना के अंतर्गत संबंधित प्राधिकारियों से औपचारिक अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, पर विचार संबंधित केन्द्र शासित प्रदेश के सीजेडएमए द्वारा किया जाएगा और आवास इकाइयों को निम्नलिखित शर्त के अधीन विनियमित किया जाएगा, नामशः-
- (i) उनका उपयोग किसी तरह की वाणिज्यिक गतिविधि के लिए नहीं किया जाएगा;
 - (ii) उन्हें किसी गैर-परंपरागत तटीय समुदाय को बेचा अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा;

7. अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप में निम्नलिखित गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी:-

- (i) प्रवाल भित्तियों को नष्ट करना,
 - (ii) प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में और उनके आस-पास के क्षेत्रों तथा देशज और संकटापन्न प्रजातियों के आश्रय और प्रजनन स्थलों पर बालू का खनन;
 - (iii) प्रवाल भित्तियों, कच्छ वनस्पतियों के समुद्री क्षेत्र पर तटीय सुरक्षा निर्माण कार्य (ठोस निर्माण);
 - (iv) अशोधित सीवेज अथवा बहिस्रावों का निपटान;
 - (v) उड़नराख, औद्योगिक अपशिष्ट, चिकित्सीय अपशिष्ट, जैविक रूप से नष्ट न होने वाला अपशिष्ट तथा इसी तरह के अपशिष्टों का निपटान;
 - (vi) पारिस्थितिकीय दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों से दस किलोमीटर तक के क्षेत्र में रेड श्रेणी के उद्योग पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) अथवा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 अथवा जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत यथा प्रतिबंधित।
 - (vii) निम्नलिखित को छोड़कर नए उद्योगों की स्थापना करना और मौजूदा उद्योगों का विस्तार करना:-
- (क) जो प्रत्यक्ष रूप से वाटरफ्रंट से संबंधित हैं अथवा जिनके संबंध में अग्रतटीय सुविधाओं की आवश्यकता हेतु स्पष्टीकरण:- इस मद के प्रयोजनार्थ अग्रतटीय सुविधाओं का आशय उन गतिविधियों से है जो इस अधिसूचना के अंतर्गत अनुज्ञेय हैं और जिनके प्रचालन के लिए वाटरफ्रंट पत्तनों और बंदरगाहों, जेट्टीज, व्हारव्ज, अपरदन नियंत्रण उपायों, ब्रेकवाटर, पाइप लाइनों, लाइट हाउसों, नेवीगेशनल सुरक्षा सुविधाओं, तटीय पुलिस स्टेशनों और इसी तरह की सुविधाओं की आवश्यकता होती है;
- (ख) एटमी ऊर्जा विभाग की परियोजनाएं;

- (ग) गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत उत्पादन की सुविधाएं और सामाजिक प्रभावों सहित प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के आधार पर इस अधिसूचना के अंतर्गत पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अवर्गीकृत क्षेत्रों में लवणता दूर करने संबंधी संयंत्र लगाने की सुविधाएं;
- (घ) स्थानीय नगर आयोजना विनियमों के अनुसार मछुआरों सहित स्थानीय समुदायों की आवासीय इकाइयों का निर्माण और उनकी मरम्मत;
- (viii) निम्नलिखित को छोड़कर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की दिनांक 28 जुलाई, 1989 की अधिसूचना संख्या एसओ. 594 (ई), दिनांक 27 नवम्बर, 1989 की एमओ सं. 966 (ई) और दिनांक 5 दिसम्बर, 1989 की जीएसआर 1037 (ई) में यथा विनिर्दिष्ट तेल भंडारण का विनिर्माण अथवा हथालन अथवा परिसंकटमय पदार्थों का निपटान:-
- (क) समुद्री जहाज से पत्तनों, टर्मिनलों और शोधन कारखानों तक परिसंकटमय पदार्थों का स्थानांतरण;
- (ख) इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक-1। में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार पेट्रोलियम उत्पादों और तरल प्राकृतिक गैस की प्राप्ति और भंडारण की सुविधाएं तथा आईसीआरजेड-1(ए) के रूप में वर्गीकृत न किए गए क्षेत्रों तथा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अभिनिर्धारित अन्य क्षेत्रों में तरल प्राकृतिक गैस (जिसे इसके बाद एलएनजी कहा जाएगा) के पुनः गैसीकरण के लिए सुविधाएं, बशर्ते कि इससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों सहित सुरक्षा विनियमों का कार्यान्वयन हो तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन हो। इसके अलावा, ये सुविधाएं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण के संबंध में यथा विनिर्धारित सुधारात्मक उपायों के कार्यान्वयन संबंधी निबंधनों और शर्तों के अधीन भी होंगी।
- परंतु कि उर्वरकों जैसे कि अमोनियां, फास्कोरिक एसिड, सल्फर, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक एसिड तथा इसी तरह के उर्वरकों के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री और उर्वरकों की अभिप्राप्ति और भंडारण संबंधी सुविधाओं की अनुमति वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 तथा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत आईसीआरजेड-1 के रूप में अवर्गीकृत क्षेत्रों तथा पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में अभिनिर्धारित किए गए क्षेत्रों के उपर्युक्त जोन के भीतर ही होगी;
- (ix) अनुज्ञेय क्षेत्रों में हैचरी और कम हो रही प्राकृतिक रूप से उत्पन्न मछलियों को छोड़कर फिश प्रोसेसिंग इकाइयों तथा बेयर हाउसिंग की स्थापना और उनका विस्तार;
- (x) निम्नलिखित को छोड़कर भूमि सुधार, बंडिंग अथवा समुद्रीजल के प्राकृतिक बहाव का अवरोधन;
- (क) जो पत्तनों, बन्दरगाहों, जेट्टीज, व्हावर्ज, स्वेज, स्लिपवेज, पुलों, समुद्री संपर्क मार्गों, स्टिल्ट्स पर सड़क निर्माण तथा रक्षा और सुरक्षा के उद्देश्यों के लिए सुविधाओं की स्थापना, विनियोग अथवा आधुनिकीकरण अथवा अग्रतटीय सुविधाओं के विस्तार संबंधी सुविधाओं और अन्य सुविधाओं, जोकि अधिसूचना के अंतर्गत अनुज्ञेय गतिविधियों के लिए आवश्यक हैं;

- (ख) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (जिसे इसके बाद ई आई ए कहा जाएगा) अध्ययनों सहित वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर अपरदन का नियंत्रण करने के उपाय;
- (ग) ई आई ए अध्ययनों के आधार पर जलमार्गों, चैनलों और पतनों का रख-रखाव अथवा क्लीयरिंग
- (घ) बालू के बार रोकने के उपाय, ज्वारीय नियंत्रकों की स्थापना, तूफानी जल ड्रेन बिछाना अथवा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली किसी एजेंसी द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर लवणीयता के प्रवेश को रोकने और शुद्ध जल के रीचार्ज के लिए संरचनाओं हेतु ;
- (xi) निम्नलिखित के लिए आवश्यक सुविधाओं को छोड़कर अपशिष्टों और बहिस्रावों के लिए इकाइयों अथवा इकाइयों अथवा कार्यतंत्र की स्थापना और विस्तार ;
- (क) जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) के अंतर्गत दिए गए अनुमोदन से शोधित बहिस्रावों को जलबहाव के डिस्चार्ज करना ;
- (ख) स्टोर्म वाटर ड्रेन्स और पम्पिंग के लिए एनसिलियरी स्ट्रक्चर्स ;
- (ग) आई सी आर जेड-1 के अलावा आई सी आर जेड क्षेत्रों में स्थित बीच रिसोर्ट्स तथा मानव बस्तियों के कारण उत्पन्न अपशिष्ट और बहिस्रावों का शोधन तथा शोधित अपशिष्टों और बहिस्रावों का निपटान;
- (xii) उद्योगों, शहरों अथवा कस्बों व अन्य मानव बस्तियों से उत्पन्न अशोधित अपशिष्टों और बहिस्रावों को डिस्चार्ज करना और संबंधित प्राधिकारी इस प्रकार के मौजूदा डिस्चार्ज, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से दो वर्षों से अनधिक समय अवधि के भीतर स्कीमों का कार्यान्वयन करेंगे;
- (xiii) भूमि चराई और इसी तरह के कार्यों के प्रयोजनार्थ निर्माण संबंधी डेब्रिस, औद्योगिक ठोस अपशिष्टों, फ्लाई एश सहित शहरों अथवा कस्बों से उत्पन्न अपशिष्टों को डम्प करना और संबंधित प्राधिकरण किसी भी मौजूदा प्रथा, यदि कोई हो, को दूर करने के लिए स्कीमों का कार्यान्वयन करेगा। यह प्रथा इस अधिसूचना के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दूर किया जाएगा।
- टिप्पणी : पर्यावरण एवं वन मंत्रालय 34 पैराओं (v), (vi) और (vii) के संबंध में निर्धारित समय सीमा सहित कार्य योजनाएं तैयार करने, उनका कार्यान्वयन करने और मानीटरिंग करने के संबंध में राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को अलग से अनुरोध जारी करेगा।
- (xiv) वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर तथा राज्य सरकार अथवा केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के साथ परामर्श करके पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित ई आई ए अधिसूचना, 2006 के अनुसार रणनीतिक और रक्षा विषयों के रूप में वर्गीकृत परियोजनाओं को छोड़कर तटीय क्षेत्र में हाई इरोडिंग क्षेत्रों में पत्तन और बन्दरगाह परियोजनाएं;
- (xv) वाणिज्यिक प्रयोजनों जैसे कि शॉपिंग और आवास परिसरों, होटलों तथा मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के लिए पुनरुद्धार;
- (xvi) (क) आई सी आर जेड क्षेत्र में अनुपलब्ध दुर्लभ खनिजों को छोड़कर बालू, चट्टानों और अन्य सबस्ट्रेटा सामग्रियों का खनन;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण और उपयोग;

(xvii) निम्नलिखित को छोड़कर; एच टी एल के 200 मी. के भीतर भूमिजल का ड्राल और उससे संबंधित निर्माण कार्य; नामश:-

(क) ऐसे क्षेत्रों में जहां स्थानीय समुदाय रहते हैं और केवल उनके उपयोग के लिए ;

(ख) 200 मी. से 500 मी. वाले जोन के मध्य पड़ने वाले क्षेत्र में भूमि जल में ड्राल की अनुमति तभी दी जाएगी जब ऐसा कार्य पीने के लिए, बागवानी, कृषि और मत्स्य पालन के लिए सामान्य नलकुपों के जरिए मानवों द्वारा स्वयं किया गया हो और जहां जल का कोई दूसरा स्रोत उपलब्ध न हो ।

टिप्पणी :समुद्री जल के प्रवेश कर जाने से प्रभावित क्षेत्रों में राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन द्वारा नामोद्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसे ड्राल पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है ।

(xviii) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को छोड़कर पारिस्थितिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियाँ;

(xix) सुन्दरता, मनोरंजन और अन्य दूसरे आयोजनों के लिए लैंडस्केप परिवर्तन सहित बालू के टीलों; पहाड़ियों, प्राकृतिक स्थलों की ड्रेसिंग अथवा रूपांतरण ;

(xx) समुद्री /तटीय पुलिस स्टेशनों की पैट्रोलिंग और सर्तकता गतिविधियों के लिए अपेक्षित सुविधाएं ;

8. परियोजनाओं के लिए इस अधिसूचना के अंतर्गत स्वीकृतियों की वैधता - इस अधिसूचना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, वे निर्माण और प्रचालन की शुरुआत के लिए दी गई स्वीकृति जारी होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगी ।

9. ई आई ए अधिसूचना, 2006 अथवा अन्य अधिसूचना की अनुप्रयोज्यता - पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अथवा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980(1980 का 69), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 52)को आकर्षित करने वाली विकास परियोजनाओं पर विचार उसके अंतर्गत किए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा और कोई भी सिफारिश करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी ।

10. जिन गतिविधियों को उपर्युक्त आई आई एम पी में सूचीबद्ध नहीं किया गया है, उनसे संबंधित निर्णय हेतु संबंधित केंद्रशासित प्रदेश के प्रशासन के माध्यम से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पास भेजा जाएगा ।

[फा. सं. 12/3/2008 आईएन III]

ज. मो. माकसकर, अपर सचिव

अनुबंध -I**एकीकृत द्वीप समूह प्रबंध योजना और द्वीप समूह तटीय विनियमन जोन की तैयारी के लिए दिशा निर्देश**

1. एकीकृत द्वीप समूह प्रबंधन योजना हेतु समूचे द्वीप समूह पर जलीय क्षेत्र सहित विचार किया जाएगा जबकि आईसीआरजेड के लिए पैरा -III (क) में दिए अनुसार क्षेत्राधिकार होगा ।
2. एकीकृत द्वीप समूह प्रबंध योजना तैयार की जाएगी जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि सभी वर्तमान और भावी विकास, संरक्षण और परिरक्षण स्कीमें 10 वर्ष की समयावधि के साथ होंगी ।
3. एकीकृत द्वीप समूह प्रबंधन योजना और आईसीआरजेड मानव जीवन की व्यवहार्यता और एलिवेशन पर आधारित सम्पदा, जियोमार्फालाजी, समुद्र स्तरीय रूख और हारिजेन्टल लाईन विखंडन का निवारण करेगी और उन उपयुक्त क्षेत्रों को इंगित करेगी जो आवासीय इकाइयों, अवसंरचना आदि के लिए सुरक्षित होंगे और स्थानीय समुदायों के जीवन और सम्पदा के लिए उपयुक्त बचावकारी उपाय, प्राकृतिक संकटों से अवसंरचना को एकीकृत द्वीप समूह प्रबंधन योजना में इंगित करेंगे ।
4. संकट रेखा और भूमि की ओर उच्च ज्वार भाटा लाईन से 500 मीटर के बीच पड़ने वाले भू-क्षेत्र, समुद्रफ्रंट के मामले में और संकट रेखा और ज्वारभाटा प्रभावित जल पिण्ड के मामलों में शब्द 'संकट रेखा' पर्यावरण और वन मंत्रालय (इसके बाद एमओईएफ कहा जाएगा) द्वारा चिह्नित रेखा भारतीय सर्वेक्षण के माध्यम से (इसके बाद इसे एसओआई कहा जाएगा) ज्वारभाटों, हवाओं, समुद्र स्तर उत्थान और समुद्र रेखा परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए अभिप्रेरित है ।
5. इस अधिसूचना में सूचीबद्ध के अलावा कोई विकासात्मक कार्यकलाप ऐसे क्षेत्रों में अनुचित नहीं होगा जो संकट रेखा और भूमि की ओर कृषि की चौड़ाई अथवा 500 मीटर अथवा 100 मीटर के बीच हो । स्थानीय समुदायों, आदिवासियों की आवासीय यूनिटों जिनमें मछुआरों के आवास भी शामिल हैं, को पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा यदि आवासीय इकाइयां संकट रेखा से समुद्र की ओर स्थित हों । केन्द्रशासित प्रशासन स्थानीय समुदायों की ऐसी इकाइयों को आवश्यक सुरक्षोपाय प्रदान करेगा ।
6. सभी मौजूदा सड़कें जिनमें आन्तरिक सड़कें भी शामिल हैं, को मजबूत बनाया जाएगा, क्योंकि ये सड़कें प्राकृतिक विपदा में आजीविका, संचार, बचाव, राहत, खाली करने के उपायों के लिए काम आएंगी ।
7. पर्याप्त चक्रवात शैल्टों को चिह्नित किया जाएगा और उनका निर्माण ऊंचे क्षेत्रों अथवा स्टिल्टों पर किया जाएगा जो आबादी वाले क्षेत्रों के साथ हों ।
8. मौजूदा और नए स्कूल, मार्केट क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक सुविधाएं (जल शौचालयों को छोड़कर) जहां अधिक संख्या में जनता इकट्ठी हो, उन्हें सामान्य तौर पर सुरक्षित क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा विशेषकर ऊंचे क्षेत्रों में अथवा सुरक्षित क्षेत्रों में ।

9. समुद्रों की तरफ की ओर पर्याप्त जैव-शील्ड स्थानीय वनस्पति, वृक्षों, मैंग्रोव सहित रोपित किए जाएंगे और अन्य संवेदनशील सुरक्षा उपाय किए जाएंगे ।
10. एकीकृत द्वीप समूह प्रबंध योजना और आईसीआरजेड वैज्ञानिक विधि पर आधारित होगी जो संचालित प्राधिकरण के अनुमोदन से होगी, जिनमें उपयुक्त तटीय सुरक्षा ढांचों का निर्माण ऐसी योजना के अनुरूप होगा ।
11. समुद्रतटों (बीचों) की सुरक्षा की जाएगी और उनमें कोई विकासीय कार्यकलाप अनुचित नहीं होगा ।
12. रेत के टीले, जो बाढ़ की अवस्था में प्रकृतिक अवरोधक हैं, उन्हें संरक्षित किया जाएगा और उनका रखरखाव किया जाएगा अथवा उनका पुनरुद्भव किया जाएगा, जो झाड़ियां लगाकर होगा अथवा उपयुक्त उपायों के जरीए होगा ।
13. द्वीप समूह प्रशासन द्वारा सिफारिश किए अनुसार मत्स्यन यंत्रों की स्थापना सहित स्थानीय समुदायों द्वारा परम्परागत मत्स्यन के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।
14. (क) योजना में उपयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन करके निर्माण सामग्री का खनन, विशेषकर गहरे समुद्र तल से बालू निकालना (15 मीटर गहराई से आगे) अनुमित होगा ।
 - i. वैकल्पिक निर्माण सामग्री, जैसे बांस, स्थानीय वन उत्पाद को अभिज्ञात किया जाए और उपयोग किया जाए ।
 - ii. अन्य सामग्री जैसे धातु, होलो ब्रिक ब्लाक्स और इसी तरह की सामग्री मुख्य भूमि से लाई जाएगी ।
15. गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत को बल दिया जाएगा विशेषकर वायु, सौर और ज्वारभाटा ऊर्जा, गैर-क्षारीकरण, जल पुनः चक्रण और स्थानीय उत्पादों को इस्तेमाल करने पर बल दिया जाएगा ।
16. चक्रवात, सुनामी और ऐसी घटनाओं के लिए पूर्व चेतावनी सिस्टम प्रदान किया जाएगा और खाली करने और आपदा में राहत उपाय योजना एकीकृत द्वीप समूह प्रबंध योजना में निर्मित की जाएगी ।
17. उन लोगों के लिए जो प्राकृतिक आपदा के कारण विस्थापित हो गए हैं, उनकी पुनः स्थापना और विस्थापन के लिए एकीकृत द्वीप समूह प्रबंध योजना में आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे ।
18. एकीकृत द्वीप समूह प्रबंध योजना और आईसीआरजेड में आबादी के अंतर्गत क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा और भावी विकास के लिए योजना तैयार की जाएगी ।
19. आरक्षित वनों, संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्यों के तहत क्षेत्रों को जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69) के अंतर्गत अथवा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53)

और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के तहत अधिसूचित सुरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत कोई विकासात्मक कार्यकलाप अनुमित नहीं किए जाएंगे।

20. स्थानीय समुदायों के आवासीय यूनिटों अथवा अवसंरचना, जो योजना की तैयारी के समय मौजूद हो, को विस्थापित नहीं किया जाएगा।
21. मौजूदा भवनों अथवा बुनियादी ढांचों की मरम्मत, जिनमें पुनः निर्माण भी शामिल है, के संबंध में किए जाने वाले कार्य अनुमित होंगे।
22. आईआईएमपी और आईसीआरजेड 1:25,000 के मानचित्र व्यापक स्तरीय नियोजन के लिए और 1:10,000 अथवा केडस्ट्रल स्केल सूक्ष्म स्तरीय प्लानिंग के लिए तैयार किए जाएंगे।
23. उच्च ज्वारभाटा लाईन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा प्राधिकृत अभिकरण द्वारा चिह्नित कराई जाएगी।

अनुबंध-II

पेट्रोलियम व रसायन उत्पादों की सूची जिनका भण्डारण (आई सी आर जेड(क) और अन्य अभिज्ञात पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों को छोड़कर अनुमित है

- (i) कच्चा तेल ;
- (ii) लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस;
- (iii) मोटर स्पिट;
- (iv) कैरोसिन;
- (v) विमान ईंधन;
- (vi) हाई स्पीड डीजल;
- (vii) लुब्रीकेटिंग ऑयल;
- (viii) ब्यूटेन;
- (ix) प्रोपेन;
- (x) कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस;
- (xi) नेपथा;
- (xii) फर्नेस ऑयल;
- (xiii) लो सल्फर हैवी स्टॉक;
- (xiv) लिक्विफाइड नेचुरल गैस;
- (xv) उर्वरक व उर्वरकों के उत्पादन हेतु कच्चा माल।

अनुबंध III

आईसीआरजेड-III और आईसीआरजेड II/ आईआईएमपी के निर्धारित क्षेत्रों में तट रिसोर्ट / होटलों के विकास में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति के बाद सैलानियों अथवा यात्रियों के ठहरने संबंधी दिशानिर्देश ।

1. सैलानियों / यात्रियों के अस्थाई निवास हेतु एसपीसीजेड-II और III के निर्धारित क्षेत्रों में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्वानुमति के पश्चात् तट रिसोर्ट / होटलों के निर्माण निम्नांकित परिस्थितियों से संदर्भित होंगे :

- (क) परियोजना प्रस्तावक उच्च ज्वारभाटा रेखा की भूमि की ओर 200 मीटर के भीतर रेखा के भीतर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करेगा ।
- (ख) प्रस्तावित निर्माण संकट रेखा अथवा उच्च ज्वार रेखा से 200 मीटर जो भी अधिक हो, से परे किया जाएगा ।
- (ग) निजी संपत्तियों के चारों ओर पौधों और कांटेदार तारों द्वारा चाहरदीवारी के निर्माण की अनुमति इस शर्त पर दी जा सकती है कि इनके कारण लोगों की समुद्री किनारे तक पहुँच में कोई व्यवधान न हो ।
- (घ) रेत के टीलों को समतल नहीं किया जायेगा ;
- (ङ) खेल सुविधाओं के लिए, गोल पोस्ट, नेट पोस्ट और लम्प पोस्ट के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के स्थाई निर्माण की अनुमति नहीं होगी ।
- (च) तहखाने के निर्माण की अनुमति इस आधार पर दी जा सकती है कि राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण से इस बात का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करनी होगी कि निर्माण उस क्षेत्र में भू-गर्भीय जल के मुक्त प्रवाह को प्रभावित नहीं करेगा ।
- (छ) राज्य भूगर्भ जल प्राधिकरण इस प्रकार के अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले केंद्र सरकार द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों का संदर्भ लेगा ।
- (ज) यद्यपि विकास रहित क्षेत्र में फ्लोर स्पेस इण्डेक्स की गणना के लिए किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं है, संपूर्ण भू-खण्ड का क्षेत्रफल जिसमें वह भाग भी शामिल होगा जो विकास रहित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, को भी ध्यान में रखा जायेगा ।
- (झ) भू-खण्ड का कुल क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर से कम नहीं होना चाहिए तथा सभी मालों (फ्लोर) का कुल ढका हुआ क्षेत्र भू-खण्ड के कुल आकार के 33 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए अर्थात्

फ्लोर स्पेश इण्डेक्स 0.33 से अधिक नहीं होना चाहिए । खुला क्षेत्र समतल होगा और उचित वनस्पतियों से आच्छादित होगा ;

- (ट) निर्माण कार्य आस-पास की स्थलाकृति एवं स्थानीय वास्तुकला शैली के अनुरूप होगा ;
 - (ठ) निर्माण कार्य में छत की कुल ऊँचाई 9 मीटर से ज्यादा नहीं होगी व दो तल से ज्यादा (नीचे का तल व उसके ऊपर का तल) का निर्माण नहीं होगा ;
 - (ड.) भूगर्भ जल को उच्च ज्वार रेखा में 200 मी. के नीचे से नहीं लिया जायेगा ; 200-500 मी. के जोन में केंद्रीय/राज्य भू-जल बोर्ड की सहमति से लिया जा सकता है ;
 - (ढ़) उच्च ज्वार रेखा के 500 मी. की दूरी में बालू का खनन, समतल करना या बालू को खोदना केवल बिल्डिंग की बुनियाद, स्वीमिंग पुल को छोड़कर अनुमत नहीं होगा;
 - (त) परियोजना क्षेत्र में उपचारित उत्प्रावाह, ठोस कचरे, धुँआ तथा ध्वनि के स्तर आदि की गुणवत्ता को सक्षम प्राधिकरण द्वारा पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के तहत तथा केंद्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाये गये मानकों के अनुसार होगा;
 - (थ) उत्प्रावाहों तथा ठोस कचरे के उपचार हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं अवश्य की जानी चाहिए; अनुपचारित उत्प्रावाह तथा ठोस कचरे को पानी में या तट पर फेंका या छोड़ा न जाए; तथा इस बात को सुनिश्चित करना होगा कोई भी उत्प्रावाह/ठोस कचरा समुद्र तट पर छोड़ा नहीं जायेगा ।
 - (द) समुद्र तट पर लोगों की पहुंच को अनुमति देने हेतु किन्हीं दो होटलों/बीच रिसोर्टों के मध्य कम से कम 20 मी. की चौड़ाई का अंतराल होना चाहिए । किसी भी स्थिति में कुल अंतराल 500 मी. से कम नहीं होगा; तथा
 - (घ) यदि परियोजना में वन भूमि को अवनीय उद्देश्यों के लिए शामिल किया जाना है तो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत, सहमति प्राप्त करना आवश्यक होगा । इसके अलावा केंद्र व राज्य कानूनों के लागू होने वाली सभी आवश्यकताओं को परियोजना द्वारा पूर्ण किया जायेगा;
 - (न) राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के पर्यटन विभाग से अनुमति प्राप्त करनी होगी ।
- II पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे कि समुद्री पार्क, मैंग्रूव, मूंगा भित्ती, मछलियों का जनन व पालने का क्षेत्र, वन्यजीव पर्यावास तथा ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें केंद्र/राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश द्वारा अधिसूचित किया गया हो) समुद्रतटीय रिसोर्ट /होटलों के निर्माण की अनुमति नहीं होगी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th January, 2011

S.O.20(E). WHEREAS the Central Government vide its notification number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991, (hereinafter referred to as the said notification), declared Coastal Regulation Zone and imposed certain restrictions on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said Zones for its protection.;

AND WHEREAS, the Central Government, issues a separate notification for the environmental management of Andaman and Nicobar (hereinafter referred to as the AandN) and Lakshadweep and for this purpose a preliminary Notification was published vide number 2291(E), dated the 15th September, 2010 under sub-section (1) and clause (v) of sub section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests (hereinafter referred to as the MoEF), number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991, in so far as it relate to the AandN and the Lakshadweep Islands.;

AND WHEREAS, copies of the said Gazette were made available to the public on 25th February, 2010.;

AND WHEREAS, the suggestions and objections received from the public have been considered by the Central Government.;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, with a view of providing livelihood security to the local communities including the fisherfolk and tribals, promote conservation and protection of Islands unique environment and its marine area and to promote development through sustainable integrated management plan based on scientific principles taking into account the vulnerability of the coast to natural hazards, hereby declare the coastal stretches of Middle Andaman, North Andaman, South Andaman and Greater Nicobar and entire area of the other islands of Andaman and Nicobar and the Lakshadweep and their water area upto territorial water limit as the Islands Protection Zone (hereinafter referred to as the IPZ) and restricts the areas from the setting up and expansion of any industry, operations or processes and manufacture or handling or storage or disposal of hazardous substances as specified in the Hazardous Substances (Handling, Management and Transboundary Movement) Rules, 2009, except in the manner provided in the Island Coastal Regulation Zone (hereinafter referred to as the ICRZ) and Integrated Islands Management Plans (hereinafter referred to as the IIMPs).;

In exercise of powers also conferred by clause (d) and sub rule (3) of rule 5 of Environment (Protection) Act, 1986 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests, number S.O.114(E), dated the 19th February, 1991 except as respects things done or omitted to be done before such supercession, the Central Government hereby declares the following areas as Island Protection Zone and imposes with effect from the date of the notification the following restrictions on the setting up and expansion of industries,

operations or processes,-

I. Environmental management for the Islands of Andaman and Nicobar (hereinafter referred to as the AandN) and Lakshadweep shall be managed as follows:-

- A. the entire island of AandN other than the four islands mentioned in sub-para B below shall be managed as per IIMPs;
- B. In view of the large geographical area of the islands of Middle Andaman, North Andaman, South Andaman and Greater Nicobar, these islands shall be managed as per the Island Coastal Regulation Zone (hereinafter referred to as the ICRZ).

II. The Islands of AandN and Lakshadweep other than the four mentioned in sub-para B and Lakshadweep shall be managed based on the IIMPs which will be prepared as per the following guidelines, namely:-

(a) Preparation of Integrated Islands Management Plan,-

- (1) the AandN Administration shall, within a period of one year from the date of this notification, for the purpose of integrated sustainable development of the AandN Islands Protection Zone, prepare the IIMPs, *interalia*, specifying therein the areas indicating all the existing and the proposed developments, conservation and preservation schemes, dwelling units including infrastructure projects such as, schools, markets, hospitals, public facilities, and the like;
- (2) the Lakshadweep Islands Administration shall, within a period of one year from the date of this notification, for the purpose of integrated sustainable development of the Lakshadweep Islands Protection Zone, prepare the IIMPs, *interalia*, specifying therein the areas indicating all the existing and the proposed developments, conservation and preservation schemes, dwelling units including infrastructure projects such as, schools, markets, hospitals, public facilities, and the like;
- (3) the Islands Administration may, if it consider necessary, take the help of research institutions having experience and specialisation in coastal resource management in the preparation of IIMPs taking into account the guidelines specified in Annexure-I to this notification.
- (4) all activities in the Islands and the aquatic areas shall be regulated by the AandN Administration or the Lakshadweep Islands Administration, as the case may be, on the basis of IIMPs;
- (5) the developmental activities in the Islands shall be included in the IIMPs in accordance with rules, regulations and building bye-laws of local town and country planning for the time being in force in the Islands;
- (6) the requirements of the Ministry of Defence, if any, shall be incorporated in the IIMPs and all defence related projects shall be assessed by a Committee consisting of the Secretary in the MoEF, Secretary in the Ministry of Defence and the Chief Secretaries of the AandN Islands Administration, or as the case may be, the Lakshadweep Islands Administration;
- (7) the IIMPs shall be prepared separately for each island, and, as may be required from time to time;
- (8) ecologically sensitive areas as specified in item (a) of sub-paragraph (B) of paragraph III to this notification shall be taken into consideration while preparing the IIMP:
Provided that if those areas are included in the National Parks or Sanctuaries notified under the provisions of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972) shall separately mentioned in the plan and be regulated in accordance with the provisions of that Act.
- (9) the activities permitted in the IIMP shall also be undertaken in accordance with the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules or notifications made or issued thereunder and after taking into consideration the Environment Impact Assessment.

done under the provisions of the notification of the Government of India in the MoEF number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006;

- (10) (a) the Island Administrations, after preparing the IIMPs shall widely publicise the plan and invite suggestions from the public and other stakeholders within a period of thirty days from the date of publication of the plans;
- (b) the plans shall be published by publishing it in atleast two newspapers and website of the Administration;
- (c) the hard copy of the plan shall be made available to the public at the office of the Chairman and Member Secretary of the Union territory Coastal Zone Management Authorities (hereinafter referred to as the CZMAs), District Collector's Office and Office of the Pollution Control Committee;
- (d) on receipt of the comments, the Island Administration shall make necessary changes in the plans and submit to Central Government in the MoEF for its consideration and approval;
- (e) the Union territory CZMA and the National Coastal Zone Management Authority shall be responsible to address and dispose off any grievance arising out of preparation of the plan.
- (11) the Central Government in the MoEF, after receipt of the IIMPs, shall, after examining the plan if it is satisfied, approve within a period of sixty days from the date of its receipt;
- (12) all the activities under the IIMP shall be regulated in accordance with such Plan by the concerned authorities in the Islands.

III. The islands of Middle Andaman, North Andaman, South Andaman and Greater Nicobar shall be managed based on ICRZ have the following jurisdiction, namely:-

- A. (i) the land area from High Tide Line (hereinafter referred to as the HTL) to 500mts on the landward side along the sea front;
- (ii) ICRZ shall apply to the land area between HTL to 100 mts or width of the creek whichever is less on the landward side along the tidal influenced water bodies that are connected to the sea and the distance upto which development along such tidal influenced water bodies is to be regulated shall be governed by the distance upto which the tidal effects are experienced which shall be determined based on salinity concentration of 5 parts per thousand (ppt) measured during the driest period of the year and distance upto which tidal effects are experienced shall be clearly identified and demarcated accordingly in the ICRZ Plan.

Explanation.- For the purposes of this item the expression tidal influenced water bodies means the water bodies influenced by tidal effects from sea, in the bays, estuaries, rivers, creeks, backwaters and lagoons.

- (iii) land area between HTL and Low Tide Line (hereinafter referred to as the LTL) which will be termed as the intertidal zone;
- (iv) the water and the bed area between the LTL to the territorial water limit (12 Nm) in case of sea and the water and the bed area between LTL at the bank to the LTL on the opposite side of the bank, of tidal influenced water bodies.

B. The coastal areas of the four islands shall be classified as follows, namely:-

1. (a) ICRZ-I,- The areas that are ecologically sensitive and the geomorphological features which play a role in the maintaining the integrity of the coast,-

- (i) mangroves;
 - (ii) coral reefs;
 - (iii) sand Beaches and Sand Dunes;
 - (iv) mudflats;
 - (v) protected areas under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) or Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986);
 - (vi) salt Marshes;
 - (vii) turtle nesting grounds;
 - (viii) horse shoe crabs habitats;
 - (ix) sea grass beds;
 - (x) sea weed beds;
 - (xi) nesting grounds of birds;
 - (xii) fishing villages and areas of traditional rights.
- (b) The area between Low Tide Line and High Tide Line; and

2. ICRZ-II,- The areas that have been developed upto or close to the shoreline.

Explanation.- The expression “developed area” is referred to as that area within the existing municipal limits or in other existing legally designated urban areas which are substantially built-up and has been provided with drainage and approach roads and other infrastructural facilities, such as water supply and sewerage mains;

3. ICRZ-III,-

Areas that are relatively undisturbed and those do not belong to either Category- B(i)(a) and (b) above which include coastal zone in the rural areas (developed and undeveloped) and also areas within municipal limits or in other legally designated urban areas, which are not substantially built up.

4. ICRZ-IV,-

- (i) the water area from the Low Tide Line to twelve nautical miles on the seaward side;
- (ii) shall include the water area of the tidal influenced water body from the mouth of the water body at the sea upto the influence of tide which is measured as five parts per thousand during the driest season of the year.

C. Preparation of ICRZ Plans,-

- (i) the MoEF will get the ICRZ plans prepared through the AandN Administration for the four islands. The ICRZ will be prepared by engaging reputed and experienced scientific institution(s) or agencies including the National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM) of MoEF and in consultation with the concerned stakeholders;
- (ii) the hazard line shall be mapped by MoEF through Sol all along the coastline of the country and the hazard line shall be demarcated taking into account, tide, waves, sea level rise and shoreline changes;
- (iii) for the purpose of depicting the flooding due to tides, waves and sea level rise in the next fifty and hundred years, the contour mapping of the coastline shall be carried out at 0.5m interval normally upto 7km from HTL on the landward side, and the shoreline changes shall be demarcated based on historical data by comparing the previous satellite imageries with the recent satellite imageries;
- (iv) mapping of the hazard line shall be carried out in 1:25,000 scale for macro level planning and 1:10,000 scale or cadastral scale for micro level mapping. The hazard line shall be taken

- into consideration while preparing the land use plan of the coastal areas;
- (v) the AandN Administration will prepare within a period of twenty four months from the date of issue this notification, draft ICRZ Plans in 1:25,000 scale map identifying and classifying the ICRZ-I, II, III and IV involving public consultation;
 - (vii) the draft ICRZ Plans shall be submitted by the Union territory Administration to the AandN CZMA for appraisal, including appropriate consultations, and recommendations in accordance with the procedure(s) laid down in the EIA notification, 2006;
 - (viii) the AandN CZMA shall submit the draft ICRZ Plans to MoEF alongwith its recommendations on ICRZ Plans within a period of six months after incorporating the suggestions and objections received from the stakeholders;
 - (ix) MoEF shall thereafter consider and approve the ICRZ Plans within a period of four months from the date of receipt of the ICRZ Plans complete in all respects;
 - (x) all developmental activities listed in this notification shall be regulated by the Union territory Administration, the local authority or the concerned AandN CZMA within the framework of such approved ICRZ Plans as the case may be in accordance with provisions of this notification;
 - (xi) the ICRZ Plans shall not normally be revised before a period of five years after which, the concerned Union territory Administration may consider undertaking revision of the maps following the above procedures.

D. Norms for regulation of activities permissible under this notification in the four islands,-

1. (i) ICRZ-I,-

- (a) no new construction shall be permitted in ICRZ-I except,-

- (i) projects relating to Department of Atomic Energy;
- (ii) pipelines, conveying systems including transmission lines;
- (iii) facilities that are essential for activities permissible under ICRZ-I;
- (iv) installation of weather radar for monitoring of cyclones movement and prediction by Indian Meteorological Department;
- (v) construction of trans island sea link and without affecting the tidal flow of water, between LTL and HTL.

- (b) Areas between LTL and HTL which are not ecologically sensitive and important necessary safety measures will be incorporated while permitting the following, namely:-

- (i) exploration and extraction of natural gas;
- (ii) construction of dwelling unit of fisherfolk dispensaries, schools, public rainshelter, community toilets, bridges, roads, jetties, water supply, drainage, sewerage which are required for traditional inhabitants living within the biosphere reserves and fishing villages and areas of traditional rights after obtaining approval from AandN CZMA;
- (iii) necessary safety measure shall be incorporated while permitting such developmental activities in the area falling in the hazard zone;
- (iv) desalination plants;
- (v) storage of non-hazardous cargo such as edible oil, fertilizers and food grain within notified ports;

2. ICRZ-II,-

- (i) buildings shall be permitted only on the landward side of the existing road, or on the landward side of existing authorized structures;
- (ii) buildings permitted on the landward side of the existing and proposed roads or

existing authorized structures shall be subject to the existing local town and country planning regulations including the 'existing' norms of Floor Space Index (hereinafter referred to as the FSI) or Floor Area Ratio (hereinafter referred to as the FAR):

Provided that no permission for construction of buildings shall be given on landward side of any new roads which are constructed on the seaward side of an existing road:

- (ii) reconstruction of authorized building to be permitted subject with the existing FSI or FAR Norms and without change in present use.

3. ICRZ-III,-

- (a) area upto 200mts from HTL on the landward side in case of seafront and 100mts along tidal influenced water bodies or width of the creek whichever is less is to be earmarked as "No Development Zone (hereinafter referred to as the NDZ)",-

- (i) the NDZ shall not be applicable in such area falling within any notified port limits;
- (ii) No construction shall be permitted within NDZ except for repairs or reconstruction of existing authorized structure not exceeding existing FSI, existing plinth area and existing density and for permissible activities under the notification including facilities essential for activities; construction or reconstruction of dwelling units of traditional coastal communities including fisherfolk may be permitted between 100 and 200 metres from the HTL along the seafront in accordance with a comprehensive plan prepared by the Union territory Administration in consultation with the traditional coastal communities including fisherfolk and incorporating the necessary disaster management provision, sanitation and recommended by the concerned Union territory CZMA to NCZMA for approval by MoEF;.

- (iii) however, the following activities may be permitted in NDZ,-

- (a) agriculture, horticulture, gardens, pasture, parks, play field, and forestry.
- (b) projects relating to Department of Atomic Energy;
- (c) mining of rare minerals;
- (d) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II;
- (e) facilities for regasification of liquefied natural gas;
- (f) facilities for generating power by non conventional energy sources;
- (g) facilities for desalination plants and associated facilities;
- (h) weather radars;
- (i) construction of dispensaries, schools, public rain shelter, community toilets, bridges, roads, provision of facilities for water supply, drainage, sewerage, crematoria, cemeteries and electric sub-station which are required for the local inhabitants may be permitted on a case to case basis by A and N CZMA;
- (j) construction of units or auxiliary thereto for domestic sewage, treatment and disposal with the prior approval of the concerned Pollution Control Committee;
- (k) facilities required for local fishing communities such as fish drying yards, auction halls, net mending yards, traditional boat building yards, ice plant, ice crushing units, fish curing facilities and the like;
- (l) airstrips and associated facilities.

- (b) Area between 200mts to 500mts,-

The following activities may be permissible in the above areas;

- (i) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II;
- (ii) development of vacant plot in designated areas for construction of hotels or beach resorts for tourists or visitors subject to the conditions as specified in the guidelines at Annexure-III;
- (iii) facilities for regasification of liquefied natural gas;
- (iv) storage of non-hazardous cargo such as, edible oil, fertilizers, food grain in notified ports;
- (v) facilities for desalination plants and associated facilities;
- (vi) facilities for generating power by non-conventional energy sources;
- (vii) construction or reconstruction of dwelling units so long it is within the ambit of traditional rights and customary uses such as existing fishing villages, building permission for such construction or reconstruction will be subject to local town and country planning rules with overall height of construction not exceeding 9mts with two floors (ground + one floor);
- (viii) airstrips and associated facilities.

4. In ICRZ-IV areas,-

The activities impugning on the sea and tidal influenced water bodies shall be regulated including ports and harbours and foreshore developmental activities except for traditional fishing and related activities undertaken by local communities as follows, namely:-

- (a) no untreated sewage, effluents, ballast water, ship washes, fly ash or solid waste from all activities including from aquaculture operations shall be let off or dumped and a comprehensive plan for treatment of sewage generating from the coastal towns and cities shall be formulated within a period of one year in consultation with stakeholders including traditional coastal communities, traditional fisherfolk and implemented;
- (b) pollution from oil and gas exploration and drilling, mining, boat house and shipping;
- (c) there shall be no restriction on the traditional fishing and allied activities undertaken by local communities.

5. Period for which ICRZ and IIMPs shall be valid,-

- (i) the ICRZ and IIMPs shall be valid for a period of five years and the next IIMP shall be prepared within a period of six months before the date of expiry of the Plan:
Provided that the Andaman and Nicobar Islands Administration or, as the case may be, the Lakshadweep Islands Administration, may review the plan at anytime as may be required.
- (ii) the Coastal Zone Management Plans already approved under CRZ notification, 1991 shall be valid for a period of twenty four months unless the aforesaid period is extended by MoEF by a specific notification subject to such terms and conditions as may be specified therein.

6. Enforcement and monitoring of this notification,-

- (a) for the purpose of implementation and enforcement of the provisions this notification and compliance with conditions stipulated thereunder, the powers either original or delegated are available under Environment (Protection) Act, 1986 with the MoEF, Union territory Administration, NCZMA and Union territory CZMAs;
- (b) The composition, tenure and mandate of NCZMA and UT CZMAs have already been notified by MoEF in terms of Orders of Hon'ble Supreme Court in Writ Petition 664 of

- (c) the Union territory CZMAs shall primarily be responsible for enforcing and monitoring of this notification and to assist in this task, the the Union territory shall constitute district level Committees under the Chairmanship of the District Magistrate concerned containing atleast three representatives of local traditional coastal communities including from fisherfolk.
- (d) the dwelling units of the traditional coastal communities including fisherfolk, tribals as were permissible under the provisions of the CRZ notification, 1991, but which have not obtained formal approval from concerned authorities under the aforesaid notification shall be considered by the respective Union territory CZMAs and the dwelling units shall be regularized subject to the following condition, namely-
 - (i) these are not used for any commercial activity
 - (ii) these are not sold or transferred to non-traditional coastal community.

7. The following activities shall be prohibited in the islands of AandN and Lakshadweep:-

- (i) destruction of corals;
- (ii) mining of sand from in and around coral areas, nesting and breeding grounds of endemic and endangered species;
- (iii) construction of shore protection works (hard constructions) on the seaward side of the corals, mangroves;
- (iv) disposal of untreated sewage or effluents;
- (v) disposal of solid wastes including fly ash, industrial waste, medical waste, non-biodegradable waste, and the like;
- (vi) red category of industries (as prohibited under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) or the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 or the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, as the case may be) within ten kilometres from ecologically sensitive areas;
- (vii) setting up of new industries and expansion of existing industries except,-

(a) those directly related to waterfront or directly needing foreshore facilities;

Explanation: For the purposes of this item the expression "foreshore facilities" means those activities permissible under this notification and they require waterfront for their operations such as ports and harbours, jetties, quays, wharves, erosion control measures, breakwaters, pipelines, lighthouses, navigational safety facilities, coastal police stations and the like.;

- (b) projects of Department of Atomic Energy;
 - (c) facilities for generating power by non-conventional energy sources and setting up of desalination plants in the areas not classified as ecologically sensitive area under this notification based on an impact assessment study including social impacts.;
 - (d) reconstruction, repair works of dwelling units of local communities including fishers in accordance with local town and country planning regulations.
- (viii) manufacture or handling oil storage or disposal of hazardous substance as specified in the notification of Ministry of Environment and Forests, No. S.O.594 (E), dated the 28th July 1989, S.O.No.966(E), dated the 27th November, 1989 and GSR 1037 (E), dated the 5th December, 1989 except,-

(a) transfer of hazardous substances from ships to ports, terminals and refineries and vice versa;

- (b) facilities for receipt and storage of petroleum products and liquefied natural gas as specified in Annexure-II appended to this notification and facilities for regasification of Liquefied Natural Gas (hereinafter referred to as the LNG) in the areas not classified as ICRZ-I(a) and other identified ecologically sensitive areas subject to implementation of safety regulations including guidelines issued by the Oil Industry Safety Directorate in the Ministry of Petroleum and Natural Gas and guidelines issued by MoEF and subject to further terms and conditions for implementation of ameliorative and restorative measures in relation to environment as may be stipulated by in MoEF:

Provided that facilities for receipt and storage of fertilizers and raw materials required for manufacture of fertilizers like ammonia, phosphoric acid, sulphur, sulphuric acid, nitric acid and the like, shall be permitted within the said zone in the areas not classified as ICRZ-I and identified ecologically sensitive areas under the Wildlife (Protection) Act, 1972 and Forest (Conservation) Act, 1980 and Environment (Protection) Act, 1986 .

- (ix) setting up and expansion of fish processing units including warehousing except hatchery and natural fish drying in permitted areas;
- (x) land reclamation, bunding or disturbing the natural course of seawater except those,-
- (a) required for setting up, construction or modernisation or expansion of foreshore facilities like ports, harbours, jetties, wharves, quays, slipways, bridges, sealink, road on stilts, and such as meant for defence and security purpose and for other facilities that are essential for activities permissible under the notification;
 - (b) measures for control of erosion, based on scientific including Environmental Impact Assessment (hereinafter referred to as the EIA) studies;
 - (c) maintenance or clearing of waterways, channels and ports, based on EIA studies;
 - (d) measures to prevent sand bars, installation of tidal regulators, laying of storm water drains or for structures for prevention of salinity ingress and freshwater recharge based on carried out by any agency to be specified by MoEF;
- (xi) setting up and expansion of units or mechanism for disposal of wastes and effluents except facilities required for,-
- (a) discharging treated effluents into the water course with approval under the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974);
 - (b) storm water drains and ancillary structures for pumping;
 - (c) treatment of waste and effluents arising from hotels, beach resorts and human settlements located in ICRZ areas other than ICRZ-I and disposal of treated wastes and effluents;
- (xii) discharge of untreated waste and effluents from industries, cities or towns and other human settlements and the concerned authorities shall implement schemes for phasing out existing discharge of this nature, if any, within a time period not exceeding two years from the date of issue of this notification;
- (xiii) dumping of city or town wastes including construction debris, industrial solid wastes, fly ash for the purpose of land filling and the like and the concerned authority shall implement schemes for phasing out any existing practice, if any, shall be phased out within a period of one year from date of commencement of this notification.
- Note:-The MoEF will issue a separate instruction to the Union territory Administration in

respect of preparation of Action Plans and their implementation as also monitoring including the time schedule thereof, in respect of sub-para (iv) and (v).

- (xiv) port and harbour projects in high eroding stretches of the coast, except those projects classified as strategic and defence related in terms of EIA notification, 2006 identified by MoEF based on scientific studies and in consultation with the Union territory Administration;
- (xv) reclamation for commercial purposes such as shopping and housing complexes, hotels and entertainment activities;
- (xvi) mining of sand, rocks and other sub-strata materials except,- (a) those rare minerals not available outside the ICRZ area,
(b) exploration and exploitation of Oil and Natural Gas;
- (xvii) drawl of groundwater and construction related thereto, within 200mts of HTL; except the following, namely:-
 - (a) in the areas which are inhabited by the local communities and only for their use.
 - (b) in the area between 200mts-500mts zone the drawal of groundwater shall be permitted only when done manually through ordinary wells for drinking, horticulture, agriculture and fisheries and where no other source of water is available.
- Note:-Restrictions for such drawl may be imposed by the Authority designated by the Union territory Administration in the areas affected by sea water intrusion.
- (xviii) construction activities in ecologically sensitive areas except those specified in this notification;
- (xix) dressing or altering the sand dunes, hills, natural features including landscape changes for beautification, recreation and other such purpose;
- (xx) facilities required for patrolling and vigilance activities of marine/coastal police stations.

8. Validity of the clearances issued under this notification for projects - The clearance accorded to the projects under this notification shall be valid for the period of five years from the date of issue of the clearance for commencement of construction and operation.

9. Applicability EIA notification, 2006 or any other notification – The developmental projects attracting Environmental Impact Assessment or the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Wildlife (Protection) Act, 1972 (52 of 1972) shall be considered in accordance with the provisions made thereunder and prior approval obtained from the competent Authority before making any recommendations.

10. The activities which are not listed in the IIMPs above shall be referred to the MoEF, through the concerned Union territory Administration for decision.

[F. No. 12-3/2008-IA-III]

J. M. MAUSKAR, Addl. Secy.

Annexure-I**GUIDELINES FOR PREPARATION OF INTEGRATED ISLANDS MANAGEMENT PLAN AND ISLAND COASTAL REGULATION ZONE**

1. The entire island including the aquatic area shall be considered for the Integrated Island Management Plan, while for ICRZ the jurisdiction shall be as indicated at para III(A).
2. Integrated Island Management Plans shall be prepared indicating therein all present and future developments, conservation and preservation schemes with a time frame of ten years.
3. The Integrated Island Management Plan and ICRZ shall address vulnerability to human life and property based on elevation, geomorphology, sea level trends and horizontal line displacement and indicate suitable areas that are safe for locating dwelling units, infrastructure, and the like, and appropriate safeguards measures to protect the life and property of the local communities, infrastructure from natural hazards shall be indicated in the Integrated Islands Management Plan.
4. The land area falling between the hazard line and 500mts from HTL on the landward side, in case of seafront and between the hazard line and 100mts line in case of tidal influenced water body the word 'hazard line' denotes the line demarcated by Ministry of Environment and Forests (hereinafter referred to as the MoEF) through the Survey of India (hereinafter referred to as the SoI) taking into account tides, waves, sea level rise and shoreline changes.
5. No developmental activities other than those listed in this Notification shall be permitted in the areas between the hazard line and 500mts or 100mts or width of the creek on the landward side. The dwelling unit of the local communities, tribals including that of the fishers will not be relocated if the dwelling units are located on the seaward side of the hazard line. The Union territory Administration will provide necessary safeguards from natural disaster to such dwelling units of local communities.
6. All the existing roads including the internal roads shall be strengthened, as these roads shall serve for the purpose of livelihood, communication, rescue, relief and evacuation measures during natural hazards.
7. Adequate cyclone shelters shall be earmarked and constructed on elevated areas or on stilts adjacent to populated areas.
8. The existing and as well new schools, market areas and other public facilities (excluding public toilets) where large number of public congregate, shall normally be located on safe areas preferably in elevated areas or protected areas.
9. Along the seaward side sufficient bio-shield with local vegetation, trees including mangroves shall be planted and other soft protection measures.
10. The Integrated Islands Management Plan and ICRZ shall be based on scientific methodology and with the approval of the concerned authorities, including the appropriate coastal protection structures be constructed in accordance with such Plan.
11. The beaches shall be protected and no developmental activities shall be permitted therein.
12. Sand dunes, being natural barrier in the event of flooding, shall be conserved and maintained or regenerated by planting shrubs or through appropriate measures.
13. There shall be no restriction with regard to traditional fishing by local communities including installation of fish aggregating devices as recommended by the Islands Administrations.
14. (a) The mining of construction material, especially sand from deep sea bed (beyond fifteen meters depth), after undertaking proper scientific studies may be permitted in the Plan;
 - i. the alternative construction material, such as, bamboo, local forest products may be identified and used;
 - ii. the other materials, like, metal, hollow brick blocks, and the like, shall be imported from the mainland.
15. Emphasis shall be given to use of non-conventional energy resources especially, wind, solar and tidal energy, desalination, water recycling, and use of local products.
16. Early warning system shall be provided for cyclone, tsunami, and the like, and a evacuation and relief measure plan in case of disasters shall be built into the Integrated Islands Management Plan.

17. Necessary provision shall be made in the Integrated Islands Management Plan for relocation and rehabilitation of people displaced due to natural disasters.
18. Integrated Islands Management Plan and ICRZ shall also include the areas under habitation and make plan for future development.
19. No developmental activities shall be permitted in the area under reserve forests, protected forests, national parks and sanctuaries notified under the Forests (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980) or the Wild Life Protection Act, 1972 (53 of 1972) and the areas protected under the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).
20. The dwelling units or infrastructure of local communities as are existing at the time of preparation of Plan shall not be displaced.
21. Repair of existing buildings or infrastructure including reconstruction activities shall be allowed.
22. IIMP and ICRZ shall be prepared in 1:25,000 scale map for macro level planning and 1:10,000 or cadastral scale for micro level planning.
23. The High Tide Line will be got demarcated by one of the agencies authorized by Ministry of Environment and Forests.

Annexure-II

List of petroleum and chemical products permitted for storage except in ICRZ-I(a) and other identified ecologically sensitive areas

- (i) Crude oil;
- (ii) Liquefied Petroleum Gas;
- (iii) Motor spirit;
- (iv) Kerosene;
- (v) Aviation fuel;
- (vi) High speed diesel;
- (vii) Lubricating oil;
- (viii) Butane;
- (ix) Propane;
- (x) Compressed Natural Gas;
- (xi) Naphtha;
- (xii) Furnace oil;
- (xiii) Low Sulphur Heavy Stock;
- (xiv) Liquefied Natural Gas;
- (xv) Fertilizers and raw materials for manufacture of fertilizers.

Annexure-III**Guidelines for development of beach resorts or hotels in the designated areas of ICRZ-III and ICRZ-II/IIMPs for occupation of tourist or visitors with prior approval of the Ministry of Environment and Forests**

- I. Construction of beach resorts or hotels with prior approval of MoEF in designated areas of ICRZ-II and III for occupation of tourist or visitors shall be subject to the following conditions, namely:-
- (a). The project proponent shall not undertake any construction within 200 metres in the landward side of High Tide Line and within the area between Low Tide Line and High Tide Line;
 - (b). The proposed constructions shall be beyond the hazard line or 200mts from the High Tide Line whichever is more;
 - (c). live fencing and barbed wire fencing with vegetative cover may be allowed around private properties subject to the condition that such fencing shall in no way hamper public access to the beach;
 - (d). no flattening of sand dunes shall be carried out;
 - (e). no permanent structures for sports facilities shall be permitted except construction of goal posts, net posts and lamp posts;
 - (f). Construction of basement may be allowed subject to the condition that no objection certificate is obtained from the Union territory Ground Water Authority to the effect that such construction will not adversely affect free flow of groundwater in that area;
 - (g). the Union territory Ground Water Authority shall take into consideration the guidelines issued by Central Government before granting such no objection certificate;
 - (h). though no construction is allowed in the no development zone for the purposes of calculation of Floor Space Index, the area of entire plot including the portion which falls within the no development zone shall be taken into account;
 - (i). the total plot size shall not be less than 0.4 hectares and the total covered area on all floors shall not exceed 33 percent of the plot size i.e., the Floor Space Index shall not exceed 0.33 and the open area shall be suitably landscaped with appropriate vegetal cover;
 - (j). the construction shall be consistent with the surrounding landscape and local architectural style;
 - (k). the overall height of construction upto the highest ridge of the roof, shall not exceed 9metres and the construction shall not be more than two floors (ground floor plus one upper floor);
 - (l). groundwater shall not be tapped within 200metre of the High Tide Line; within the 200metre 500metre zone it can be tapped only with the concurrence of the Central or Union territory Ground Water Board;
 - (m). extraction of sand, leveling or digging of sandy stretches except for structural foundation of building, swimming pool shall not be permitted within 500metres of the High Tide Line;
 - (n). the quality of treated effluents, solid wastes, emissions and noise levels and the like, from the project area must conform to the standards laid down by the competent authorities including the Central Pollution Control Board or Union territory Pollution Control Committee and under the Environment (Protection) Act, 1986;

- (o). necessary arrangements for the treatment of the effluents and solid wastes must be made and it must be ensured that the untreated effluents and solid wastes are not discharged into the water or on the beach; and no effluent or solid waste shall be discharged on the beach;
- (p). to allow public access to the beach, atleast a gap of 20metres width shall be provided between any two hotels or beach resorts; and in no case shall gaps be less than 500metres apart; and
- (q). if the project involves diversion of forestland for non-forest purposes, clearance as required under the Forest (Conservation) Act, 1980 shall be obtained and the requirements of other Central and Union territory laws as applicable to the project shall be met with; and
- (r). approval of the Union territory Tourism Department shall be obtained.

II. In ecologically sensitive areas (such as marine parks, mangroves, coral reefs, breeding and spawning grounds of fish, wildlife habitats and such other area as may be notified by the Central or Union territories) construction of beach resorts or hotels shall not be permitted
